राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का १५ वां दिवस [संख्या १०

बुधवार, ८ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्हपूर्व ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

आमेर व जयपुर तहसीलों में पशु-चिकित्सालय

५२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

आमेर तहसील एवं सवाई जयपुर तहसील में विटेरीनेरी हॉस्पिटल कहां कहां खुले हुए हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जयपुर में श्रेणी एक का एक पशु चिकित्सालय है और एक मोबाइल विटेरीनरी डिस्पेन्सरी है जो कि जयपुर, आमेर और सांगानेर तहसीलों में घूमा करती है । इसके अलावा एक जयपुर शहर में डिस्पेन्सरी सुभाष चौक में भी है ।

आमेर तहसील में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जयपुर तहसील में कहां कहां पर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अपने उत्तर में बताया कि एक मोबाइल वेटेरीनरी डिस्पेन्सरी है जो जयपुर, आमेर और सांगानेर तहसीलों में घूमा करती है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं परमानेन्ट डिस्पेन्सरी की बात पूछना चाहता हूँ; जब तक घूमने वाली डिस्पेन्सरी का उस तहसील के लिए नम्बर आये तब तक कई पशु मर जाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक तो मैंने बताया कि सुभाष चौक में है और दूसरा जयपुर में बड़ा होस्पिटल बताया है और एक मूविंग डिस्पेन्सरी है जो तीनों तहसीलों में काम करती है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह सुभाष चौक में कहां पर है ? कौन-सी जगह है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जयपुर शहर में है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं तो जयपुर तहसील के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि जयपुर शहर में है, बाहर गांवों में नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब कहां कहां आमेर और जयपुर तहसील में खोलने का सरकार विचार रखती है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी डिस्पेन्सरी खोलने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ निर्णय किया गया है और उसमें तह-सील हैड क्वार्टरों में डिस्पेन्सरी खोलने की योजना है। उसमें आमेर का नम्बर शायद १९५९–६० में आ सकता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या सामोद से कई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया?

श्री नाथूराम मिर्धा : आवेदन-पत्र तो बहुत से तहसीलों से आते हैं। सब पर एक दम विचार करना मुश्किल होता है। मगर आवश्यकतानुसार यह देखा जाता है कि किस तहसील में पशुओं की तादाद ज्यादा है और कहां कहां मवेशियों में ज्यादा बीमारी होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका प्रोग्राम बनाया गया है। आमेर तहसील, जहां से आप आये हैं और आपकी दिलचस्पी है, वहां पर हमारे प्रोग्राम के अनुसार सन् १९५९-६० में शायद बारी आ सकेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आमेर तहसील में दूसरी तहसीलों की अपेक्षा पशुओं की संख्या कितनी कम है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग से प्रश्न है। सब तहसीलों की पशु संख्या मालूम करने से पता लगता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब कब तक आमेर में डिस्पेन्सरी का प्रबन्ध हो जायेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको चार दफे बताया, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि शायद १९५९–६० तक।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार सेकन्ड फाइव इयर प्लान में इस प्रकार की डिस्पेन्सरीज़ खोलने से पहले माननीय सदस्य से परामर्श करेगी?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई खास परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी डेफिनिट योजना है और उस पर यदि कहीं से सुझाव आते हैं तो उस पर भी विचार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

५३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि जयपुर जिला के बोर्ड भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध जिला बोर्ड की रकम के दुरूपयोग एवं गबन की शिकायतें सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं?

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई और उसका क्या नतीजा रहा?

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) अब तक की जांच के अनुसार कितनी रकम के मामले पकड़े जा चुके हैं और इसमें किन किन व्यक्तियों का शामिल होना पाया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता):

(क) जी हां।

(ख) जांच श्री यादराम चतुर्वेदी व सी. आई. डी. पुलिस, राजस्थान द्वारा की गई थी।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि सी. आई. डी. ने सरकार से इस बात की अनुमति मांगी है कि भूतपूर्व जयपुर जिला बोर्ड के अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए लिखा है।

श्री भैरोंसिंह: यह सी. आई. डी. ने सरकार को कब लिखा कि इन पर मुकदमा चलाने के लिये ? यह कौनसी तारीख को लिखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख तो मेरे पास नहीं है मगर चुनावों के पहले लिखा।

श्री भैरोंसिंह: अभी तक मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार ने क्यों नहीं दी ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : उनके हियरिंग की बात। थी। चेयरमेन को बुलाकर सुन लिया जाए और इसीलिये देर हुई और वह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह: क्या सी. आई. डी. ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिला बोर्ड के धन का गबन किया गया है और इसलिये इन पर मुकदमा चलाया जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक चेयरमेन को सुन नहीं लिया जाए सारे मामले को डिस्क्लोज़ करना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह मंजूरी लेना इसलिये जरूरी है कि वे जिला बोर्ड के अध्यक्ष थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चूंकि गवर्नमेंट सर्वेन्टस कन्डक्ट रूल्स के अनुसार मंजूरी लेना जरूरी है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या वे अब नौकर नहीं हैं इसलिये उन रूल्स के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिये मुकदमा चलाने की आज्ञा लेना जरूरी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद : गुप्ता कानून जानने वाले लोग कहते हैं कि मंजूरी की जरूरत है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी रकम का गबन हुआ और सी. आई. डी. जांच के अनुसार कितनी रकम का गबन साबित हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो तब तक वह नहीं बताया जा सकता कि कितने केसेज़ हैं ?

श्री भैरोंसिंह: मैं सी. आई. डी. की जांच के अनुसार जानना चाहता हूं कि कितने गबन का मामला सरकार के सामने आया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत छोटे-छोटे अंक हैं जिनके डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक इसका अंतिम निर्णय नहीं हो जाए........

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि सी. आई. डी. विभाग की जांच के अनुसार एक लाख से ज्यादा का गबन हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: आप तो पूछते हैं कि निश्चित रकम क्या है और....

श्री भैरोंसिंह: मेरा प्रश्न यह है कि कौन-कौन व्यक्ति इस संबन्ध में आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैंने अभी आपको जबाब दे दिया है कि इसका अभी तक कोई फाइनल डिसिज़न नहीं हुआ है, इसलिये नहीं बताया जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के सामने अब तक क्या हिचकिचाहट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि चेयरमेन के हियरिंग की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसकी सूचना चेयरमेन को दे दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां दे दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : कब दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काफी समय हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सी. आई. डी. ने गवाहों के इनके खिलाफ कोर्ट में ब्यान कलम बन्द करा दिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मुझे मालूम नहीं ।

श्री अध्यक्ष: ये तो सब डिटेल्स की बातें हैं और जब इन्होंने साफ कह दिया कि मामला अन्डर कन्सीड्रेशन है इसलिये डिटेल्स बताना पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिये उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह: पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात नहीं कही है । इसके अलावा जब मामला सी. आई. डी. के सुपुर्द कर दिया गया और उसकी जांच हो रही है तो फिर कोई बात हाउस में छिपाई जाती है, यह उचित नहीं । होना तो यह चाहिये कि सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती । एक व्यक्ति जिसने एक लाख रुपये का गबन किया, पब्लिक के रुपये का गबन किया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यह जनता के धन का दुरुपयोग है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक लाख रुपये के गबन की बात नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि कितने रुपयों का गबन हुआ है वह सही है । सी. आई. डी. की रिपोर्ट में न मालूम कौन सी बातें हैं उसमें से कोई बात साबित हो या न हो ।

श्री भैरोंसिंह: क्या इस संबन्ध में पहले रिपोर्ट सी. आई. डी. को मिली या स्वायत्त शासन विभाग को मिली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि हमने यादराम को इसकी जांच के लिये नियुक्त किया था ।

श्री भैरोंसिंह: किस वक्त और कौनसी तारीख को नियुक्त किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास तारीख नहीं है, आप कहेंगे तो बता दूँगा।

श्री भैरोंसिंह: वह तो आप कहते हैं कि इलेक्शन के पहले आ गये उसके बाद में अब नोटिस दिया गया है। तो क्या इस प्रकार की शिकायतों में तीन तीन महीनों में नोटिस अब दिये जाते हैं और इस प्रकार के नोटिसेज़ उचित समझे जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने कुछ डाक्युमेन्ट्स (Documents) तलब किये क्योंकि उस समय वह पार्लियामेन्ट के मेम्बर थे और ऊपर से भी उनके लिए लिखा आया था कि इनके खिलाफ जांच की जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह नोटिस केवल भूतपूर्व जिलाबोर्ड के अध्यक्ष को ही दिया गया है या और भी दूसरे लोगों को दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जिलाबोर्ड के प्रेसीडेन्ट थे उनको ही यह नोटिस दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के लोगों के लिए सरकार क्यों नहीं निर्णय लेती कि उनके खिलाफ मुकदमे बनाये जायें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और लोगों के लिये कोई रिपोर्ट ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सी० आई० डी० विभाग ने जिलाबोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ और दूसरे लोगों के ऊपर भी चार्ज लगाये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिलाबोर्ड के अध्यक्ष के अलावा और कोई नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, और किसी का नाम नहीं है।

गत पांच वर्षों में चित्तौड़ जिले में खुदवाये गये तालाब

५४. **श्री सुगनचन्द जैन** (बैंगूं) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़ जिले में गत पांच वर्षों में कौन कौन से तालाब किस किस तहसील में नये खुदाये गये हैं ?

(ख) हर एक तालाब तथा बांध पर कितनी कितनी रकम खर्च हुई है और उससे कितनी सिंचाई होती है ?

(ग) इस जिले में कौनसी तहसील ऐसी है जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा अब तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

(घ) कौन कौन सी योजना की सर्वे कब हुई और काम कब चालू हुए ? यदि नहीं, तो कब तक चालू होने की उम्मीद है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) व (ख) चित्तौड़ जिले के कार्य:—

(श्री रामकिशोर व्यास)

नाम योजना	तहसील	निर्धारित खर्च (लाख रुपयों में)	संभावित सिंचाई एकड़ों में
मंगलवारा	मदेसर	०.६१	३७०
भीम का नाका	छोटी सादड़ी	०.५३	१३६०
धमाना	कपासन	०.२३	३१०
मेवदा	कपासन	०.०७	७०
ऊंचा	चित्तौड़	१.०२	८१०
मांडलगढ़	,,	०.१६	१६०
मानसरोवर	,,	०.३६	१२०
रमावती	,,	०.११	१००
ईंटों का परदा	,,	०.०८	५०

श्री तनसिंह : यह किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह (क) और (ख) का उत्तर है।

दादून	चित्तौड़	०.४०	६७०
तुरकिया	,,	०.११	१६०
गिलन्द	,,	०.३६	५८०
सलेरा	गंगोरा	०.५६	२३०
जंदाना	राशमी	०.०७	८५
वनीना	राशमी	०.५०	६२०
मोरवां	डूंगला	०.१०	१०६
अचलपुर	प्रतापगढ़	०.१३	६४
खाडूंया	बेगूं	०.११	१७०

(ग) अचनेरा-कनेरा

(घ) निम्नलिखित कार्यों की सर्वे १६५५-५६ व १६५६-५७ में हुई जिन पर काम अभी चालू नहीं किया जा सका है। इनमें से पहले चार काम स्वीकृत हो चुके हैं व जल्दी ही शुरू कर दिये जावेंगे। अन्य योजनायें विचाराधीन हैं।

१. कालादेह	बेगूं
२. मुरलिया	निम्बाहेड़ा
३. मालीका खेड़ा	कपासन
४. ब्राह्मणी	बेंगू
५. बनाकिया	कपासन
६. रूद्री	कपासन
७. वागण	मदेसर

श्री सुगनचन्द जैन : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कि प्रतापगढ़ तहसील बजरंगगढ़ तालाब का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए आप नोटिस दें तब ही उत्तर दे सकूंगा।

श्री सुगनचन्द जैन : कौनसी तहसील में काम शुरू नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास: आपने फरमाया कि काम कब शुरू होगा।

श्री सुगनचन्द जैन : मैंने यह पूछा था कि कौन कौन सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें कार्य नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने शुरू में ही कहा था कि चार का जो काम है वह स्वीकृत हो चुका है और उनमें जल्दी ही काम शुरू किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कौन कौन सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें आज तक काम नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी कोई तहसील नहीं है।

श्री सुगनचन्द जैन : मेरा मतलब था कि ऐसी कौनसी तहसीलें हैं जिनमें सिंचाई विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया गया है ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माना जाय ? कोई तहसील ऐसी नहीं है कि जिसमें काम न शुरू हुआ हो या फिर किसी भी तहसील में काम शुरू नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तहसील-वाइज़ लिस्ट दे दी है।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न यह पूछ रहे हैं वह यह है कि कौनसी ऐसी तहसील है जिसमें काम सिंचाई विभाग द्वारा शुरू नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब मैं (ग) भाग में दे चुका हूं। अचनेरा कनेरा।

श्री सुगनचन्द जैन ; और भैंसरोड़-गढ़ में ?

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट।

जयपुर डिवीजन में हरिजनों को बसेज़ चलाने के परमिट

५५. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर): क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर डिवीजन में कौन कौन से रूट पर हरिजनों को बसेज़ चलाने के परमिट दिये गये हैं ?

(ख) जयपुर से टोंक व जयपुर से अजमेर रूट के परमिट किसको दिये गये हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

(ग) गत पांच वर्षों में राज्य के कितने हरिजन लोगों को बसेज़ चलाने के परिमिट दिये गये ? उनके नाम, पता तथा रूट बतलावें ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) निम्नलिखित मार्गों पर :

१. जयपुर	भरतपुर
१. जयपुर	किशनगढ़
३. चांदीकुई	बालाजी
४. जयपुर	अलवर
५. खैरथल	बानसर
६. बहरोड	हरसोली-किशनगढ़
७. खडेला	टिकरिया
८. राजगढ़	प्रतापगढ़
९. नीमका थाना	टोरडा

(ख) जयपुर से टोंक किसी हरिजन को नहीं दिया गया। जयपुर से अजमेर रूट पर परमिट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

Page No.8

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ग) जो परमिट दिये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है ·

१. श्री मानसिंह करोल बाग, दिल्ली (जयपुर भरतपुर मार्ग)

२. हरिजन यातायात समुदाय, दिल्ली द्वारा मानसिंह करोलबाग, दिल्ली। (जयपुर—किशनगढ़ मार्ग)

३. हरिजन यातायात समुदाय, जयपुर (बांदी-कुई-बालाजी मार्ग)

४. लुभाना सिक्ख एसोसिएशन, अलवर (जयपुर-अलवर मार्ग)

५. लुभाना सिक्स एसोसिएशन (खैरथल-बानसूर मार्ग) ।

६ लुभाना सिक्ख एसोसिएशन (बहरोड़, हंसोली-किशनगढ़ मार्ग)

७. श्री मोहनलाल हरिजन (खन्डेला-ठिकरिया मार्ग)

८. श्री जगदीश कोली, राजगढ़ (राजगढ़-प्रतापगढ़ मार्ग) ।

६. श्री तुलसीराम मुकन्दराम हरिजन, नीम का थाना (नीमका थाना—टोरडा मार्ग)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो हरिजन नहीं हैं और वह हरिजनों के नाम पर परमिट लेकर बसें चला रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है कि लोग हरिजन नहीं हैं और हरिजनों के नाम पर परमिट लेकर बसें चला रहे हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या मंत्री महोदय को पता है कि किशनगढ़ से जयपुर के रूट पर ऐसी ही बसें चल रही हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या हरिजनों को परिमिट देने से पहले जो आवेदनकर्त्ता थे उनकी जांच कर ली थी कि वह हरिजन हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हरिजनों के लिये कोई परमिट देने में रिज़र्वेशन हो, ऐसी बात नहीं है । अगर कोई रिज़र्वेशन होता तो जांच करने की आवश्यकता थी । दफा ४० के मुताबिक जिनको परमिट देना चाहिये उनको ही परमिट दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी सदन में सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला था कि हरिजनों के उत्थान के लिए इन रूट्स पर परमिट दिये जायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई आश्वासन सदन में दिया गया हो मुझे ध्यान नहीं है । माननीय सदस्य अगर कोई ऐसा आश्वासन निकाल कर बता दें तो ठीक है । हम तो न केवल हरिजनों को ही बल्कि सभी को बिज़नेस पर लगाने का इरादा रखते हैं । मगर कोई हरिजनों के लिए परमिट आदि के देने में रिज़र्वेशन हो, ऐसी बात नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : हरिजनों का उत्थान करने के लिए सरकार की

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

ओर से क्या प्रयत्न किये गए हैं ? इन परमिटों के लिए कितने आवेदन-पत्र आये और इनमें से हरिजनों को कितने दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यहां नई बात पैदा कर रहे हैं जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस धंधे में भी हरिजनों को तरक्की दी जायेगा या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई कानून नहीं है कि हरिजनों को परमिट दिये ही जायें। हां हरिजन भी अगर कोई अच्छी हालत में हैं, बसेज़ वगैरह खरीद सकते हैं, उनमें सामान आदि लगा सकते हैं तो हरिजन भी बसेज चला सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सत्य है कि हरिजनों के ऐसे आवेदन-पत्र आये और उन्होंने उनमें लिखा कि वह बसें चला सकते हैं लेकिन उनको फिर भी परमिट नहीं दिए गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए तो उनको एस० टी० ए० के पास रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके यहाँ क्या बिना परमिट भी गाड़ियां चल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

कस्बा देवली में बिजली की व्यवस्था

५६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कस्बा देवली, तहसील केकड़ी में बिजली की कोई व्यवस्था है ?

(ख) क्या वहां कोई पॉवर हाउस है ? अगर है तो उसमें कितने इन्जन कितने कितने हॉर्स पॉवर के हैं और क्या वे बिजली दे रहे हैं या देने के काबिल हैं ?

उप विद्युत एवं सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा विभाग का एक पॉवर हाउस उनके किसी समय स्थिति इन्टर्नमेन्ट केम्प में चालू था। उस पॉवर हाउस में इस समय चार डी. सी. इन्जन इस प्रकार हैं—

एक इन्जिन	५० किलोवाट
दो इन्जन	३२ किलोवाट
एक इन्जन	५ किलोवाट

ये अभी चालू हालत में नहीं हैं और मरम्मत तलब हैं।

(ग) जी हां, इस वर्ष कार्य ही चालू होने की संभावना है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : यह पॉवर हाउस कब तामीर हुआ था ?

श्री भीखाभाई : यह पॉवर हाउस डिफेन्स मिनिस्टरी की तरफ से था, राजस्थान सरकार का नहीं। अलबत्ता राजस्थान सरकार द्वारा इसको टेक ओवर करने की योजना बनाई थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि अब भी यह पॉवर हाउस राजस्थान सरकार के देखरेख में है ?

Page No.10

श्री भीखाभाई - नहीं इस वक्त नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माहवार जाकर वहां कौन देखता है कि चालू हालत में है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : अभी तो वह पॉवर हाउस बन्द है उसकी हालत अच्छी नहीं है, मरम्मत तलब है।

एक माननीय सदस्य : अभी माननीय उपमन्त्री महोदय ने फरमाया था कि अंग्रेजी सरकार के नीचे, उनका कौन सी अंग्रेजी से मतलब था ?

श्री भीखाभाई : मैंने अंग्रेजी सरकार नहीं कहा, डिफेन्स मिनिस्टरी की बात कह रहा था। अभी तक उसको टेक ओवर करने की बात नहीं की है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या अभी तक देवली को ही टेक ओवर नहीं किया ?

श्री भीखाभाई : देवली तो आ गया है, किन्तु वहां पर जो सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार की है उसको टेक ओवर करने में समय लगेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो सुविधा अंग्रेजी सरकार के जमाने में थी वह सुविधा स्वराज्य मिलने के बाद लोकप्रिय सरकार के आने पर नहीं मिलने की क्या वजह है ?

श्री भीखाभाई : यह जो सुविधा थी वह डिफेन्स मिनिस्टरी की ओर से केम्प के लोगों के लिए थी, आम जनता के लिए नहीं थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो आम जनता की सुविधा के लिये सरकार इसको क्यों नहीं चलाती ?

श्री भीखाभाई : सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है और शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किलोवाट क्या चीज है ?

श्री भीखाभाई : इसके लिये आप डिक्शनरी देखलें तो ठीक ठीक समझ में आ जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह पॉवर हाउस कितने साल से चालू है, कब बन्द हुआ, स्वराज्य आने के बाद, या पहले से ही बन्द है ?

श्री भीखाभाई : इतनी सारी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, आप इसके लिये अलग नोटिस दीजिये ताकि जवाब दिया जा सके।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, एक तो हम आम जनता के फायदे के लिये सवाल पूछते हैं और उसका जवाब इस प्रकार दिया जाता है। दूसरा हमारे वित्त मन्त्री जी भी मदद नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार के जवाब दिये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : आपके प्रश्न करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करूं अजमेर सरकार का या राजस्थान सरकार का वहां कोई पॉवर हाउस नहीं है। कुछ अर्से

Page No.11

(श्री रामकिशोर व्यास)

पहले गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने वहां कुछ कैदी रखे थे और उनके लिए एक कैम्प बनाया था और उन लोगों के लिये यह पॉवर हाउस बनाया था जो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति है। अजमेर गवर्नमेंट ने तय किया था कि उसका सामान खरीद लिया जाय, उसको लेने की कार्यवाही चल रही है।

श्री तनसिंह : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह पॉवर हाउस राजस्थान गवर्नमेंट के कब्जे में अभी तक नहीं आया तो उसके स्पेसिफिकेशन जो बताये गये वह किस आधार पर बताये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोपर्टी को हमने देखा है और उसमें किस किस प्रकार के इन्जन हैं, किस हालत में हैं यह सब जांच हमने की है और उसी आधार पर यह बताया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन प्रिजनर्स के लिये वहां पॉवर हाउस था उसके साथ साथ वहां मकानात भी काफी थे और उन मकानात को डिमोलिश कर दिया और उनको बेच दिया गया, तो क्या यह केन्द्रीय सरकार ने बेचे या अजमेर सरकार ने ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका संबन्ध अजमेर और राजस्थान की सरकार से कतई नहीं, इसका ताल्लुक डिफेन्स मिनिस्ट्री से है।

बांसवाडा डिवीजन में बांस का ठेका दिया जाना

५७-श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५६-५७ में बांसवाडा डिवीजन (फोरेस्ट) में बांस का ठेका दिये जाने के लिए कितनी बार किस किस व्यक्ति ने कितने कितने रुपयों की बोली लगाई ?

(ख) यह ठेका किस के पक्ष में मन्जूर हुआ और कितने रुपयों में ?

(ग) क्या यह सही है कि सी. सी. एफ. ने इस ठेके को मन्जूर करने की सिफारिश नहीं की थी ? यदि हाँ, तो फिर यह ठेका क्यों मन्जूर किया गया ? सी. सी. एफ. के इस ठेके को मन्जूर किये जाने संबन्धी सिफारिश-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

वन मन्त्री-(श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) बांसवाडा डिवीजन में बांसों का ठेका दो बार दिनांक १०.८.५६ व ७.११.५६ को नीलाम किया गया।

पहली बार:—

नाम जंगल	नाम ठेकेदा जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई	रकम बोली
पाल ब्लॉक सो०	श्री नजर मुहम्मद	४६००१)
छापरी	श्री अब्दुल मजीद	६५२५)
वनजोई	श्री अब्दुल रहमान	५००१)

Page No.12

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दूसरी बार: —

पाल ब्लॉक सी०	श्री अहमद बक्स	२७५०१)
छापरी	श्री नच्चू भाई	३००१)
बनजोई	श्री गुलाम रसूल	३००१)

(ख) केवल एक जंगल पाल ब्लॉक सी० का ठेका २७५०१) में श्री अहमद बक्श के नाम मन्जूर हुआ।

(ग) जी हां, सी. सी. एफ. ने इस बिना पर कि ठेके की रकम पिछली बार की बोली से कम थी, ठेके को मन्जूर करने की सिफारिश नहीं की। लेकिन आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए एक ठेका मन्जूर किया गया।

श्री भैरोंसिंह : इस ठेके को मन्जूर करने में सरकार को कितना घाटा हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घाटा केलकुलेट कर लिया जाय, पहली दफा जो बोली लगाई गई थी वह ४६००१) की थी और दूसरी बार जब बोली लगाई तो २७५०१) की थी। इसके अन्तर को देखकर घाटा केलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इस घाटे का कारण सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। यह घाटा सरकार को क्यों बरदाश्त करना पड़ा ? पहली दफा जो ठेका दिया गया था उसमें डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर ने कुछ कन्डीशन्स ठेके की अपनी तरफ से रद्दोबदल कर दी थीं। उसने यह किया था कि ठेकेदार को बांस काटने का अधिकार दे दिया था, वह चाहे जितने बांस काट कर ले जा सकता है। लेकिन जब यह कन्डीशन की बात चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट के पास पहुंची तो उन्होंने यह आदेश दिया कि इस प्रकार की कन्डीशन के साथ हम यह ठेका मन्जूर नहीं कर सकते। जब इस प्रकार की कन्डीशन डी. एफ. ओ. ने मन्जूर कर ली उस हालत में ठेकेदार को बहुत फायदा था, उसके लिये ऊंची बोली लगा दी, लेकिन जब चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने कन्डीशन को हटाना मन्जूर नहीं किया तो उसी जंगल के लिए दुबारा बोली लगाई गई और बोली लगानेवाले वे ही ठेकेदार आये। उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ बोली तो जरूर लगानी चाहिये। जब बोली लगाई गई तो उसमें २७५०१) की बोली आई। इस सम्बन्ध में पिछले तीन सालों का रिकॉर्ड मंगा कर देखा गया तो यह बोली कम मालूम नहीं हुई। उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो बोली सबसे ऊंची थी वह २७०००) की थी। उस हिसाब से रीजनेबल प्राइस हमें मिल चुका था। इसलिए इस बोली को मन्जूर किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस २७५०१) की बोली को सरकार ने मंजूर किया उसको चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स के पास यह केस दुबारा गया तो उसने सारा रिकॉर्ड देखा और मिनिस्टर महोदय और सी. सी. एफ. ने यह तय किया कि २७५०१) की रकम ठीक है, अतः ठेका दे दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल का पर्टिकुलर जवाब चाहता हूँ।

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह)

क्या सी. सी. एफ. ने इस ठेके की रकम को रिजेक्ट किया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिजेक्ट किया था। तीनों ठेके सी. सी. एफ. ने नामन्जूर कर दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : २७५०१) के ठेके को नामन्जूर किया था तो सरकार के पास किसी ने अपील की थी या दरख्वास्तें आई थीं कि इस ठेके को रिजेक्ट न किया जाय और उसी व्यक्ति को वापिस दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अपील तो सरकार के सामने पेश किसी ने नहीं की।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो जब अपील नहीं आई तो ठेका मन्जूर कैसे कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोगों की डिमांड थी कि बांस हमें इस साल मिलने चाहिये। इस पर हमने पिछला रेकॉर्ड देखकर पता लगाया कि अगर २७ हजार में ठेका दे देते हैं तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिये दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों ने दरख्वास्तें दीं उनमें क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने २७ हजार की ऑफर दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक आदमी था और उसी को ठेका दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह भी बता सकते हैं कि ठेके को मन्जूर करने की दरख्वास्त किसकी तरफ से थी, जनता की तरफ से थी या इसी पार्टी की तरफ से थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी भी थी और बहुत सों की भी थी। कइयों की चल रही थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि उसी की दरख्वास्त चल रही थी जिसको कि २७ हजार में ठेका दिया गया था या सी. सी. एफ. के रिजेक्शन के ऑर्डर की अपील थी या यह था कि बांस एक बार कटने चाहिए जनता की सहूलियत के लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेका तो सरकार मन्जूर करती है। सी. सी. एफ. तो सिफारिश कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसने इसका ठेका रिजेक्ट कर दिया था और उसके खिलाफ ऑर्डर की अपील आपके पास की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सी. सी. एफ. को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है ; या तो वह सिफारिश करके भेजता है हमारे पास या सिफारिश नहीं भेजता है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सिफारिश करके नहीं भेजी तो क्या सरकार ने खुद ने मांगी उसकी सिफारिश ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अभी निवेदन किया था न कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के हेतु मन्जूरी दे दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जनता की दरख्वास्त आने से पहले सी. सी. एफ. ने इसी पार्टी के लिये सिफारिश की थी कि इसका ठेका मन्जूर न किया जाय ?

Page No.14

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सी. सी. एफ. ने यह भी शिफारिश की थी कि इसे अगले साल नीलाम किया जाय, क्या यह भी सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यह लिखा था ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर उसे ठेका क्यों दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता की सहूलियतों को ध्यान में रख कर इसी साल देना जरूरी था और इतने में देने से भी हमें कोई नुकसान नहीं था । हमने पुराने रेकॉर्ड देख कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : तो जिस समय सरकार ने यह निर्णय किया तो क्या उस वक्त सरकार ने यह नहीं सोचा कि दुबारा बोली लगवाई जावे, सम्भव है बोली कि रकम बढ़ जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दुबारा बोली पर ही तो यह सारा किस्सा हुआ है । दुबारा बोली लगाई गई थी ।

श्री भैरोंसिंह : दुबारा बोली लगाई गई थी जिसमें तो यह २७ हजार आया था और इसीको सी. सी. एफ. ने रिजेक्ट कर दिया था । इसके बाद यह उचित क्यों नहीं समझा गया कि तिबारा बोली लगाई जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने ४६ हजार की बोली लगाई थी वे सभी वहां दुबारा मौजूद थे ।

श्री भैरोंसिंह : उसे तो सी. सी. एफ. ने अपनी सिफारिश में रिजेक्ट कर दिया था । तिबारा और लगानी चाहिये थी क्योंकि वे सभी ठेकेदार आपस में मिले हुए थे और इसलिये २७ हजार से आगे नहीं बढ़ रहे थे और यही जानते हुए सी. सी. एफ. ने रिजेक्ट किया था और आइन्दा जाकर और बोली लगाने की बात कही गई थी, ताकि बोली की रकम बढ़े । तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तैयार भी थे इसके लिये । पर इस साल टाइम नहीं रह गया था और लोगों की मांग भी थी इसलिये ऐसा कर लिया गया, फिर हमने अपने पुराने रेकॉर्ड से भी मुकाबला करके देख लिया कि हमें इसमें भी कोई खास नुकसान नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेका मन्जूर होने की तारीख से साल के खत्म होने में केवल तीन महीने बारह दिन बाकी थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तारीखें आपको बतादीं ।

श्री भैरोंसिंह : वही तो मैं कह रहा हूं कि १०-६-५६ को पहली बोली लगी और ७-११-५६ को दुबारा बोली लगी थी, तो इस ७-११-५६ के बाद चार महीने रहते हैं । अगर इस अर्से में सरकार चाहती तो दुबारा और बोली लगवा सकती थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे ज्यादा ऊंची बोली का सरकार को अन्दाज नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह : यह अन्दाज सरकार ने कैसे लगा लिया ?

Page No.15

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि इस तरह के ऐसे एरिया का, इस क्वालिटी के बांस का पिछले तीन सालों के रेकॉर्ड देखने से पता लगा कि हाईएस्ट बिड आया था लास्ट ईयर जो कि २८ हजार था, इसलिये हमने सोच लिया कि यह ठीक है और हमने इसे मन्जूर कर लिया इस शर्त के साथ कि परमिट नाकेदार इश्यू करे।

श्री भैरोंसिंह : इस एक आधार को मानकर एवरेज की दृष्टि से ठेका दिया जाना क्या उचित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २६ हजार के एवरेज से भी ऊंचा था इसलिये हमने यह सोचा....

श्री भैरोंसिंह : ऊंचा नहीं नीचा है २८ हजार से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और क्वेश्चन्स करने हैं। मुझे इसमें २० हजार रुपये का घोटाले का मामला प्रतीत हो रहा है। २० हजार का घोटाला इसमें दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष : जो जो इन्फोर्मेशन आपने चाहीं वे आपको मिल चुकी हैं। अब अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है।

नेक्स्ट, श्री बहादुरसिंह।

धौलपुर व भरतपुर में सिंचाई की दरें

५८. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धौलपुर व भरतपुर में सिंचाई की दरें पृथक-पृथक हैं ?

(ख) अगर हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार एकसी दर कायम करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह एवं सिंचाई मंत्री : (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां ! जहां तक पहली जनवरी, सन् १९५२ से पूर्व बने कामों से सिंचाई का प्रश्न है, बाद के बने कामो से सिंचाई रेट समान दर से निर्धारित है।

(ख) राजस्थान के एकीकरण के पूव से इन क्षेत्रों में विभिन्न दरें रही हैं।

(ग) और (घ) यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री बहादुरसिंह : यह कब तक रहेगा, साहब ?

श्री रामकिशोर व्यास : दरें हमेशा ही रहेंगी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन कब तक रहेगा, यह पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी ही निर्णय कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : धौलपुर और भरतपुर की रेटों में अन्तर रहने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया न कि इन्टीग्रेशन में जो रेटें थी वही चली आ रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आज दस दस साल हो जाने के बाद भी उन्हें बदलना आप वाजिब नहीं समझते ? इसमें भी आपने दस साल लगा दिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सन् ५६–५७ में नगरपालिकाओं का चुनाव

५६ : श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५६–५७ में किस किस तारीख को किस किस नगरपालिका के चुनाव सम्पन्न हुए ? तत्सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) चुनी हुई इन नगरपालिकाओं के सदस्यों को किस किस तारीख को नगरपालिका का कार्यभार सौंपा गया ?

(ग) चुनाव की तारीख से दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद तक जिन नव-निर्वाचित नगरपालिकाओं को कार्यभार नहीं सौंपा गया उनके प्रत्येक के क्या क्या कारण हैं, विवरण सहित बताये जावें ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उसको उत्तर अगले टर्न पर दिया जावेगा।

बाडा पदमपुरा (चाकसू) में बिजली की लाइन

६० : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील चाकसू के बाडा पदमपुरा स्थान में बिजली की लाइन ले जाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो बिजली कब तक लग जावेगी और इस लाइन का रूट किधर होकर होगा ?

(ग) क्या चाकसू वाटिका और गोनेर में भी बिजली लगाने की कोई योजना है ?

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) अब यह कार्य योजना में नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह इस योजना में कब तक ले लिया जावेगा ?

श्री भीखाभाई : अब तक जो पंचवर्षीय योजना में धन-राशि रक्खी गई है वह काफी नहीं है और न यह योजना उन सिद्धान्तों में आती है। इसके बारे में फिर एक कमेटी भी मुकर्रर की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर इस पर विचार किया जावेगा

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे सिद्धान्त कौन से हैं जिनके अन्तर्गत यह योजना आती है ?

Page No.17

श्री भीखाभाई : I do not follow the question, please repeat it.

श्री अध्यक्ष : ऐसे कौनसे सिद्धान्त हैं जिनके द्वारा यह लाइन नहीं आ सकती इस योजना में ?

श्री भीखाभाई : सिद्धान्त का सवाल नहीं है, क्वेश्चन ऑफ प्रायरिटी है। Planning is nothing but a question of priority.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार के कोई नियम घोषित कर रक्खे हैं कि ऐसे केसेज उसमें आ सकते हैं? अगर वे नियम हों तो बताने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : पद्मपुरा एक छोटा कस्बा है इसलिये इसको कोई योजना नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई योजना नहीं बनाई।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : बाडा पदमपुरा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां बिजली नहीं होने से यात्री काफी अन्धकार में रहते हैं और दिक्कतें महसूस करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : तीर्थ स्थान मान लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर जू के वर्तमान सुपरवाइज़र का कन्फर्मेशन

६१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) जयपुर जू का वर्तमान सुपरवाइज़र कौन है तथा इस पद पर इनकी नियुक्ति व कन्फर्मेशन कब हुआ ?

(ख) क्या इनकी नियुक्ति को पी. एस. सी. ने अनुमति दे दी है ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या यह सही है कि सर्विसेज़ में सीनियर कई कर्मचारियों का हक मारकर इनका कन्फर्मेशन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जयपुर जू के वर्तमान सुपरवाइज़र श्री रामकृष्ण यादव हैं। इस पद पर उनकी नियुक्ति २४।२।५५ को हुई और कन्फर्मेशन १६।१०।५६ को हुआ।

(ख) इस पद पर नियुक्ति के लिये पी. एस. सी. के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनको जू-सुपरवाइजर के पद पर कन्फर्म नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कर दिया, मैंने तारीख बता दी है न।

श्री भैरोंसिंह : उनकी नियुक्ति किस पद पर हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जू-सुपरवाइज़र के पद पर। शुरू शुरू में यू. डी. सी. के पद पर।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय इनकी यू. डी. सी. के पद पर नियुक्ति हुई और बाद में जिस वक्त सुपरवाइज़र के पद पर नियुक्ति की गई तो उस वक्त और भी कई सीनियर यू. डी सी. थे उनसे, उनको इस पद के लिये शुमार क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों का एक ही ग्रेड है ।

श्री भैरोंसिंह : यू. डी. सी. का और सुपरवाइजर का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर सुपरवाइजर होने के नाते उसे अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ भी विशेष नहीं दिया जाता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सुपरवाइजर होने के नाते यू. डी. सीज़. में सीनियर नहीं समझे जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कतई नहीं समझे जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति पहले एल. डी. सी. में हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं ।

रूपवास व बयाना में पुराने बांधों का जीर्णोद्धार

६२.श्री **श्री भानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to State:

(a) How many Irrigation bunds constructed by the former Bharatpur State in Tehsil Rupbas and Bayana of Bharatpur District have broken embankments and culverts due to lack of repairs?

(b) How many will be repaired this year and are the following amongest them:

(1) Upper and Lower Raseri Bund in Bayana Tehsil.

(2) Jaisore Bund in Bayana Tehsil.

(3) Gujar Balai Bund in Rupbas Tehsil.

(4) Bhensa Bund in Rupbas Tehsil.

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (a) and (b). No works have breached due to inadequacy of repairs in these areas since the formation of Rajasthan. Fourteen of these (out of 28) have already been improved and the remaining will also be attended as funds become available.

The works of Upper and Lower Raseri and Gujar Balai bunds are under the control of panchayats as irrigation under them is below 50 acres. Their repairs cannot therefore be done out of irrigation fund. Estimates for repairs to Jaisore and Bhensa bunds have been prepared and work on the latter has already been taken up. Urgent repairs will also be done on other works according to necessity this year.

नैनवारी जागीर (जि० उदयपुर) के जंगल का ठेका

६३. श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि नैनवारा जागीर जिला उदयपुर के जंगल का ठेका मोहनलाल कलाल को वहां के जागीरदार द्वारा दिया हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ठेके की मियाद खत्म होने पर सरकार के बिना नीलाम किये ही उक्त ठेकेदार के ठेके की मियाद सन् ६० तक बढ़ा दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। ३००० रु० की ठेके की रकम के अलावा २५ प्रतिशत रकम और अधिक देने की शर्त पर मियाद सन् १९६० तक बढ़ाई गई है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने २५ पर्सेन्ट रकम बढ़ाने का तरीका कौनसा निकाला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तरीका सरकार के पास है तभी तो निकाला है।

श्री भैरोंसिंह : बोली न लगाकर २५ पर्सेन्ट ज्यादा पर देने की कौनसी वजह है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कि कुछ फोरेस्ट्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ पुरानी गवर्नमेन्ट्स की टाइम में अलग अलग मयाद पर लीज़ दिये गये थे, अलग अलग फोरेस्ट्स लीज़ के मुताबिक वर्क कर रही है। उन्होंने पर्मानेन्ट मोटरेबल रूट्स बनाये हैं और साइन्टिफिक वे में एक्सप्लोर करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। इस वजह से मयाद समय समय पर सरकार ने बढ़ाई है। उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेन्ट को ज्यादा घाटा न हो और जिन लोगों ने रुपये लगाये हैं उन लोगों को रीज़नेबल रेम्युनरेशन मिल जाय इसलिए २५ पर्सेन्ट बढ़ाकर लीज़ की मयाद सन् ६० तक कर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार इस कन्क्ल्युज़न तक कैसे पहुंची कि २५ पर्सेन्ट रकम बढ़ाती है उससे अधिक रकम सरकार को नहीं मिलेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि यह फोरेस्ट कितना Produce करता है, बाजार में इस प्रोड्यूस से क्या मिलता है और कितना पर्सेन्ट लेने से हमको ठीक रहेगा। इसी के आधार पर २५ पर्सेन्ट बढ़ाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : २५ पर्सेन्ट रकम बढ़ा गर ठेका मंजूर किया गया है, क्या यह इन्हीं केलकुलेशन्स के आधार पर किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी ठेकेदार को पहले २५ पर्सेन्ट न बढ़ाकर ठेका नामंजूर कर दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए अलग अलग तारीखों में अलग अलग बातें हुई हैं; इसमें एक बार १० पर्सेन्ट बढ़ा था। अब इनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है इसलिए अब २५ पर्सेन्ट कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेके

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

की रकम १० पर्सेन्ट बढ़ाने के बाद दुबारा २५ पर्सेन्ट देने को वह तैयार हो गया था, इसके बावजूद भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिजेक्ट करने के बाद इसने गवर्नमेन्ट के पास अपील की थी उसे कंसीडर करके २५ पर्सेन्ट ज्यादा पर मयाद बढ़ाई गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कंसीडरेशन सरकार की तरफ से हुआ था या सी. सी. एफ. की तरफ से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पहले सरकार ने ठेका देने के लिए मना किया है लेकिन फिर दुबारा अपील लेकर इसे मंजूर किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो फिर क्या जवाब दूं ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न के जवाब अभी तक आने हैं। यदि मन्त्रीजी चाहें तो दूसरे दिन जवाब देने के लिए रख दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एक नया प्रश्न है, पुराने प्रश्नों के उत्तर बाकी नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है :

(क) क्या यह सही है कि नैनवारा जागीर, जिला उदयपुर के जंगल का ठेका मोहनलाल कलाल को वहां के जागीरदार द्वारा दिया हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ठेके की मियाद खत्म होने पर सरकार ने बिना नीलाम किये ही उक्त ठेकेदार के ठेके की मियाद सन् ६० तक बढ़ा दी है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब मैंने दिया कि मयाद बढ़ाई गई है।

श्री भैरोंसिंह : सन् ६० तक बढ़ाई जाय, यह निर्णय कैसे लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी कंडीशन को देखते हुए बढ़ाया गया है। २५ पर्सेन्ट बढ़ाने से उसको भी ठीक रहेगा और गवर्नमेन्ट को भी आमदनी होगी। यही समझ कर बढ़ाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कमिटमेन्ट भी किया गया है अगर वह और इन्वेस्टमेन्ट करेगा तो उसकी मयाद और बढ़ा दी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई कमिटमेन्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि कोई कमिटमेन्ट नहीं है तो दुबारा उसको लीज़ क्यों दिया गया, गया, नीलाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे कई पुराने लीज़ हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं। यह एक ही केस ऐसा नहीं है।

Page No.21

श्री भैरोंसिंह : जब पहली बार लीज़ दिया गया था तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा एग्रीमेन्ट था कि आगे नीलाम करके नहीं बल्कि बढ़ाकर दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल, यह एग्रीमेन्ट में लिखी हुई बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पिछली बार जब बोली लगाई गई थी उस समय उसमें यह बात नहीं थी कि इन्वेस्टमेन्ट के आधार पर रकम बढ़ाकर उसी व्यक्ति को फिर से दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो लीज़ गवर्नमेंट को आमदनी दे रहा है, उसकी कंडीशन ठीक है तो उसकी मयाद में यह बात रखी जाती है कि अगर सन्तोषजनक काम हुआ तो दुबारा उसको दिया जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member is making contradictory statements. First he said that there is no guarantee that the contract will be extended in case the person makes an investment. Now he says that the contract will be given an extension by making increases in the percentage if the person makes any investment. These are contradictory statements.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ओब्लीगेटरी शर्त नहीं होती है कि यदि आप ठेके की मयाद नहीं बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ानी ही पड़ेगी।

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member has given contradictory statements. in one statement he said that even if there is investment, there is no guarantee that the contract will be extended by making increases in the rates. Now in the second statement he said that when the contract was given there was a definite agreement for making an investment....

श्री नाथूराम मिर्धा : No, that is not the case.

श्री पी. के. चौधरी : You just said like this.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेका पहले दिया गया था वह सरकार की तरफ से नहीं दिया जाकर जागीरदार की ओर से दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर (क) भाग में आ गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जागीर में है।

(बढ़कर)

The contract of the Nainwara Forest was given by the Former Mewar Government, and not by the Jagirdar, for five years from 1. 6. 48. to 31. 5. 53.

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सेल्फ कोंट्रेडिक्टरी है। एक तरफ तो कहते हैं कि जागीरदार ने दिया और दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं। कौन सी बात को ठीक मानें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

Page No.22

झोटवाड़ा से ग्राम खोरा बीशल तक सड़क बनाने की योजना

६४. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील आमेर में झोटवाड़ा से ग्राम खोरा बीशल तक, बैनाड स्टेशन को मिलाती हुई एक सड़क बनाये जाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो किस कारण से ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) नहीं।

(ख) अर्थाभाव के कारण।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : किधर से सड़क निकालनी है, इसका सर्वे हुआ या नहीं ? सर्वे हुआ तो कब हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक तो सर्वे नहीं हुआ है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पहले सड़क निकालने का सर्वे किया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्री ऐसी जानकारी प्राप्त कर सड़क निकालने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़कें तो हमारी योजनाओं के अनुसार, इलाके की इम्पोर्टेन्स देखते हुए बनाते रहते हैं। इस एरिया की जब बारी आयेगी तब विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस सड़क की कब बारी आयेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

राजस्थान के जिला बोर्डों के मनोनीत सदस्य

६५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किस-किस जिला बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं और वे किस-किस तारीख से हैं ?

(ख) इन सदस्यों में उस क्षेत्र में आने वाली नगरपालिका के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(ग) नगरपालिका के सदस्य होने पर जिला बोर्ड की सदस्यता से इनको पृथक क्यों नहीं किया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (क) राजस्थान में जिला बोर्ड जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक (मालपुरा), सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, अजमेर व भीम में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नियुक्त हैं। इन जिला बोर्डों के मनोनयन की तारीख इस प्रकार है :

जिला बोर्ड, जयपुर : राजस्थान राजपत्र क. ६ दिनांक १३. ४. ५३ में प्रकाशित

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नोटिफिकेशन संख्या एफ. १।बी। २५ एल. एस. जी. ।ए। १. दिनांक १०. ४. ५३ द्वारा सदस्य मनोनीत किये गये हैं; इन सदस्यों ने ६. ५.५३ की बैठक में शपथ ग्रहण की है।

जिला बोर्ड सवाई माधोपुर: ३-२-५४
जिला बोर्ड, टोंक (मालपुरा) - ७-१-५४ व १०-५-५४
जिला बोर्ड, सीकर : ३१-१२-५३
जिला बोर्ड, झुंझुनू : २-१-५४
जिला बोर्ड, डूंगरपुर : १-८-४८
जिला बोर्ड, अजमेर : ७-६-५६
जिला बोर्ड, भीम : सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) निम्न सदस्य उस क्षेत्र में आने वाली नगरपालिकाओं के भी सदस्य हैं :

१. श्री श्रवणलाल, अध्यक्ष, सवाई-माधोपुर, जिला बोर्ड टोंक, सदस्य नगरपालिका हिण्डोन।

२. श्री चांदबिहारीलाल, अध्यक्ष, जिला बोर्ड टोंक (मालपुरा), सदस्य नगरपालिका, मालपुरा।

३. श्री ज्ञानचंद मोदी, सदस्य, जिला बोर्ड सीकर, अध्यक्ष, नगरपालिका नीम का थाना।

४. श्री महादेव प्रसाद वर्मा, सदस्य जिला बोर्ड, झुंझुनू, सदस्य नगरपालिका, झुंझुनू।

५. श्री भूरीचन्द जैन, अध्यक्ष, जिला बोर्ड, डूंगरपुर, सदस्य नगरपालिका, डूंगरपुर।

६. श्री रामजीलाल, सदस्य जिला बोर्ड, डूंगरपुर, सदस्य नगरपालिका, सागवाड़ा।

७. श्री देवीलाल, सदस्य जिला बोर्ड, अजमेर, सदस्य नगरपालिका, अजमेर।

८. श्री सुगनचन्द, सदस्य, जिला बोर्ड, अजमेर, सदस्य, नगरपालिका अजमेर।

९. श्री कन्हैयालाल, सदस्य, जिला बोर्ड, अजमेर, सदस्य, नगरपालिका विजयनगर।

(ग) राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम, १९५४ में ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि नगरपालिका का सदस्य होते हुये जिला बोर्ड का सदस्य न बन सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम के अनुसार जिला बोर्ड के सदस्य होने के लिये यह आवश्यक है कि १८० दिन व्यक्ति बाहर गांवों में रहे ? बाहर गांव में १८० दिन रहने के सर्टीफिकेट को प्राप्त करने के बाद जिला बोर्ड का मेम्बर बन सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये बोर्ड पहले के बने हुये हैं; नये एक्ट के अन्तर्गत नहीं बने हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो जिला बोर्ड पहले एक्ट के मातहत बने हुए हैं वे नये एक्ट के मातहत ही समझे जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ठीक है, इसीलिये वे जायज हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर इनको हटाया क्यों नहीं जाता ?

Page No.24

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव होने पर हटा दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह अवैधानिक नहीं है जब कि यह प्रोवीजन है कि जो नगरपालिकाओं के मेम्बर हैं, वे जिला बोर्डों के सदस्य नहीं बनाये जा सकते ? जो ऐसे सदस्य हैं, उनको सदस्यता से अलग क्यों नहीं किया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो वे जायज हैं, लेकिन आयन्दा के लिये ऐसे व्यक्तियों को सदस्य नहीं बना सकते। नई कमेटी के आने के बाद यह बात एक्ट के खिलाफ आती है।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार की ऐसी मन्शा है कि नगरपालिका के जो सदस्य हैं वे जिला बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते तो फिर इस मन्शा के बावजूद ऐसे लोगों को क्यों मनोनीति किया हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्योंकि यह पहले एक्ट के अनुसार जायज हैं इसलिए वे सही रिप्रजेन्टेटिव हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार की मन्शा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नगरपालिका के सदस्य जनता के रिप्रजेन्टेटिव नहीं हो सकते तो फिर नगरपालिका के सदस्यों को जिला बोर्ड का सदस्य क्यों बनाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अनुसार यह जायज है, इसलिए उनको हटाने की पॉवर हमारे पास नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने ऐसी कोशिश की है कि जिसके द्वारा इन मेम्बरों को हटा सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब कानूनन जायज है तो उसको हटा कैसे सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : पहले वाले कानून के अनुसार जायज है लेकिन नये कानून के अनुसार नाजायज हैं, इसलिए उनको हटाने की दरख्वास्त की जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयन्दा जब बोर्ड बनेंगे तब यह नाजायज होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सरकार ऐसा कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नये एक्ट के के अनुसार नये मेम्बर नोमीनेट कर दे, पहले वालों को हटा सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका उत्तर पहले अर्ज कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

घाट से होती हुई गलताजी तक की सड़क का जीर्णोद्धार

६६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री गलताजी, जो स्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, एक तीर्थ स्थान है ?

(ख) क्या वहां जाने के लिए पुराने घाट होकर जंगल में होती हुई एक सड़क गई हुई है ?

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(ग) यदि हां, तो यह सड़क किस समय में बनाई गई थी और इसकी मरम्मत कौन से सन् में हुई थी ?

(घ) क्या यह सत्य है कि अब यह सड़क बारिश से काफी टूट-फूट गई है जिससे उक्त रास्ते से जाने वाले लोगों को असुविधा होती है ?

(ङ) यदि हां, तो अब यह सड़क कब तक ठीक करा दी जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) सन् १६४४-४५ में समय समय पर इसकी साधारण मरम्मत होती रहती है ।

(घ) उक्त रास्ता संतोषजनक नहीं है किन्तु इतना खतरनाक भी नहीं है ।

(ङ) इस वर्ष कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आपने (ङ) भाग का उत्तर नहीं दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उत्तर दिया कि इस वर्ष कार्य किये जाने की सम्भावना है ।

प्रश्न संख्या ६७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

चित्तौड़ जिले में १६५४ से सहकारी तहसील समितियों की स्थापना

६८. श्री सुगनचन्द जैन (बैगूं) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तौड़ जिले में कहां कहां पर सन् १६५४ से आज तक कितनी सहकारी तहसीलवाइज़ समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) कौन कौन समितियों को किस किस काम के लिए कितना कितना लोन मिला है ?

(ग) कौन कौन सी तहसीलें ऐसी हैं जिनमें समितियां नहीं खोली गई हैं ?

(घ) इस जिले में कहां कहां पर कौन कार्य-कर्त्ता काम कर रहे हैं और किस किस कार्यकर्त्ता ने ज्यादा समितियां खोलीं ?

(ङ) क्या कोई ऐसी समिति भी है जिसने सरकार द्वारा रकम न दिये जाने के कारण काम नहीं किया ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से शीघ्र ही रकम दिलाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारी मन्त्री (श्रीं नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) बड़ी सादड़ी, भैंसरोड़गढ़, मदेसर और कनेरा तहसीलों में कोई समिति नहीं खोली गई ।

(घ) अमला जी चित्तौड़ जिले में कार्य कर रहा है तथा उनके द्वारा जो समितियां खोली गई हैं उनका व्योरा निम्न प्रकार है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

संख्या	नाम	पद	हैडक्वाटर	खोली गई समितियों की संख्या
१.	श्री सुशीलकुमार गुप्ता	निरीक्षक	चित्तौड़गढ़	६
२.	श्री हरिप्रसाद मित्तल	,,	कपासन	४
३.	श्री मोतीलाल मेहता	सहायक निरीक्षक	प्रतापगढ़	१
४.	दुर्गाशंकर	,,	बेंगू	....

(ङ) इस प्रश्न का यह भाग सरकार को दूसरी प्रकार से भेजा गया था जिसका उत्तर तैयार है। आज के प्रश्नों की सूची में यह भाग अन्य प्रकार प्रकाशित किया गया है, इसका उत्तर एकत्रित करने के लिए समय चाहिए।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नया प्रश्न तो तैयार नहीं किया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : नया प्रश्न जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : एडीटिंग की वजह से कुछ हेर फेर हो सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल ही तब्दील किया गया है।

श्री अध्यक्ष : किसी दूसरी तारीख को जवाब दे दें।

नेक्स्ट।

तहसील कोटपुतली की ग्राम पंचायतों के चुनाव

६६ : **श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोटपुतली में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पंचायतों के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(ख) इन गांवों में चुनाव न हो सकने का क्या कारण है ?

(ग) सरकार इन चुनावों को कब तक सम्पन्न करवाने का विचार रखती है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) मार्च के अन्त तक आम चुनावों के कारण निर्वाचन स्थगित करवाने पड़े, अब निर्वाचन करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ग) माह मई के अन्त तक।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

बयाना, बसेडी व बाडी तहसीलों में चराई शुल्क

७०. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Forest Minister be pleased to state :

(a) Is the Government aware of the high grazing fee charged by the forest department in Bayana, Baseri and Bari Tehsils of Bharatpur District ?

(b) For how many months in a year is the fodder available in the above hilly Tehsils ?

(c) Does the Government intend to revise and induce the fees ?

(d) Have any representations been made by the people and Panchayats of the above-mentioned Tehsils ?

(e) If yes, what action has the Government taken so far ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) No. Grazing fees charged by the Forest Department are not high.

(b) No definite information available, but fodder lasts for about 5 to 6 months in a year.

(c) The question is under consideration of the Government.

(d) Yes.

(e) The matter is under consideration of the Government.

तहसील कोटपुतली में जिला बोर्ड के अध्यापकों के बाकी वेतन का भुगतान

७१. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोटपुतली में जिला बोर्ड के अध्यापकों के वेतन का कितना कुल एरियर कब से बाकी है और क्यों ?

(ख) अध्यापकों के वेतन का सामयिक भुगतान न होने का क्या कारण है ?

(ग) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (क) तहसील कोटपुतली में जिला बोर्ड के अध्यापकों का २५२ रुपये वेतन का एरियर है।

महाराजलाल के १६२ रुपये माह जनवरी, फरवरी और मार्च के।

(प्रहलाद चन्द के ६५) अगस्त, १९५५ के।

(ख) यह एरियर इन अध्यापकों की छुट्टी का है, उनका मेडीकल सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं हुआ इसलिए वेतन नहीं भेजा जा सका।

(ग) सर्टीफिकेट प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बयाना, बसेडी व बाडी तहसीलों में कृषि योग्य लकड़ी लाने की छूट

७२. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) :

Page No.28

(श्री श्रीमानसिंह)

Will the Forest Minister be pleased to state :

(a) Are the villagers of Bayana, Baseri and Bari Tehsils of Bharatpur District allow to bring logs of wood for purposes of Agricultural implements ?

(b) If not, why and what alternative facility does the Government intend to provide to the cultivators of these hilly areas ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) जी हां।

(b) The question does not arise.

गत वर्ष नगरपालिकाओं द्वारा की गई ऋण की मांग

७३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६-५७ में किन किन नगरपालिकाओं ने सड़क, पानी आदि की व्यवस्था के लिये किस कदर ऋण (लोन) की मांग सरकार से की और उनमें से किन किन को किस कदर ऋण की स्वीकृति दी गई तथा किन किन को रकम (लोन) मिल गई है ?

(ख) क्या नगरपालिका उनियारा ने भी इस सम्बन्ध में सरकार से प्रार्थना की है ?

(ग) अगर हां, तो उपरोक्त नगरपालिका को कब तक ऋण (लोन) मिलने की आशा की जावे ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) नगरपालिका उनियारा को १५,९६४ रु० सड़कों के वास्ते मन्जूर किये थे।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची नहीं मिली है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनियारा के लिए जो रकम मन्जूर की गई थी, वह पार साल नहीं दे सके, इस साल विचार किया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : विचार किया जायगा या दे दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी बजट मन्जूर नहीं हुआ है। बजट मन्जूर होने के बाद दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

१२.१०—म० १०

राजस्थान एन्टर्टेनमेंट्स टैक्स बिल, १९५७ (पुरःस्थापित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) :

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एन्टर्टेनमेंट्स टैक्स बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.29

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित मंत्री) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।
राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल, १९५७ (पुरःस्थापित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

जो पक्ष में हों 'हां' कहें। ('हाँ' की आवाज)

जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, किसी भी बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करने से पहले मन्त्री महोदय के लिए यह जरूरी है कि हमें उस बिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, नहीं तो हम सब लोग डार्क (dark) में हैं कि किस बात की 'हां' और 'ना' है ? बिल क्या है जिसको पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाही जा रही है ? बिना इस प्रकार की जानकारी कराये सदन से इस प्रकार 'हां' और 'ना' कराना उचित नहीं समझा जा सकता। इसलिये आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करने से पूर्व या तो इस बिल की कॉपी दें या थोड़ी सी हमें जानकारी दें कि यह बिल क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह बिल किस बारे में है, यह तो इससे स्पष्ट हो जाता है और अगर मन्त्री महोदय इस बारे में छोटा सा स्टेटमेंट दे दें कि किस बारे में है तो सदस्य महोदय को जानकारी हो सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को ......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ओन ए पोइन्ट आफ ऑर्डर, सर, रूल्स ओफ प्रोसीजर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पेश करने की आज्ञा के पहले उस बिल को सर्कुलेट किया जाय या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जाय। And therefore, the objection of the hon'ble member is not according to Rules.

श्री अध्यक्ष : It was not an objection. It was just a submission and, therefore, I had merely suggested that hon'ble Minister may make a brief statement regarding the Bill.

श्री श्रीभानसिंह : In that case the hon'ble member will demand a copy of the Bill and we will have to make a provision to give a copy of the Bill to the hon'ble members in advance.

श्री अध्यक्ष : It is not possible to give a copy of the Bill in advance.

श्री श्रीभानसिंह : In the event of the hon'able Minister making a

(श्री श्रीमानसिंह)

statement it is the duty of the House to discuss the statement of the hon'ble Minister and a sort of debate will ensue. It is a preliminary objection on the introduction stage and if the hon'ble Minister makes a statement then I have to submit that the Bill may not be permitted to be introduced.

श्री दामोदरलाल व्यास : Then, of-course, I feel that there is no necessity of giving any statement. The title of the Bill is self-explanatory. In the last Assembly Session it was passed, published in the Gazette and only because it could not receive the assent of the President, I have to re-introduce it. If my statement will be taken as an occasion for a debate in the House, then, I think there is no need for a statement.

श्री अध्यक्ष : There would be no debate to on the statement.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, इस बिल को गत असेम्बली के अधिवेशन में पेश किया गया था और इसे पास भी किया गया था पर इस पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी और इसके पहले अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण हो गया, इसलिये यह कानून के रूप में पास नहीं हो सका।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि राजस्थान में किसानों के ऊपर कर्जा है उसकी तादाद बहुत बड़ी है, उससे किसानों को राहत दिलाना आवश्यक समझा गया। पहले अलग अलग रियासतों में इन्टेग्रेटिंग स्टेट्स में, कई जगह इस प्रकार के कानून थे कि उनसे किसानों को राहत दिलाई जा सकती थी, कहीं अदालतें थीं और कहीं ऐसे कानून बने हुए थे जो कर्ज की सूद की रकम से, कर्ज से किसानों को राहत दिलाते थे, कहीं ज्यादा सूद लेने वाले लोगों पर पाबन्दी थी और ज्यादा सूद लेने की रोक के लिए कानून बने हुए थे। इसके लिए यूनिफाइड लॉ राजस्थान के लिए होना जरूरी था। वह पहले की विधान सभा के अधिवेशन में पेश किया गया था, पास भी किया गया था, पर टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से कानून का रूप धारण न कर सका। इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि किसानों पर सूद दर सूद ज्यादा लगा कर कर्ज की बड़ी रकम बढ़ा दी जाती है, उससे उनको राहत दी जाय। बोहरे लोग किसानों से ज्यादा सूद न ले सकें, उनको इस कर्ज के बोझ से बचाने के लिए यह कानून बनाया जाना आवश्यक है। इस बात का इस बिल में ध्यान रखा गया है कि बोहरे लोग हैं उनको भी अनरीजनेबल हार्डशिप्स का मुकाबला न करना पड़े। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि किसानों को राहत दिलाने के लिए यह कानून पेश किया गया है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : I raise a point of order. Now since the statement made by the hon'ble Minister is very controversial it is my right to make another suggestion on the Bill. I make a preliminary objection that the Bill may not be introduced in the House and make a submission as to how the Chair will prevent me from......

Page No.31

श्री अध्यक्ष : It is open to the hon'ble member to raise an objection, if he so wishes, at the introduction stage. but there can not be any general debate on the statement made by the hon'ble Minister.

श्री श्रीमानसिंह :The Reasons and Objects of a Bill are subject to a dicussion in the House.

श्री अध्यक्ष : There is a motion before the House for leave to introduce the Bill. Is there any objection to this ?

श्री श्रीमानसिंह I raise an objection, sir,

Mr. Speaker, of course, we must take as a (very) welcome sign from our Government that it has come out with a Bill to crush the money-lenders and and ameliorate the condition of the agriculturists. But what is my preliminary objection against the Bill and the reasons just now stated by the hon'ble Minister is this that in the event- no doubt the presistent policy of the Government is to eliminate the intermediaries but my objection is this that in the event, when there are no money-lenders what is the subsequent arrangement or what will be the credit faclities that the Government will provide to the cultivators ? This, the hon'ble Minister did not make clear in his statement . In agriculture the prime need of the cultivators is the availability of credit facility and if we are unable to see that in the event when there will no money-lenders, no machinery to provide for the immediate relief of their credit needs for productive or unproductive purposes and there is no other machinery to replace it, in that event when a vacuum will be created, who will fulfil the needs of the agricultural class ? With this view and as the implication of the Bill has been made clear to the House, I, but for its implications on the agrarain economy of our State, would not have made this objection.

Therefore, I would like to know who will fill this vacuum in the event when the money-lenders are abolished.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : Perhaps the hon'ble member is under the impression that the Money-Lenders Bill, which has to come in the Assembly latter, is before the House. It is not a Money-Lenders Bill. This is not a Bill for the relief of agricultural indebtedness . The question of Money Lenders protection will come only when the Money-Lenders Billis before the House. So far as this Bill is concerned we have given certain relief to the tenants but side by side we have given protection to the money-lenders

(श्री दामोदरलाल व्यास)

also. They will get their due on account of interest as well as principal but they will not be allowed to charge excess. There is no cause for fear for the money-lenders. That Bill, when introduced in the House, later on, my friend will have the opportunity to plead his cause.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, यह बिल गत विधान सभा में पास हो चुका था और अभी माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि किसी कारण से राष्ट्रपति की इस बिल पर स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसकी गलती से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी और किसकी गल्ती के कारण यह बिल सदन में फिर पेश होकर सदन का काफी समय लेगा और काफी खर्चा भी होगा और इसके द्वारा जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिये थी उन लोगों को भी वह राहत बहुत देरी से मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : इस समय इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेन्डिंग एण्ड एक्सटें-डिंग बिल, १९५७ (पुरःस्थापित)

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान प्रेमिसेज़ (कण्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग बिल, १९५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास।

राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेंडमेंट बिल, १९५७ (पुरःस्थापित)

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेण्ट बिल, १९५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

Page No.33

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : मैं निवेदन करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा बिल विचारार्थ लिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसको म्युनिसिपल बिल के बाद में विचारार्थ लिया जायगा। यहां मिस-अन्डरस्टेंडिंग हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेंशन) अमेण्डमेन्ट बिल, १९५७ लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये तो आप समय चाहते हैं। आपने किसके बारे में मोशन किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : एक तो मैंने अभी बिल इन्ट्रोड्यूस किया है जो सिविल कोर्ट्स लॉज़ के बारे में है। इसको तो कन्सीडरेशन के लिये म्युनिसिपल बिल के बाद में रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने इन्ट्रोड्यूस कौन-सा किया है और कौन-सा विचारार्थ लेना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो अभी इन्ट्राड्यूस किया है वह म्युनिसिपल बिल के बाद में लिया जावेगा।

That is to be taken after the Municipalities Bill has been taken into consideration.

श्री तनसिंह : अब कौन सा बिल कन्सीडरेशन के लिये लिया जावेगा, आप बतावें ?

श्री अध्यक्ष : अभी राजस्थान प्रोमि(सेज) (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) अमेण्डिंग एण्ड एक्सटेंडिंग बिल, १९५७ इन्ट्रोड्यूस किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो विचारार्थ के लिये पेश किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : कल का जो एजेन्डा था उसमें राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७ था जिसको विचारार्थ लिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, पहले इसके बारे में निर्णय हो जाए कि जो बिल पहले पेश किया था उसको विचारार्थ लिया जाना है या उसको विदड्रॉ करते हैं ? उसके बाद में लिया जाए।

१२.२५. म. प.

राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९५७ (विचार-विमर्श एवं प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : Yes; The Rajasthan Societies Registration Bill, 1957.

श्री रामकिशोर व्यास : दो एजेन्डाज़ आज और कल के इश्यू हुए। दोनों को मिलाने से जो नम्बर मालूम होता है, I have already corrected myself on the point.

श्री भैरोंसिंह : एक प्रस्ताव सदन के सामने है और उसके साथ साथ दूसरा प्रस्ताव आता है, तो कौन सा प्रस्ताव सदन में रहेगा यह तय होना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : पहले वाला मोशन आउट ओफ ऑर्डर मूव कर दिया गया था।

श्री रामकिशोर व्यास : इसको मैंने ही कमिट कर लिया है। I did not mean that.

श्री अध्यक्ष : He did that without being called upon to do so.

श्री भैरोसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इसको वापिस लेने के दो ही तरीके हैं; या तो सदन उसको रिजेक्ट करे या अध्यक्ष महोदय उसको आउट ओफ ऑर्डर करार करें। ऐसी सूरत में दूसरा प्रस्ताव आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि आउट ओफ ऑर्डर मूव किया गया है। इसलिए उसको विचारार्थ नहीं लिया गया। अब दूसरा प्रस्ताव है उसको कन्सीड्रेशन के लिये लिया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में मूव करता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जावे। कोई भी बिल सदन के सामने पेश होता है तो उसमें, लेजिस्लेशन में कोई एम्बीग्युइटी नहीं होनी चाहिये और दूसरा यह कि किसी प्रकार का लीगल फलॉ नहीं होना चाहिये। मगर जिस समय यह बिल ड्राफ्ट हुआ और जो इस बिल को मूव करने वाले हैं उन्होंने स्वयं ने इसमें संशोधन पेश किया है इसलिये जिस समय बिल ड्राफ्ट किया गया था वह जल्दबाजी से ड्राफ्ट किया गया था और जब उन्होंने इसको देखा तो उनको स्वयं को इसमें खामियें दिखाई दीं। जब उनको खामियें दिखाई दीं तो उन्होंने संशोधन पेश किया। दूसरी बात उसमें यह है कि इस बिल का जो प्रारूप है उससे यह मालूम नहीं होता कि वह बिल जिस रूप रखा गया है उससे लेजिस्लेशन की क[...] मंशा है, यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता ? इस[...] जो क्लॉज २० है उसमें लिखा गया है[...] "Societies that may be register[...] under this Act; namely,

Societies established for cha[...] table purposes, Military orph[...] funds, societies established for t[...] promotiou of literature, sience the fine arts, societies establish[...] for instruction or the diffusion useful knowledge or......" तो इ[...] अन्दर पहला शब्द है " for charital[...] purposes "; यह शब्द इतना एम्बीगुअ[...] है कि इसके बाद बहुत सारे "societ[...] established for collection of nat[...] ral history and mechanical a[...] philosophical inventions," यह सा[...] क्लियर करते करते एक शब्द उन्होंने ऐ[...] दे दिया, 'for charitable purpose[...]'. मेरी समझ में नहीं आता कि इससे सरकार को मंशा क्या है ? पिछले समय सदन में हिन्दू ट्रस्ट बिल सदन में सरकार की ओर से पास कर दिया गया था लेकिन सरकार की गलती से वह बिल रह गया। अब क्या किया जाए ? सरकार ने देखा कि जब कान सीधे हाथों से नहीं पकड़े जा सकते तो उसको उल्टे हाथ से पकड़ लिया जाए। इसीलिये यह किया गया है। जब सरकार ने इसमें ६–१० बातों को स्पेसिफिकली मेन्शन किया है तो सिर्फ चेरिटेबल पर्पज़ेज़ को मेन्शन नहीं किया है। इसके अन्तर्गत कोई भी प्याऊ हो, धर्मशाला हो और जो लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के और दान की भावना के आधार पर संस्थाओं का निर्माण करते हैं उन पर भी सरकार अपना इन्डाइरेक्ट रूप से हाथ[...]

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रखना चाहती है और मैं समझता हूं कि केवल इसी नीयत से सरकार ने इसमें चेरिटेबल पर्पज़ का क्लॉज़ रखा है। पिछले दिनों सरकार से जो जो संस्थाओं को धन या एड मिलती थी उनके लिये सरकार ने यह नियम बनाये कि या तो उन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करा दिया जावे वरना सरकार की तरफ से उनको एड(aid)नहीं दी जावेगी। तो आज इस प्रकार के जो कई मन्दिर हैं उन मन्दिरों को पांच रुपया मासिक, दस रुपया मासिक या सात रुपया मासिक सरकार सहायता देती है। तो ऐसी हालत में आज तो कुछ नहीं है लेकिन कल जब यह बिल पास हो जायगा तो जो शब्द "चेरिटेबल पर्पज़ेज़" रखे गये हैं इनके अन्तर्गत किसी भी रूप में लेकर सरकार यह प्रयत्न करेगी कि इन मन्दिरों को भी रजिस्टर करवाया जाय। जब इतनी सारी चीजें डिफाइन हो चुकी हैं तो जो चेरिटेबल पर्पज़ेज़ का मतलब लिया जा सकता है उसका तो अर्थ यही हुआ कि जितने भी मन्दिर, मठ या और दूसरे धार्मिक स्थान हैं उनको रजिस्टर करवाया जावे। तो आज चूंकि अधिकांश मंदिरों को सरकार द्वारा सहायता मिलती है तो कल ही सरकार की यह मंशा हो सकती है कि उनको जो सहायता दी जा रही है, वह रोक दी जाय।

इसी तरह इस बिल के क्लॉज़ ८ में इस प्रकार की चीज दी गई है कि सोसाइटीज़ के एवज में अगर किसी आदमी या ऑफिसर के खिलाफ जजमेन्ट होता है तो उसके लिए ऑफिसर लाएबल नहीं होगा। साथ ही जो क्लॉज़ ८ है उसके अन्दर यह है :

"(1) A Judgment shall be recovered against the person or officer named on behalf of the society, such judgment shall not be put in force against the property movable or immovable, or against the body of such person or officer but against the property of the society."

तो यहां तो केवल सोसाइटीज़ को ही लाएबल किया है, लेकिन आगे जाकर क्लॉज़ १० है उसमें अगर सोसाइटी हार जाती है तो उसके बाद में यह लिखा है, इसी के सब क्लॉज़ (२) में :

"If in any suit or proceeding brought under sub-section (1) at the instance of the society the defendant shall be successful and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit or other proceeding shall be brought or from the Society and, in the latter case, shall have process against the property of the said society in the manner above described."

तो इसके अन्दर उस ऑफिसर को लाएबल कर दिया तो एक ही चीज के लिए यहां पर भी सोसाइटी हारती है और वहां पर भी हारती है। एक जगह जो स्पेसिफिक मेन्शन किया है कि सोसाइटी के ऊपर लागू नहीं होगा और इसके क्लॉज़ १० के सब क्लॉज़ (२) के अन्दर है :

"he may elect to proceed to recover the same from the officer."

तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक सेक्शन

Page No.36

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के लिए तो माननीय मंत्री महोदय ने एक संशोधन रखा है और वह है क्लॉज़ ४, तो यह बिल जो है और जो सोसाइटी के बारे में मैंने कहा वह तो बिलकुल ही स्पष्ट बात है। इन सारी चीजों को देखते हुए यह सारा बिल बहुत ही एम्बीगुअस है और इसके अन्दर बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय और यह सदन तो थोड़े ही दिनों में स्थगित होने वाला है और अच्छा हो यदि सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट आगे आने वाले सेशन में पेश कर दे। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री दयाकृष्ण (छाबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्तावित किया है उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहूँगा कि यह जो राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९५७ है यह बड़ा ही एम्बीगुअस है, जहां इसके प्रारम्भ में ही लिखा है :—

"A Bill to provide for the registration of literary, scientific, charitable and certain other societies in the State of Rajasthan."

वहां क्लॉज़ २० के अन्तर्गत उन्होंने यह डिफाइन किया है कि किन किन सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन इसी क्लॉज २० के अन्तर्गत :

"Societies established for charitable purposes; military funds; societies established for the promotion of literature, science or the fine arts."

यह जो कुछ लिखा है वह भी चेरीटेबल परपज़ेज को ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर सका। जैसा कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने वाले मेरे से पूर्व एक वक्ता ने कहा कि चेरीटेबल परपज़ेज को लेकर एक बिल यहां पहले आया था और जो कि सदन के द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन सौभाग्यवश उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो सके क्योंकि उस बिल में कई तरह की खामियां थीं और वह था हिन्दू ट्रस्ट बिल, वह रुक गया। इसी प्रकार की बात हम इस बिल में भी देखते हैं। तो उस बिल की तरह से ही इस बिल के अनुसार भी जितनी भी धार्मिक संस्थायें हैं, राज्य सरकार उनको किसी प्रकार से भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। इससे समाज की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल पर यहां वादविवाद करने से पूर्व इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ताकि इसके अन्दर जितनी भी व्याख्याओं की कमियां हैं और भी इसमें कई क्लॉज़ेज़ हैं जिनसे कि स्थिति का पूरा आभास नहीं होता और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सीकर से आने वाले सदस्य ने कहा कि खण्ड ८ और १० में चीजों को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, जिसमें न तो लाइबेलिटीज़ को ही पूरी तरह से डिफाइन किया है और न ही चेरीटेबल परपज़ेज़ को पूरी तरह से डिफाइन किया है, इन सब को भी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान खण्ड ५ और १४ की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनके अन्तर्गत

(श्री दयाकृष्ण)

'Property of the Society in whom vested' को डिफाइन करके बतलाया गया है: "(1) The property, movable and immovable, belonging to or held or acquired by a Society registered under this Act, if not vested in trustees in trust for such Society, shall be deemed to be vested for the time being in the governing body of such society,..."

ठीक है, गवर्निंग बोडी को सोसाइटी में रख दिया है लेकिन उसकी पॉवर्स और उसका हिसाब किस तरह से रहेगा, इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक संस्थाओं के अन्दर फण्ड्स का सम्बन्ध है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। फण्ड्स वगैरह का जहां तक मामला है उसमें तो ऐसी बात है कि फौरन ही बदनाम हो जाते हैं, गबन हो जाते हैं। इसलिए यदि इस बात का थोड़ा सा उल्लेख हो जाता तो ठीक रहता। इसी प्रकार क्लॉज़ १४ जो इसी से संबंधित है।

'Upon dissolution no member to receive surplus property.'

जहां तक सरप्लस प्रॉपर्टी का सम्बन्ध है वह ठीक है। सरप्लस प्रॉपर्टी अगर किसी सोसाइटी की है तो वह 14 A में गवर्नमेन्ट को दी जा सकती है। लेकिन यदि सरप्लस प्रॉपर्टी नहीं है और सोसाइटी डेफिसिट में चल रही है तो उसका किस प्रकार से कार्य चलेगा, इसका भी प्रावधान इसके अन्तर्गत नहीं है। इन कारणों को रखते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९५७ जो यहां प्रस्तुत किया गया है बहुत ही एम्बीगुअस है और इसमें कई प्रकार के संशोधन हो सकते हैं और ऐसा बिल जो कि समाज के जीवन पर असर करने वाला है, सरकार जहां धार्मिक क्षेत्र में जनता को प्रोत्साहन देना चाहती है, तो कम से कम ऐसे बिल पर जो कि साधारण जीवन पर असर डालने वाला है गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसलिए जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने निवेदन किया है कि इस बिल को अगले आने वाले सेशन में रखा जाय और उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि इसकी एम्बीगुइटी की ओर विचार कर लिया जाय, जिससे जिन सोसाइटियों का सरकार विकास करने वाली है उनमें किसी प्रकार की बाधा न आये, मैं भी इसी बात के ऊपर जोर देता हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति की सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक बहुत साधारण और छोटा सा बिल है जिस पर कि इस सदन में भी विचार किया जा सकता है। जो दलील सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजे जाने के लिए दी है उसमें मुझे ज्यादा वजन तो नहीं मालूम होता। एक बात मैं यह जरूर कहूंगा कि मेम्बर इन्चार्ज ने स्वयं ही संशोधन रखा है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है। ओरीजिनल बिल जो हमने भेजा है उसमें यही शब्द हैं। ओरीजिनल बिल जो है वह इसी फॉर्म में है। दूसरी बात यह कही गई कि यह हिन्दू ट्रस्ट बिल की दूसरी शक्ल है। मैं आपको बताऊं कि हिन्दू ट्रस्ट बिल कन्नाइन्ड है। इसके अन्दर हिन्दू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। एक ही सोसाइटी में

(श्री रामकिशोर व्यास)

सभी कौम के हो सकते हैं। इसलिए हिन्दू ट्रस्ट बिल से इसकी धारायें बिलकुल ही अलग हैं। यह तो सोसाइटीज़ से सम्बन्ध रखने वाला है और बिलकुल ही दूसरी चीज है। इसलिए दोनों को मिलाना उचित नहीं है।

इस बिल की क्लॉज़ेज़ की ड्राफ्टिंग पर भी एतराज किया गया, वह भी उचित नहीं है, जिनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। इसके बावजूद भी यदि सदन यह चाहता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है तो मुझे भेजने में कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि जो संशोधन आया है उसे आप स्वीकार करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : May be sent to the Select Committee.

श्री जगदीशप्रसाद : माननीय मन्त्री महोदय ने जो हमारा संशोधन स्वीकार किया है उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति की घोषणा बाद में की जायगी

राजस्थान लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेंट बिल, १९५७ (विचार स्थगित)

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेंट बिल, १९५७ को आयन्दा के लिए डेफर कर दिया जाय, इस विषय में कुछ बातचीत करनी है।

१२. ४२. म. प.

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल, १९५७ (विचार-विमर्श)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वयत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर-पालिका विधेयक राजस्थान की गत विधान सभा में सन् १९५४ में पेश किया गया था। उसके बाद यह विधेयक उस सदन द्वारा नियुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ था और उसके पश्चात् जब उस प्रवर समिति के प्रतिवेदन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और उस पर विचार-विमर्श के बाद यह बिल सन् १९५६ में राजस्थान की गत विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उस समय भी यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यह बिल बहुत आवश्यक है और इस बिल के ऊपर जितना जल्दी विचार होकर पास किया जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन न मालूम क्या हुआ, सन् १९५६ में जो कानून पास हो चुका था वही कानून दुबारा आज इस सदन में हमारे समक्ष पास करने के हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय मन्त्रीजी की ओर से इस सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए थी कि किन गल-

(श्री भैरोंसिंह)

तियों के कारण इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ, अगर सरकार इस सम्बन्ध में सचेष्ट होती और सरकार आतुरता दिखाती इस बात में कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवा कर राजस्थान की नगरपालिकाओं पर लागू किया जाय, तो आज दुबारा यह मौका नहीं आता दुबारा पास करवाने का। लेकिन जहां इस बिल के बारे में सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया ऐसी स्थिति में हमें मजबूर होकर यह सोचना पड़ेगा कि जो खामियां पिछले वर्ष इस बिल में रह गई थीं उन खामियों को दूर करने की दृष्टि से इस सदन में फिर से विचार किया जाय। यह मैं मानता हूँ कि सदन में इस पर विचार विमर्श होगा, कई संशोधन आयेंगे, उनमें से स्वीकार भी होंगे और उस पर माननीय सदस्य अलग अलग रूप से अपनी राय भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहां अक्सर यह देखा गया है सदन में किसी विषय पर तत्काल विचार-विमर्श करने से काफी सदस्य गलत फ़हमी में रह जाते हैं, माननीय मन्त्री महोदय गलतफ़हमी में रहते हैं और उन गलतफ़हमियों के कारण अच्छे सुझाव भी सत्तारूढ़ दल की ओर से ठुकरा दिये जाते हैं। इसी आशय को सामने रखते हुए इस प्रकार के अहम बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना वाजिब होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को शुरू से लेकर आखिर तक मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो भी खामियां इस बिल में रही हैं उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर उन खामियों पर इस सदन में चर्चा की गई तो मैं समझता हूं यह कन्ट्रोवर्शियल सबजेक्ट बनता है और फिर सरकार इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेती है और फिर कोई भी संशोधन मन्जूर करने की स्थिति में नहीं जायगी। इसलिये हमें यह चाहिये कि हम एक जगह एक साथ बैठकर छोटे रूप में ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो हम इस बिल में परिवर्तन कर सकेंगे।

सब से पहले मैं सदन का ध्यान उन खण्डों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो आज के युग में, इन परिस्थितियों में, किसी प्रकार भी प्रजातंत्रीय खण्ड नहीं कहे जा सकते।

राजस्थान के अन्दर राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट चल रहा है और उसी एक्ट के अन्तर्गत जो राजस्थान की नगरपालिकाओं में धांधली हो रही है उससे सब लोग परिचित हैं। इसलिए लोग यह महसूस करते हैं कि नया एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो। राजस्थान के पिछले कानून में नगरपालिकाओं में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं कुछ सीटें रिज़र्व्ड थीं। हरिजनों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित थीं और उन पर सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत किये जाते थे। कई स्थानों पर स्त्रियों को भी नामजद किया जाता था। यह मैं मानता हूं और मैं समझता हूं सभी सदस्य गण भी इस राय से सहमत होंगे कि नामजद करने की प्रणाली इस प्रजातन्त्रीय युग में घातक सिद्ध होगी। आज पांच वर्ष का समय निकल गया, पहले की विधान सभा समाप्त हुई, दूसरा चुनाव हो गया, दूसरी विधान सभा बन गई, लेकिन हमारी नामजद करने की प्रणाली जो पांच वर्ष से चली आ रही है, वह वैसी की वैसी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहूंगा इस नामजद प्रणाली का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। जोधपुर डिवीजन में

B&

(श्री भैरोंसिंह)

डीड़वाना की नगरपालिका है। उसके जब चुनाव हुए उसमें जन संघ और कांग्रेस को बराबर-बराबर सीटें मिलीं। दोनों पार्टियां बराबर थीं इसलिये कोई बहुमत का क्लेम नहीं कर सकता था। सरकार ने सोचा कि कांग्रेस का बहुमत होना आवश्यक है इसलिये एक सीट हरिजन की भरने वाली है। हरिजन उसी को लिया जायगा जो कांग्रेस का साथ देगा। वहां का कोई हरिजन इसके लिये तैयार नहीं हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि और भारतवर्ष में सब से पहली नजीर डीडवाना की नगरपालिका में हमको देखने को मिली वह यह कि एक हरिजन के स्थान पर एक जुलाहे को, जो जुलाहे का काम करता था, कौम से मुसलमान था, उसको, सुरक्षित स्थान पर मनोनीत किया गया। हम भारतवर्ष का संविधान उठाकर देखें और राजस्थान में घटित होने वाली घटनाओं को देखें तो हमें पता चलेगा कि हम राजस्थान में हरिजनों को ऊपर उठाना नहीं चाहते क्योंकि जिनके पास चुनाव लड़ने के साधन नहीं, जो खर्च नहीं कर सकते और ऐसे व्यक्तियों के लिये सुरक्षित स्थान रखे गये हैं और उन पर भी कांग्रेस अपना बहुमत बनाने के लिये, जब हरिजनों ने कह दिया कि हम जनसंघ का साथ देंगे, तो कांग्रेस का साथ देने वाला हरिजन नहीं मिला तो एक मुसलमान को हरिजन कहकर उसको नामजद कर दिया।

१२. ४८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मुसलमान शब्द से आपत्ति नहीं, विरोध नहीं। लेकिन संविधान में हरिजनों के लिये जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करने की बात का विरोध करता हूँ। इस संबन्ध में डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज को शिकायत की गई और माननीय मंत्री महोदय के भी ध्यान में यह बात लायी गई लेकिन जिस प्रकार कानों पर जूं नहीं रेंगती उसी प्रकार हमारे मंत्री महोदय ने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया, उनके कानों तक वह पहुंच ही नहीं सकी। आज इस प्रकार की चीजें हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि आज हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं इसलिये हमें इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी जिसमें किसी को भी नामजद करने के अधिकार नहीं होने चाहिये, कोई नामजद रहेगा ही नहीं। इसके अलावा इस बिल में 'रिकोन्स्टीट्यूट' शब्द का प्रयोग किया है, 'सो फार एज पोसीबल' इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जिस जगह म्युनिसिपैलिटी रिकोन्स्टीट्यूट करना चाहे वहां कर सकती है। अगर किसी म्युनिसिपैलिटी में देखा, कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत नहीं है और जो दल है वह सरकार के विरुद्ध कार्य करता है वैसी सूरत में सत्तारुढ दल 'सो फार एज पोसीबल' की आड़ लेकर उस जगह की नगरपालिका को भंग कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को नामजद कर सकती है और वह रिकोन्स्टीट्यूट भी हो सकती है।

आगे चलकर उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बिल में देखा है कि नगरपालिका के चुनाव सिंगल कोन्स्टीट्युएन्सी के बेसिस पर होते हैं, वार्ड्स में विभाजन नहीं होता है। ... क्षेत्र होगा उसमें जितने भी व्यक्ति, चाहे आप

(श्री भैरोंसिंह) .

हों, दस हों या १५ हों सिंगल कोन्स्टीट्युएन्सी मान कर लड़े होंगे। वोटर्स को १०/१५ आदमियों को वोट देने की इजाजत होगी।

आप देखिये। बाज दफा ऐसा नहीं मानकर चला जा सकता। जितने भी नगर और कस्बे हैं, उनकी जितनी भी रियाया है, वोटर्स हैं वे सारे इतने पढ़े लिखे हों कि १०।१५ आदमियों के नाम याद रक्खें। जो सिम्बल अलॉट कर दिया वे तो याद रक्खें वे। उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई कहता है हाथी को वोट दूं, या घोडे को दूं या गधे को दूं, किसको वोट दूं? जब इस प्रकार की बात सिम्बल के कारण होती है तो अनपढ़ों के दिमाग में एक कनफ्यूजन पैदा होता है और इसके कारण जब बैलट पेपर, जो कि कहीं-कहीं हाथ-हाथ भर लम्बा होता है, उसमें सबको सिम्बल अलॉट किये होते हैं, उसके हाथ में थमाकर उसे एक पर्दे के पीछे घुसा दिया जाता है और कहा जाता है कि जिसको तुम वोट देना चाहते हो उसके सामने पेन्सिल का निशान कर दो। उस समय समस्या पैदा होती है। कोई सोचता है इसमें तो हाथी भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, न जाने क्या क्या हैं; इतनी लम्बी लिस्ट सी है हाथ भर, अब इसमें मुझे किसको वोट देना है और वह इस हाथी, घोडे, गधों के चक्कर में पड़कर वोट नहीं दे पाता और इस तरह से मुगालते में आकर किसी को भी वोट दे सकता है जिसको कि वह नहीं देना चाहता। इसका फायदा सरकार को मिलता है। वह कैसे? अकसर देखा जाता है चुनावों में कि वहाँ विशेष रूप में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जो पार्टी का पक्ष लेते हैं। अब होता क्या है कि अनपढ़ व्यक्ति जब वोट देने जाए तो इतनी लम्बी चौड़ी सूची और चिन्ह देखकर घबरा जाता है और वोट किसको देना है, यह भूल जाता है। इस पर वह रिटर्निंग अफसर की सहायता लेता है। उसे वह कहता है कि मैं नाम भूल गया, निशान उस आदमी का भूल गया, आप मेरी मदद कर दें। इस पर वह अधिकारी कहता है इस पर निशान बना दो। तो इस तरह से पक्षपात होता है। आज इस चीज से इन्कार नहीं किया जा सकता और इसी कारण से यह चीज इसमें रहने देना चाहते हैं आप। इन चुनावों में महिलाओं को, अपने आदमियों को पोलिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफीसर बनाया है और उन्होंने कई लोगों से मिल-जुलकर गड़बड़ियां की हैं। मैंने स्वयं ने इनकी लिखित शिकायतें की हैं, मैं इन बातों को मन्त्रीजी के ध्यान में भी लाया हूं। पर कोई एक्शन उन पर आज तक लिया गया हो, ऐसी सूचना मुझे तो नहीं मिली। तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि इनका चुनाव सिंगल कॉन्स्टीट्युएन्सी बसिस पर नहीं होना चाहिये। आप वार्ड में विभाजित करो और इसके बाद एक एक वार्ड की एक एक सीट पर एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े, ऐसी व्यवस्था करो।

जयपुर नगरपालिका का चुनाव हुआ। एक एक वार्ड से तीन तीन व्यक्तियों के चुने जाने की व्यवस्था की गई। जयपुर में गंदगी की बीमारी से लोग परेशान हैं। इसके कारण जब लोग उस वार्ड से चुनकर गये हुये नगर पालिका के एक सदस्य से मिलते हैं तो वह कहता है कि हम तीन लोग चुन कर गये हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं, आप बाकी दो के पास भी जाओ। इसी तरह से दूसरा और

(श्री भैरोंसिह)

वह तीसरा भी जवाब देता है । तो इस जिम्मेदारी के चक्कर में कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और जो इस प्रकार से चुने हुये प्रतिनिधि के मार्फत कोई काम जनता कराना चाहे तो वह होता नहीं है, क्योंकि वे लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। टालने की कोशिश करते हैं सभी एक-दूसरे पर। एक-दूसरे की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से सभी बचते हैं। तो इस कारण से ऐसा किया जावे कि वार्डों का विभाजन हो और चुनाव के अन्दर भी यह व्यवस्था हो कि बैलट सीक्रेट हो, सीक्रेट बैलट सिस्टम से चुनाव हो। यह क्रॉस सिस्टम उठ जाना चाहिये, जैसे आम चुनाव होते हैं। इसमें सच्चे अर्थों में प्रजातन्त्र को सही माने में सफल बनाने में सीक्रेट बैलट की प्रणाली को सब ने पसन्द किया है। बाकी के जो भी प्रोविन्सेज् हैं और जिनमें यह क्रॉस सिस्टम था वहां भी इस क्रॉस सिस्टम को हटा कर यह व्यवस्था की जा रही है, सीक्रेट बैलट सिस्टम की। पर इस कानून में लिखा है कि, "The election of the members of a board shall be on the basis of adult snffrage." और यह क्या होगा, जैसा पिछले वक्त था। सरकार जिस तरह से चाहे प्रैस्क्राइब कर सकती है। कानून में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरा यह निवेदन है कि आश्वासन देना चाहिये मन्त्रीजी को कि सीक्रेट बैलटिंग होगा और वार्डों का विभाजन होगा और एक एक वार्ड के लिये एक एक सीट होगी।

इसके अतिरिक्त इस कानून में सबसे बड़ा अनडेमोक्रेटिक क्लॉज़ नगरपालिका के सदस्य को हटाने के सम्बन्ध का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां हम डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, और इससे चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, प्रजातन्त्र राज्य सही माने में स्थापित हो, पचायत राज्य के द्वारा रामराज्य स्थापित हो और इस कारण से हमने एक मोटा सिद्धान्त स्वीकार किया है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करो, पर हमने यहां पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने वाली संस्था के सदस्य को और उस संस्था को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। यह एक फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल होना चाहिये था कि डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के बेसिक युनिट को, उसके एक सदस्य को प्रोटेक्शन दें। पर इसके विपरीत हमने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी सदस्य को यह सरकार हटा सकती है। यह पॉवर इस कानून के द्वारा, इस क्लॉज़ के द्वारा सरकार ने अपने हाथों में रक्खा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगाइये कि एक नगरपालिका का चुनाव होता है। नागरिक एक व्यक्ति को वोट देकर, उसे चुन कर नगरपालिका में भेजता है पर उससे अगर सरकार नाराज हो गई तो वह उसे भी सस्पेंड कर सकती है। उसको हटाने के सम्बन्ध में हमने एक बन्दोबस्त किया है इन्सपेक्टर का। उसका निर्णय अन्तिम होगा। इसमें किसी शख्स को सताया जावे या उसके साथ ज्यादती की जावे या रोड़ा अटकाया जावे, तो सरकार क्या करेगी, किसी से भी उसकी शिकायत करा देगी कि फलां सदस्य ज्यादती करता है। ऐसी शिकायत आने पर अगर सरकार चाहेगी कि हमें उसे परेशान करना है तो वह इन्सपेक्टर को इन्क्वायरी कराने के लिए भेज देगी इन्सपेक्टर मौके पर जाकर इन्क्वायरी करेगा। यह मामूली सा एक इन्सपेक्टर उस जनता द्वारा चुने हुये सदस्य की जांच करेगा। जनता

(श्री भैरोंसिंह)

द्वारा चुन कर भेजे गये उस नगरपालिका के सदस्य का सरकार के सामने कोई महत्व नहीं, पर उन एक इन्सपेक्टर की रिपोर्ट का बहुत महत्व है। तो वह जांच भी करता रहेगा और इधर सरकार उसे सस्पेंड भी कर देगी। इसमें ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं कि जिस दिन वह सस्पेंड कर दिया जावे उसकी जांच के कागजात ट्रिब्यूनल के पास पेश किये जावें। सरकार चाहे तो पेश करे, नहीं चाहे तो न करे। पर सरकार उसे सस्पेंड तो कर सकती है। इसलिये मैं निहायत नम्र शब्दों में कहूँगा कि यह सदस्य को हटाने की व्यवस्था अनडेमोक्रेटिक है।

इसके अलावा सारी की सारी नगरपालिका को डिजोल्व करने की भी व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस कानून में मैंने इस बात को देखा कि सदस्य को सरकार हटा सकती है वहां म्यु० बोर्ड को वह चाहे तो डिजोल्व भी कर सकती है, सस्पेण्ड कर सकती है। उसका बजट सरकार संशोधित कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। कोई काम अगर वह नगरपालिका करना नहीं चाहे तो वह काम जबर्दस्ती उनसे करवा सकती है और यदि वह नगरपालिका कोई आनाकानी करे, अगर कोई टैक्स सरकार उसके मार्फत लगाना चाहे और वह इन्कार करे तो सरकार दूसरे व्यक्तियों से वह काम करवा कर पैसा वसूल कर सकती है। तो इस तरह से जब ये सारे काम सरकार के हाथ में हैं तो फिर यह नगरपालिका का ढोंग क्यों? इसे एक कठपुतली का रूप क्यों दिया जाता है? काम सारा का सारा सरकार के हाथों में, और कराती है सरकार नगरपालिका के हाथों से। मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि चुनाव की तो एक आड़ है। बाकी काम जो सरकार करना चाहेगी वह सारा का सारा वह करेगी।

इसमें यह व्यवस्था की है कि म्युनिसिपेलिटी को तीन प्रकार के टैक्स लगाने पड़ेंगे। इनमें एक होगा गृह कर, हर घर पर टैक्स लगेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ मकानों को इससे अलग रक्खा गया है जिनकी आमदनी किराये की दस रुपया, बीस रुपया माहवार शहर में या बाहर है। इन घरों को तो इस टैक्स से मुक्त रक्खा गया है, इसकी मुझे खुशी है। पर सरकार किसी भी नगरपालिका को इस बात के लिये बाध्य करे कि उसे अपने क्षेत्र में यह गृह कर लगाना ही होगा तो वह कौनसा न्याय है? वह स्वयं अपने आर्थिक स्वावलम्बन के बारे में सोचे, आखिर वह भी तो चुने हुए नुमायन्दों से बनी है। वह स्वयं इस बात का फैसला करे कि कौन सा काम उसे करना होगा और कौनसा नहीं; इसके लिये सरकार उसे क्यों बाध्य करे? इसके बाद अगर फाइनेन्शियल डिफिकल्टी नगर पालिका के सामने अराइज होती है तो वह स्वयं इसके लिये इन्तजाम करेगी, चाहेगी तो गृह कर लगावेगी और अगर दूसरे उपायों से रुपया आ सकता है तो वह काम करेगी। पर इसके विपरीत यह कानून कहता है कि जनता दे सकती है या नहीं, इसकी जरूरत भी है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता नहीं, तुम तो जबर्दस्ती बस टैक्स लगाओ, तुम्हें लगाना पड़ेगा यह गृह कर, चुंगीकर। देश में दूसरे प्रान्तों में भी म्युनीसिपल कानून हैं, पर उनमें कहीं भी यह देखने में नहीं आता कि उनमें कहीं इस प्रकार जबर्दस्ती टैक्स लगाने की व्यवस्था की गई हो। पर इसके लिये राजस्थान की सरकार

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

आगे बढ़ रही है। जैसे फूलों की माला पहनने के लिये तैयार हो।

राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ है और इसमें कितने टैक्सों का बोझा राजस्थान की गरीब जनता पर लादने की व्यवस्था यह सरकार कर रही है ? इसके कारण मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि राजस्थान की गरीब जनता की छाती पर यह एक भारी बोझा है और अब वह गरीब जनता अपने धैर्य को छोड़ कर आगे बढ़ने की ओर तैयारी कर रही है। वैसी सूरत में अगर नगरपालिका के द्वारा कोई टैक्स जनता पर इम्पोज़ कराने की यह सरकार व्यवस्था करेगी तो जनता इसे कभी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी सोचेंगे उपाध्यक्षजी, कि टैक्स लगाना वाजिब है तो भी कुछ बातें हो सकती हैं लेकिन इसमें एग्जैम्पशन्स भी हैं। किन किन पर टैक्स नहीं लगेगा इसके लिये भी व्यवस्था है। जयपुर नगरपालिका के बारे में कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। शहर में गंदगी है उसे दूर करने के लिये नगर पालिका पैसे का साधन बढ़ाती नहीं है। लेकिन वह साधन बढ़ावे कैसे ! बड़े बड़े नेताओं से पूछिये कि सरकार के जितने बड़े बड़े भवन हैं, इमारतें हैं उन पर टैक्स सरकार क्यों नहीं देती है ? नगरपालिका की आमदनी के जरियों पर सरकार का अधिकार है, नगरपालिका के पानी पर सरकार का अधिकार है, पॉवर हाउस पर सरकार का अधिकार है। किसी भी जगह कोई कायदा नहीं है कि बिजली और पानी की आमदनी पर सरकार का कब्जा रहे लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में वाटर वर्क्स और पॉवर हाउस की आमदनी पर सरकार का कब्जा है और वह उसे अपने हाथ में रखती है।

१.०१—म० प०

(एक माननीय सदस्य के बोलने का उपक्रम करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह (जारी) : जितनी सरकारी इमारतें हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। कई इमारतें राजाओं के पास हैं, फौज के पास भी इमारतें हैं और पुलिस के पास भी इमारतें हैं और राजस्थान सरकार के कार्यालय भी हैं। इन कार्यालयों और इमारतों में बिजली खर्च होती है, पानी खर्च होता है। सड़क पर बिजली के खंभे लगाये जाते हैं। सफाई की जाती है, झाडू दिया जाता है, यह सब कौन करता है ? म्युनिसिपेलिटी सरकार को कहती है कि इन सारी सर्विसेज़ के एवजाने में उसको कुछ न कुछ तो देना चाहिये, तो सरकार कहती है कि उसी के एवजाने में सबसिडी मंजूर करते हैं। लेकिन इस सबसिडी की तुलना म्युनिसिपेलिटी को टैक्स से होने वाली आमदनी से की जाय तो १०० रु० में १ रु० के बराबर भी नहीं है। फिर भी सरकार कहती है कि तुमको जबर्दस्ती ऐसा उपाय करना पड़ेगा !

राजाओं के बारे में जब कहते हैं कि उनके भवनों पर टैक्स लगाया जाय तो सरकार कहती है कि हम कोवेनेन्ट से बंधे हुए हैं और जो सुख-सुविधाएं उनको पहले थीं उनमें कमी नहीं की जा सकती। लेकिन कोवेनेन्ट के आर्टिकल्स को मन्त्रीजी पढ़ें तो ज्ञात होगा कि उसमें व्यवस्था जरूर की है लेकिन उसकी भी सीमा बंधी हुई है। राजस्थान में राजाओं से बिजली का पैसा नहीं लिया जाता

(श्री भैरोंसिंह)

है, उस बारे में सदन में चर्चा हुई। उनकी सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि कितनी बिजली मुफ्त में देनी चाहिये और कितनी का पैसा लेना चाहिये। कोई भी मुफ्त में लेवे; राजा, महाराजा, सेठ या गवर्नमेन्ट, लेकिन जो टेक्स नगरपालिका का है वह देना पड़ेगा, चाहे सरकार दे या राजा लोग दें। लेकिन इसके लिये इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है।

इसमें व्यवस्था है कुत्तों पर टेक्स लगाने की और गधों पर टेक्स लगाने की। शहर में आज चोरियें होती हैं। जहां पुलिस निक्कमी सिद्ध होती है वहां लोगों ने तय किया कि कुत्तों को पाला जाय। लेकिन सरकार कहती है कि यदि कुत्ते पाले जायेंगे तो उन पर टैक्स देना पड़ेगा और यदि समय पर कुत्तों का टैक्स नहीं जमा कराया गया तो म्युनिसिपेलिटी डिक्री करा सकती है और माल जब्त किया जा सकता है। कुत्तों के लिये और बाकी के जितने दूसरे जानवर हैं उनको रखेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। गायें रखेंगे तो उन पर टैक्स देना पड़ेगा, भैंसें रखेंगे तो उन पर टैक्स देना पड़ेगा। दूध देती है या नहीं, उपयोग में ये जानवर आते हैं या नहीं इसकी कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन गायों, भैंसियों, कुत्तों, गधों आदि पर टैक्स देना पड़ेगा। जो इससे फायदा उठाते हैं वे टैक्स देने के लिये तैयार हैं लेकिन इसमें लिखा है कि जो ड्राई है या ब्याई हुई नहीं है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप इस बात का अन्दाजा लगायेंगे कि छोटे छोटे गाँवों में भी जो पालतू जानवर हैं, जिनके दूध नहीं होता है उन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन नगरपालिका बिल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कहती है कि तुमको सब तरह का टैक्स देना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि इस तरह से टैक्स लगाना प्रजातन्त्र के अनुकूल नहीं है।

आगे चलकर दकियानूसी क्लॉज़ है उसका जिक्र करना इसलिये जरूरी है कि विधान सभा में कई सदस्य नये आये हैं, उनमें हरिजन भी हैं। हरिजन अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो उसकी कार्यवाही करेंगे। क्लॉज़ ६६ पढ़ें तो उसमें इस बात की व्यवस्था है कि हरिजन सफाई का काम करते हैं उनके बीच में और नगरपालिका के बीच में इस बात का कॉन्ट्रेक्ट है कि शहर या गांव के अमुक अमुक जगह पर तुमको सफाई करनी पड़ेगी, यह कांट्रेक्ट है। दुनिया में सभी जगह कांट्रेक्ट होते हैं, उसमें ऐसा कायदा है कि यदि कोई कांट्रेक्ट तोड़ता है या कानून तोड़ता है तो तोड़नेवाले को सजा दी जाती है लेकिन यह कानून कहता है कि यदि सरकार कानून तोड़ती है तो उसके लिये कोई सजा नहीं है, लेकिन और कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी या जुर्माना देना पड़ेगा। कई लोगों ने कांट्रेक्ट एक्ट पढ़ा होगा, वे लोग जानते हैं कि कांट्रेक्ट तोड़ने से क्या होता है? लेकिन सरकार ने व्यवस्था की है कि हरिजनों को यदि नगरपालिका चाहे तो १ महीने का नोटिस देकर उनको नौकरी से अलग कर सकती है। पहले उनको नोटिस दिया जायगा कि एक माह में तुम्हारी नौकरी चली जायगी और एक महीने की उनको तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन यदि कोई हरिजन चाहे कि मैं काम नहीं करूं तो हमारा कानून कहता है कि तुमको काम करना पड़ेगा और म्युनिसिपल सर्विसेज़ में रहना पड़ेगा और जो म्युनि-

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

सिपेलिटी के मेम्बर कहते हैं वे सारे के सारे काम करने पड़ेंगे और अगर काम नहीं करते हैं तो अदालत से १ महीने की सजा और ५०) रू० का जुर्माना हो सकता है। जिस कानून में एक पार्टी को सजा देने की और दूसरी को इनाम देने की व्यवस्था हो वह कोई कानून नहीं है। मैं ज्यादा न कहकर हरिजन सदस्यों को जो रिजर्व सीट पर आये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि यह क्लॉज इसी रूप में पास हुई तो जो बाहर हरिजन बैठे हैं वे इसका विरोध करने की तैयारी करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उधर बैठने का मोह छोड़ दें, ट्रेजरी बेन्चेज का मोह छोड़ें और ज्यादतियें या अन्याय उनके साथ हो रहा है और जो छुरियें चलाई जा रही हैं। उनका डटकर विरोध करें, तो उनको चाहिये कि वे उधर से इधर आकर बैठें। मैं कहूँगा कि वह सरकार कमजोर है, इसके पैर टूटे हुए हैं और टी. बी. की मरीज है, आप सरकार से कहें कि यह धारा पास नहीं होगी और अगर पास करने की कोशिश करोगे तो उधर से इधर आकर बैठ जायेंगे। हरिजनों को जो संरक्षण संविधान देता है और उन पर जो जिम्मेदारी डाली है उसको ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। मन्त्रीजी कहेंगे कि इसका उपयोग तभी होगा जब नगरपालिका के हरिजन हड़ताल कर देते हैं। शहर में गन्दगी फैलती है और हरिजन हड़ताल के कारण काम नहीं करते हैं तो पुलिस की पोवर है, उनसे काम लिया जाता है, यह किस तरह से उनको अधिकार दिया गया है ? जब कि भंगियों को ६-६ महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी मर्जी आवे तब हरिजनों को नौकर रखें, मर्जी आवे तब निकाल दें, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, उनके साथ कोई रियायत नहीं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं। नगरपालिका उनको पैसा दे या न दे, उनके बच्चों के पालन-पोषण की व्यवस्था करे या नहीं, लेकिन अगर हरिजन काम नहीं करेंगे तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके काम करायेगी। अगर वे हड़ताल करेंगे तो हड़ताल तुड़वायेंगे, उनको जेल में रखेंगे और सजा करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रजातंत्र की भावना को ठुकरा कर इस प्रकार के कानून बनाये, लेकिन जनता, मैं समझता हूँ. ऐसे कानून का स्वागत करने वाली नहीं है। ऐसी सूरत में यह सोचना पड़ेगा कि आज के युग में ऐसी धाराओं की रखने की आवश्यकता है या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें इस सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : You can have a rest of half a minute, Mr. Bhairon Singh. You appear to be exhausted.

श्री भैरोंसिंह : नहीं। मैं ठीक हो रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि किसी लोकल बोडी को, म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व कर दे, सुपरसीड कर दे। म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व करने का अथवा सुपरसीड करने का अधिकार सरकार के पास रहे या नहीं, यह सोचना पड़ेगा और इसलिए सोचना पड़ेगा कि सरकार विशेष दल की है और विशेष दल की सरकार इस बात का दावा कर सके कि विरोधी दल की संस्थाओं के साथ न्याय से काम करेगी, यह दावा मेरी समझ में नहीं आता। मेरा खुद का प्रेक्टीकल अनुभव है, पांच वर्ष का अनुभव है। जब

(श्री भैरोंसिंह)

से वर्तमान स्वायत शासन मंत्री ने इस विभाग का चार्ज हुआ है, तब से मैं उनके पास आया जाया करता हूं, मैंने उनसे कई शिकायतें की हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग में न मालूम क्या है कि माननीय मन्त्रीजी जो हुक्म देते हैं, उसको उनके मातहत नहीं मानते। वे क्यों हुक्म नहीं मानते, शायद इसलिए नहीं मानते हों कि मन्त्री जी बीमार हैं। मैं उनके पास आया जाया करता हूं। इनसे हुक्म लिखा कर मैं चीफ पचायत ऑफिसर के पास गया, उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के पास हुक्म लिखवा कर ले गया, उन्होंने भी कहा नहीं मानेंगे। उनको उम्मीद हो सकती है कि यदि हुक्म नहीं मानेंगे तो मन्त्रीजी कुछ करने वाले नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी अयोग्य हैं, मैं नहीं समझता कि वे स्वायत्त शासन विभाग को ठीक प्रकार से नहीं चला सकते। लेकिन जनता कहती है, हमें भी कहती है, कि ये बातें सदन में प्रस्तुत करो। लेकिन कुछ अनपार्लियामेंट्री या असंसदीय बातें ऐसी होती हैं, जिनके कारण जनता की भावनायें इस सदन में प्रस्तुत करने में मजबूर हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि इस दलबन्दी-सरकार से हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि विरोधी दल की जो नगरपालिका है, उनके साथ न्याय होगा? कई नगरपालिकाओं के खिलाफ शिकायत की जाती है; नैनवा, कोटा डिविजन है, वहां पर नैनवा नामक म्युनीसिपेलिटी है। उसके मेम्बरों को हटाने के लिए तीन वर्ष से जनता शिकायत करती आ रही है क्योंकि कई सार्वजनिक स्थानों को उन्होंने कम कीमत पर बेच दिया। इसकी इन्सपेक्टर और कलेक्टर ने इन्कवायरी कर ली है और सरकार को रिपोर्ट लिख दी है। तीन वर्ष के बाद हमारी सरकार ने, जब लोग उनके बहुत पीछे पड़ गये, नोटिस दिया कि इन कारणों से क्यों नहीं हटा दिया जाय? उस नोटिस को दिये हुये भी ६ महीने हो गये, वह नोटिस भी लारी में चला गया। कहा जा सकता है कि छः महीने से चुनाव का काम चल रहा था और मंत्री जी बीमार थे, इस कारण काम नहीं हुआ। क्या सेक्रेटरीज़ के हाथ में मंत्री की बीमारी के समय कोई जांच आदि करने का अधिकार नहीं होता? मैं निवेदन करूंगा कि तीन वर्ष पूर्व नगरपालिका के खिलाफ शिकायत करे, भ्रष्टाचार की चीज सरकार के सामने प्रस्तुत करे, उसकी जांच कलेक्टर करावे और कलेक्टर उसको सिद्ध करे, इतनी सारी मेहनत करने के बाद उन कागजों को सेक्रेटेरियट में वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया। यह उदाहरण हमें यह सोचने के लिये मजबूर करता है कि दलबन्दी के आधार पर सरकार बनी हुई है, वह विरोधी दल की संस्थाओं के साथ न्याय नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सीकर की नगरपालिका का उदाहरण मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं कि वहां मिनिट्स बदले जाते हैं। आज वहां पर कमेटी कांग्रेस दल की है, उसमें कुछ जन संघ के सदस्य भी हैं। उनमें से एक दो को निर्माण समिति का सदस्य बनाया; निर्माण समिति नहीं नजूल समिति का सदस्य बनाया, बहुमत से उनको सदस्य बना दिया लेकिन वहां के चेअरमैन साहब नहीं चाहते थे, इसलिए मिनिट्स बदलवा दिये। जब यह बात कलेक्टर के सामने गई, उन्होंने जांच की और मंजूर कर लिया कि वर्तमान चेयरमैन

(श्री भैरोंसिंह)

मिनिट्स बदलने के आदी हैं। जिस सदस्य को नजूल समिति में लेने की चर्चा है, उनको नजूल समिति का सदस्य बनाया गया था। यह शिकायत भी हो गई, और डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के पास यह शिकायत आ गई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई................

एक माननीय सदस्य : चेयरमैन कौनसी पार्टी के हैं ?

श्री भैरोंसिंह : (जारी)

चेयरमैन कांग्रेस के ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में जो सत्तारूढ़ दल की नगर-पालिका है, वे अगर अन्याय करें, उनको कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर विरोधी दल की संस्था कोई मामूली सी गलती कर देती है तो उसको हटाने के लिए पूरा जोर डाल दिया जाता है। किशनगढ़ में नगर पालिका है, उसको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मामूली से आदमी ने शिकायत कर दी चीफ मिनिस्टर साहब के सामने। उस शिकायत के ऊपर कलेक्टर को आदेश दिया गया कि वह जांच करे। वहां एम॰ डी॰ एस॰ साहब गये। इस बात को लेकर कांग्रेस वाले कहते हैं कि एक मामूली शिकायत पर जांच शुरू करवा दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जांच से कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी उनको परेशान कर दिया। आज ऐसे अनुभव हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार विरोधी दल की बात सुनने वाली नहीं है। उदयपुर के कॉरपोरेशन में एक घटना हुई एक गोरधनलाल हैं, जिनका सूरजपोल में मकान है। वहां पर एक चबूतरा सरकार की इजाजत लेकर म्युनीसिपेलिटी ने बताया था और उस पर टीन शेड डला हुआ था। गोरधनलालजी ने पिछले चुनावों में सरकार का साथ दिया, कांग्रेस के लोगों का साथ दिया। उनको कॉरपोरेशन की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं हुई, और उस चबूतरी पर दुकान बनाने का काम शुरू कर दिया। जनता ने उसका विरोध किया, वहां कमिश्नर साहब गये, दुकान का काम बन्द करने के लिए कहा। उसने जवाब दिया कि दुकान बनाने का काम बन्द करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे हुक्म लेने की आवश्यकता नहीं, कॉरपोरेशन अपने आप लिखवा कर भेज देगा। इन सारी बातों को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार कांग्रेस की नगर-पालिकाओं के साथ अच्छा बर्ताव करती है और विरोधी दल की जो नगरपालिकाएं हैं उसके साथ अन्याय करती है। उदयपुर के कॉरपोरेशन में बड़ी ज्यादती होती है। सारे उदयपुर से पानी का चार्ज सवा रुपया प्रति हजार गैलन के हिसाब से लिया जाता है लेकिन सवा रुपया प्रति हजार गैलन की रेट, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राजस्थान में बाकी के जितने शहर हैं, कहीं नहीं हैं। कहीं पर ६ आना प्रति हजार गैलन की रेट है, कहीं पर ८ आना है और कहीं पर १० आना है। लेकिन उदयपुर में सवा रुपया प्रति हजार गैलन के हिसाब से चार्जेज़ किए जाते हैं। अब कोई शिकायत करे, शिकायत कौन करता है, जो जनता का प्रतिनिधि हो। अगर उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो मैं अच्छे अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट सदन में प्रस्तुत करूं जो इस हाई चार्जेज से बचने के लिए अपने घरों में मीटर नही रखते। वे खूब

(श्री भैरोंसिंह)

पानी पीते हैं, खूब पानी खर्च करते हैं लेकिन उनके पास मीटर नहीं है। इसलिए वे परेशान नहीं हैं, परेशानी होती है उन गरीबों को जो सवा रुपया प्रति हजार गैलन के हिसाब से देते हैं और ये बड़े बड़े कार्यकर्ता कुछ भी नही, अगर कुछ देते हैंतो कुछ फिक्स्ड रेट्स से देते हैं। यह कहा जाता है कि गरीब जनता के ऊपर से टेक्स कम करें, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं होती, फिर कैसे उम्मीद की जाती है कि वह व्यवस्था ठीक तरह से चले ? ऐसी सूरत में हमें सोचना पड़ेगा, कि जो सरकार की म्युनिसिपल कमेटी है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है। अभी हाल की ही एक घटना है, कुछ दिनों पहले की घटना है, हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मन्त्री श्री अमृतलाल जी यादव के भाई श्री लालसिंह जी यादव सादड़ी नगरपालिका के चेयरमेन हैं। उन्होंने एक हरिजन की घास चोरी कर ली, उनकी पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आई. जी. के पास शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एस. पी. के पास शिकायत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कहता हूं कि अगर उस दरख्वास्त पर एक्शन ले और पुलिस उस दरख्वास्त को निकाले तो मैं अपना भाषण बन्द कर दूंगा और आयन्दा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अमृतलालजी का डर है, लालसिंह जी का डर है, कांग्रेस का डर है और कांग्रेस का डर होने से बाहर के कुछ लोगों का डर है। ऐसी सूरत में हमें मजबूरी से कहना पड़ता है कि सरकार अपने दल की जितनी नगरपालिकाएं हैं, उनके ऊपर पाबन्दी नहीं लगा सकती है, विरोध दल की जितनी नगरपालिकाएं हैं उन पर पाबन्दी लगाएगी। इसलिये जो यह प्रश्न है कि डिज़ोल्व और सुपरसीड करने का जो अधिकार है, मैं समझता हूं कि उसको सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है।

यदि सरकार के पास ऐसे अधिकार होंगे तो सरकार किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को डिज़ोल्ज कर सकेगी। कोई म्युनिसिपल बोर्ड कहता है कि मैं अमुक टेक्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस प्रकार का टेक्स देने की जनता की हिम्मत नहीं है और वह कहेगा कि एक पुस्तकालय का निर्माण करना है, तो हमारी सरकार कहती है कि पुस्तकालय नहीं बनाया जा सकता, जो सरकार ने टैक्स इम्पोज़ करने की व्यवस्था की है वह इम्पोज करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड में और सरकार में झगड़ा पड़ेगा और झगड़ा होता है तो सरकार कहेगी कि ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड को डिज़ोल्व करो। माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक छोटी सी नज़ीर सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर में ठठेरे काम करते हैं, वहां बर्तन बनाने की एक छोटी सी इन्डस्ट्री है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उन पर हैवी टैक्सेज लगाये तो वहां की नगरपालिका ने सिफारिश पेश की, ये हैवी टैक्स नहीं लगने चाहिये। डाइरेक्टर ओफ लोकल बोडीज़ ने उसे वापिस भेज दिया कि आमदनी कम होती है, उसकी पूर्ति कैसे होगी ? इस पर नगरपालिका ने दूसरे सुझाव डाइरेक्टर ओफ लोकल बोडीज़ को भेज दिये, इसके बाद इस सदन को यह जान कर ताज्जुब होगा कि वहां की म्युनिसिपलिटी चाहती है कि ठठेरों पर टैक्स नहीं लगे, ठठेरे चाहते हैं कि उन पर टैक्स नहीं लगे, और जनता चाहती है कि टैक्स नहीं लगे, पर इस सेक्रेटेरियेट और डाइरेक्टर ओफ लोकल बोडीज़ के बीच में वे कागज १२ महीनों से झूल रहे हैं। डाइरेक्टर, लोकल

(श्री भैरोंसिंह)

बोडीज़ से जांच मैंने की थी, तो उन्होंने कहा कि कागज़ मेरे पास पड़े हैं; कब तक भेजेंगे, यह पूछा तो कहा कि कल भेज दूंगा। परन्तु आज तक ये कागज नहीं भेजे गये। कल तक वे कागज उनके पास पड़े हुए थे। कागज क्यों नहीं भेजे गये? कागज नहीं भेजे जाने के बारे में तो बड़ा अजीब रहस्य है।

सरकार यदि चाहती है कि इलेक्शन्स तो हो गये पर उस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन न हो और उस म्युनिसिपल बोर्ड को काम न सौंपा जाय, तो फिर सरकार जाल रचती है। झुंझुनू की नगरपालिका का इलेक्शन हुआ, कायदे के माफिक जो लोग इलेक्शन में जीत गये उनके नाम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने चाहिये, और अध्यक्ष को काम करने का मौका दिया जाय, पर झुंझुनू की कांग्रेस में दो फिर्के हैं, किस किस के फिर्के हैं? नाम मैं नहीं लेना चाहता, पर दो फिर्के हैं। जो लोग जीत गये म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन्स में वे ऐसे फिर्के के लोग हैं कि जो सरकारी दल में होते हुए भी सरकार के विरुद्ध हैं। नतीजा क्या हुआ? १० महीने पहले नगरपालिका के चुनाव हुए थे। इस विधान सभा में उसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया कि कब इलेक्शन हुए तो तारीख बताई गई, यह भी पूछा गया कि कलेक्टर ने नामजद करने की सिफारिश कब की, वह भी तारीख बताई गई, पर आज से १० दिन पहले तक राजस्थान राजपत्र में उनके नाम छपे नहीं। प्रेस में टेलीफोन कर दिया गया, टेलीफोन जरूर किया गया, किसने किया मैं नहीं बताऊंगा। कहा गया कि सेक्रेटेरियेट में कागजों का पीछा करते हैं इसलिये प्रेस में इनको प्रेस कर दो। ३ महीने प्रेस में रहे, इसके बाद के जितने भी आदेश थे वे सारे के सारे छप गये, गजट में आ गये, इसके बाद कई नगरपालिकाओं के चुनाव हुए, उन सब के नाम गजट में आ गये, पर झुंझुनू के नाम नहीं आये। अब गजट में शाया कर दिये हों तो मुझे पता नहीं, अगर कर दिये हों तो मन्त्री महोदय बतायें। पर मन्त्री महोदय इस स्थिति में नहीं हैं कि यह कहें कि झुंझुनू नगरपालिका के चुनाव हो गये हैं और उनको काम सौंप दिया गया है। सत्तारूढ़ दल में जो नया विरोधी दल मिला है उसके नुमायन्दे भी नगरपालिका के चुनाव में ज्यादा आ जाते हैं तो उनकी हालत तो और बुरी है। अव्वल तो कांग्रेस में हैं और सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल में तो उनकी हमारे जैसी ही हालत है। कौन गैर वाजिब है, कौन वाजिब है इसको नापने का मापदंड सरकार का क्या है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। इन सब बातों को सोचने के बाद हम इस सरकार के हाथ में म्युनिसिपल बोर्ड्स को सुपरसीड करने अथवा डिज़ोल्व करने का अधिकार देते हैं तो सरकार चाहे उस म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है, चाहे तो उसको डिज़ोल्व कर सकती है और सुपरसीड करने के लिए सरकार ने जो तरीका निकाला है उसके अनुसार सरकार एक तारीख निश्चित करेगी कि अमुक तारीख तक यह म्युनिसिपेलिटी सुपरसीड की जाती है और फलां तारीखों को नये चुनाव होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुपरसीड और डिज़ोल्व करने में फर्क क्या रहा? सुपरसीड करने के तो यह माने हैं कि म्युनिसिपेलिटी काम नहीं कर सकती इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाती है और

(श्री भैरोंसिंह)

अगर वह काम पूरा हो जाता है तो उसी म्युनिसिपल बोर्ड को रीइन्स्टेट करना चाहिये। पर इस कानून में रीइन्स्टेट करने के बदले रीकोन्स्टीट्यूट किया जायगा चुनाव के जरिये और इसके माने यह हुए कि सुपरसीड करने की हालत में भी उसी प्रकार से नये चुनाव होंगे, जिस प्रकार कि डिज़ोल्व करने की हालत में होंगे। तो फिर डिज़ोल्व करना है तो डिल्ज़ोव ही क्यों नहीं किया जाता? डिज़ोल्व करें और जैसी कि व्यवस्था है ६ महीने के अन्दर चुनाव करायें। पर सरकार ने दोनों अधिकार डिज़ोल्व करने के और सुपरसीड करने के अपने हाथ में रखें है, और इन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है। अलवर जिले में जितनी म्युनिसि-पेलिटियां हैं उनको सुपरसीड किया जा रहा है या डिज़ोल्व किया जा रहा है और उनको अलग अलग कारणों से सुपरसीड या डिजोल्व किया जा रहा है। अलवर जिले में कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं जिनको पांच पांच वर्ष हुए चुनाव हुए। अलवर की एक नगर पालिका की अध्यक्षा एक महिला हैं, कानून तो जिस तरह और और सब नगरपालिकाओं पर लागू होता है पर उसी प्रकार उस नगरपालिका पर भी लागू होता है। पर उस नगरपालिका की अवधि समाप्त होती है तो वे महिला अध्यक्ष सेक्रेटेरियेट में आती हैं और मुख्य मन्त्री जी से स्वायत्त शासन मंत्री, जी से मिलती हैं या न मालूम किस तरह की एप्लीकेशन देती हैं कि उनको एक्स्टेन्शन मिल जाती है। लोग कहते हैं कि इस म्युनि-सिपेलिटी की अवधि समाप्त हो गई है, कानून सब पर एक सा लागू होता है इसलिए इसके चुनाव कराओ पर सरकार कहती है कि महिला अध्यक्ष हैं, राजस्थान में पहली ही महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए एक्सटेन्शन दिया गया है। महिला को अध्यक्ष बनाना है तो फिर इलेक्शन करा कर उस महिला को जिताओ और उन्हीं को अध्यक्ष बना दो। हम तो चाहते हैं कि महिलायें अध्यक्ष बनें, मन्त्री महोदय जी की जगह भी महिला मन्त्री बनें तो हमें एतराज नहीं, पर महिला के नाम पर अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये नाजायज फायदा उठाना चाहें तो यह अनु-चित है। यह कहा जाय कि वह महिला है इसलिए उनकी कॉन्स्टीट्युनिसी में चुनाव नहीं करवाते, यह उचित नहीं। तीन साल की नगरपालिका की अवधि है, इस अवधि से खत्म होने पर चुनाव कराये जायं, यह कानून सब पर लागू होना चाहिये। कानून एक साल के एक्स्टेन्शन का है लेकिन हमारी सर-कार ने तीन-तीन साल के एक्स्टेन्शन दे रखे हैं, कांग्रेस के लोग हैं इसलिये एक्स्टे-न्शन दे देती है। हमारी सरकार कहती है कि तीन साल का सवाल नहीं है, हमें एक्स्टेन्शन देनी है। कारण यह बताया जाता है कि वोटर्स की लिस्ट तैयार नहीं है, पर मजेदार बात तो यह है कि वोटर्स लिस्ट तैयार करने की जिम्मे-दारी नगरपालिका की है, नगरपालिका एक्स्टेन्शन चाहेगी तो क्यों वोटर्स लिस्ट तैयार करेगी? इसके लिये तो सरकार को चाहिये कि वोटर्स लिस्ट अगर समय पर तैयार नहीं की जाती है तो उस नगरपालिका को नोटिस दे दिया जाय कि फलां समय तक वोटर्स लिस्ट तैयार कर दी जाय, वरना डिज़ोल्व कर दिया जायगा। पर ऐसा न किया जा कर सरकार द्वारा एक्स्टेन्शन पर एक्स्टेन्शन दी जाती है, यह प्रजातंत्र की हत्या और कांग्रेस को जिंदा करने का एक उपाय है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाओं को सुपरसीड करने और

Page No.52

(श्री भैरोंसिंह)

डिज़ोल्व करने के अधिकार सरकार को दिये जायेंगे तो इन अधिकारों का सरकार द्वारा पूरी तरह से दुरुपयोग होगा, यह अधिकार देना तो उसी प्रकार का अधिकार देना होगा कि जिस व्यक्ति को चाहे उसको फांसी दे, चाहे वह निर्दोष हो और जिसको फांसी दी जानी चाहिये उसको मुक्त कर दे। तो इस प्रकार की व्यवस्था करना, इस प्रकार के अधिकार सरकार के हाथ में देना किसी प्रकार उचित नहीं होगा।

जहां इस बिल में इस प्रकार की खामियां हैं, जिनको दूर करना है, कई ऐसी चीजें हैं जिनको रिप्लेस करना है, वहां म्युनिसिपेलिटीज़ की सर्विसेज़ के बारे में नियम बनाने हैं, म्युनिसिपेलिटीज़ के कॉन्स्टीट्यूशन का निर्माण करना है, इन सब बातों के बारे में विचार करना है ।जहां इन सब बातों पर समीचीन रूप से विचार कर सकें उसके लिये राजस्थान विधान सभा निश्चित रूप से उचित स्थान नहीं है। लेकिन यहां पर चीजें कन्ट्रोवर्शियल होने के कारण ठीक तरह से बिल में कोरपोरेट नहीं हो सकती हैं। इसलिये ठीक ढंग से इस पर सोचा और दुबारा इस बिल को कमेटी के सामने भेजा जावे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सिलेक्ट कमेटी के सदस्य इस पर ठंडे दिमाग से सोच कर जो जो संशोधन करने उचित समझेंगे, करेंगे। इसके बाद इस बिल का जो रूप होगा वह मैं समझता हूँ, उचित रूप होगा, इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने जो प्रस्ताव इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो हमारी जनतन्त्र की परम्पराओं के सिद्धान्तों का परीक्षा स्थल कहा जा सकता है। आज हम विधान सभा में बैठे हुए कह सकते हैं कि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है, मगर विधान सभा के सदस्य जन साधारण द्वारा या तो नगरपालिकाओं में से चुन कर आते हैं या पंचायतों से। इसलिये ग्रामवासी और नगर निवासी अनुभव करते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की प्रजातन्त्र हुकूमत आई है? जिस तरह से नगरपालिकायें कार्य करती हैं उसका अनुभव करके नगरनिवासी यह कह सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार के जनतन्त्र की स्थापना की गई है? पिछले वर्षों का अनुभव है कि जिन लोगों के लिये इस बिल में व्यवस्था की गई थी और जो जो कानून बने थे उसके अनुसार किस प्रकार अमल हुआ। उस अनुभव पर कह सकते हैं कि जिस भावना को लेकर यह बिल बनाया जाता है उन भावनाओं की कमी रहती है और लेजिसलेशन को केरी आउट करने में इस प्रकार की त्रुटियें रह जाती हैं कि वास्तव में जो व्यवस्था देश के हित के लिये की जाती है वह सही रूप में नहीं हो पाती। वास्तव में इसमें सरकार का जिस प्रकार हस्तक्षेप होता है और जिसके कारण कानून सही रूप में कार्य नहीं कर पाता उसका मैं प्योर विरोध करता हूँ। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार कानून के मामलों में एग्ज़िक्युटिव का इतना अधिक प्रभाव और कन्ट्रोल इस प्रकार की संस्थाओं पर नहीं रहना चाहिये और यदि इसी प्रकार का कन्ट्रोल रहेगा तो वास्तव में सही रूप में कोई कार्य नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरी ओर कन्ट्रोल होता है उसमें इसी नीति को ध्यान में

Page No.53

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रखा जाता है कि फलाँ जगह या जिले में फलां पक्ष या जाति की नगरपालिका है और ज्योंही उसकी शिकायत आती है तो नियमों को लागू कर दिया जाता है और उसकी जांच कराई जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि कानून को सही रूप में नहीं बल्कि गलत रूप में लागू किया जाता है और नियम को लागू करते समय यह देखा जाता है कि किस पक्ष की नगरपालिका है। मैं आपको दौसा की नगरपालिका के बारे में निवेदन करूंगा कि उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर के पास शिकायत हुई। चीफ मिनिस्टर ने तुरन्त ऑर्डर दिया कि इसकी जांच की जावे। उसकी जांच की गई और वह निर्दोष साबित हुई। उसी प्रकार सीकर की म्युनिसिपैलिटी की शिकायत की जांच के लिए एक दो नहीं सैकड़ों प्रार्थना-पत्र लोगों ने पेश किये। अगर आप उसकी फाइल मंगाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी शिकायतें की गई हैं?

श्री उपाध्यक्ष : Can the Hon'ble member not avoid repetition?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जारी) : इतना ही नहीं स्वयं सीकर के कलेक्टर जो वहां के जिले के मालिक और जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिलाधीश कहलाते हैं, उनसे ज्यादा तो वहां का जिम्मेदार व्यक्ति नही होगा, उन्होंने खुद यहां मन्त्रालय को लिख कर भेजा कि यहां के जो म्युनिसिपल चेयरमेन हैं मेरे द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करते हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मगर चूंकि वहां पर कांग्रेस का बहुमत था और यहां पर भी कांग्रेस की ही सरकार हैं अतः वहां की नगरपालिका के चेयरमेन की हैं अभी तक कोई जांच नहीं हुई। इसलिये मैं कहूँगा कि यदि इसी प्रकार कानून बनाकर रख लिये जावेंगे और उचित रूप से उनका उपयोग नहीं किया जावेगा तो जनता को क्या विश्वास होगा कि ये कानून हमारे हित के लिए ही बनाये जाते हैं? जो चीज आज हम देखते हैं उससे तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि आज कल जो चल रहा है उसको न तो हम डेमोक्रेसी ही कह सकते हैं और न ऑटोक्रेसी ही कह सकते हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बात अब ज्यादा दिन चलने की नहीं हैं। एक तरफ आप कलेक्टर को अधिकार देते हैं और दूसरी ओर आप चेयरमेन के सम्बन्ध में कलेक्टर के हुक्म की अवहेलना करने की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लेते।

इसके अलावा इस बिल में हरिजनों का सम्बन्ध है। हरिजनों की नौकरियों के लिये यह व्यवस्था की गई है कि नगरपालिका एक महीने का नोटिस देकर किसी को निकाल सकती है या हरिजन खुद नौकरी छोड़ना चाहे तो एक महीने की तनख्वाह जमा करा कर या एक महीने का नोटिस देकर छोड़ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन वास्तव में हरिजनों को किस प्रकार से नौकर किया जावेगा इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं। मैं यह कहूंगा कि वास्तव में आज जो हरिजनों के नाम पर लोग फायदा उठा रहे हैं वह भंगियों को नहीं मिल रहा है और दूसरी जातियें ही उसका फायदा उठा रही हैं। वास्तव में देखा जाय तो भंगी ही एक ऐसे हैं जो सही रूप में हरिजनों की डेफिनीशन में सही उतरते हैं। मगर आज जितने अत्याचार इन पर हुए हैं किसी पर नहीं हो रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य सदन के बाहर बड़ी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बड़ी सभाएं करते हैं; हरिजन दिवस मनाते हैं, मगर उन पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। किसी भी दूसरी जाति पर इतना अत्याचार नहीं होता जो हरिजन कहलाते हैं। इसके अलावा भंगी ही एक ऐसी जाति है जिस पर नगरपालिका की सफाई का काम आधारित होता है। नगरपालिका कानून बनाती है, मगर उन पर हरिजनों की ओर ध्यान नहीं देती। अभी पिछले दिनों में जयपुर नगरपालिका के सम्बन्ध में कहा गया कि यहां पर सफाई की व्यवस्था खराब है और इसी कारण बीमारी फैली है। मगर आप देखेंगे कि सफाई करने वाले लोगों की नौकरी की परमानेन्सी किस प्रकार है? इसके लिए प्रोविजन नहीं है। कोई भी नौकर किसी भी जाति या तबके का आपको मिलेगा उसकी इतनी हालत खराब नहीं देखेंगे जितनी कि हरिजन कहलाने वाले भंगियों की हालत है। उनकी हालत ठीक वैसे ही गुलामों के समान है जैसे पहले अमेरिका में हुआ करते थे। पहले अमेरिका में गुलाम लोग हुआ करते थे उनसे भी गई बीती हालत हरिजनों की है। कहते हैं कि हम हरिजनों का उत्थान करते हैं, उनके लिए स्कोलरशिप देते हैं, मगर माननीय मन्त्री महोदय यह बतावें कि पिछले पांच-सात सालों में कितने भंगियों को स्कोलरशिप दी गई? कितने हरिजनों के मोहल्लों में स्कूलें खोली गई? अगर भंगियों के लिए कोई काम हुए हैं तो आप बतावें। मैं तो यह कहूंगा कि बिल्कुल काम नहीं हुए और अगर आप सीकर की नगर–पालिका में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है, कितने केसेज़ उनके खिलाफ पेन्डिंग में हैं, कितने भंगियों को नौकरी से अलग किया और उनको नौकरी से अलग करते समय कोई चार्ज भी नहीं दिया जाता है। किसी भी भंगी को जब चाहे तब भर्ती कर लिया जाता है और महीने दो महीने रखा जाता है और फिर जब चेयरमैन चाहे, अपनी मर्जी से, उसको निकाल दिया जाता है। जिस पर चेयरमैन की मर्जी हुई उसको नौकरी में ले लिया जाता है और दूसरे को निकाल दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का कोई प्रोविजन इसमें होना चाहिये। जिसके आधार पर नगरपालिका अच्छी या बुरी है अनुभव आते हैं और वास्तव में समाज में अगर कोई गिरी हुई जाति है तो आज हमारे समाज में भंगियों से अधिक कोई पतित जाति हमको देखने में नहीं आती। भंगियों को ३० या ३५ रुपये तनख्वाह के मिलते हैं। उनके नाम पर प्रशासकीय अधिकारी लोग सेनिटरी इन्सपेक्टर से मिलकर अपने यहां काम करने के लिए चपरासी रख लेते हैं। अगर किसी जगह ५० भंगियों के लिये प्रोविजन है तो उनमें से ४० भंगियों को रख लेते हैं और १० आदमी ऐसे रख लेते हैं जो माली हों या कोई दूसरी जाति के लोग हों और उनसे घर का काम लिया जाता है। आप किसी भी नगरपालिका में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा। आज जो हमारे शासक वर्ग के लोग हैं पहले राजाओं को और दूसरे अंग्रेजों के जमाने में लोगों को घरेलू काम के लिए कोसा करते थे। मगर यहां तो प्रत्यक्ष नौकरों से घरेलू काम लिया जाता है, यह सबसे बड़ा अन्याय है। लेकिन अगर आज के प्रशासनिक अधिकारीगण; कलेक्टर, सेक्रेटरीज़ या डिप्टी सेक्रेटरीज़ सरकारी कर्मचारियों से अपने घरों पर काम लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वह तनिक भी बुरा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अपने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

समाज में जो जनतन्त्र का नमूना है उस नमूने को हमने म्युनिसिपेलिटीज़ के आधार पर जनता के सामने रखा है और ऐसी ही संस्थाओं द्वारा जनता अधिक सम्पर्क में आती हैं। अगर नगरपालिकाओं के चेयरमैन या और दूसरे अधिकारी ही अपने यहां के कर्मचारियों से घरेलू काम लेते हैं तो हमको क्या अधिकार है कि हम बड़े बड़े अधिकारियों को कोसें कि वह क्लास फोर के कर्मचारियों से अपने घरों पर काम लेते हैं ? आप हर जगह देखिये ......

श्री उपाध्यक्ष : It will be better if the hon'ble member deals with the relevant issues. Dealing with the numerous complaints will lengthen the arguments.

श्री जगदीशप्रसाद : अच्छी बात है। इसके बाद मैं जहां तक इस बिल में टैक्सेज़न का प्रोवीज़न है इसके अन्दर सरकार ने कोई ऑब्लीगेटरी टैक्सेज लगाये हों, ऐसी बात नहीं है। ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ होते हैं, एक हाऊस टैक्स, ऑक्ट्राय टैक्स और प्रोवीज़नल टैक्स। मैं समझता हूँ कि सरकार ने पिछली दफा जयपुर के अन्दर भी जो ऑक्ट्राय टैक्स था और जो हाउस टैक्स लिया जाता था और यह टैक्सेज़ पहले म्युनिसिपेलिटीज वसूल किया करती थीं परन्तु उन टैक्सेज को भी अब सरकार ने वसूल करना प्रारम्भ कर दिया है और उनको अपने हाथ में ले लिया है। तो मेरा यह निवेदन है कि नगरपालिकाओं की जिस मद से आमदनी होनी चाहिये थी उनको तो सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। इससे नगरपालिकाओं को पैसा न मिलने के कारण सरकार पर अधिक आश्रित रहना पड़ता है। यह सरकार ने इसलिये किया कि नगरपालिकाओं के जो अधिकारी हैं वे स्वतन्त्र रूप से काम न कर सकें। जब ये टैक्सेज़ वगैरह सरकार ने अपने हाथ में ले लिये तो सरकार कहती है कि हम आपको सब्सिडी देते हैं। परन्तु सब्सिडी देना भी किसी म्युनिसिपेलिटी को सरकार की मर्जी के ऊपर है। किसी भी म्युनिसिपेलिटी को सब्सीडी दे या न दे और अगर सब्सीडी दे तो कितनी दे और कितनी न दे, यह सब सरकार के हाथ में है। यह चीज भी स्वयं सरकार के स्वयं के ऊपर है। अब नगरपालिकाओं के जो आमदनी के हैड्स हैं; जैसे वाटर वर्क्स है या और ऐसे ही दूसरे आमदनी के हैड्स हैं और टैक्सेज़ हैं, जो अब सरकार ने वसूल करने आरम्भ कर दिये हैं, इनको नगरपालिकाओं के अन्तर्गत दे दिया जाय तो सरकार का मुंह इन नगरपालिकाओं को न ताकना पड़े। तो जो नगरपालिकायें हर प्रकार से सरकार के अन्तर्गत काम करने को तैयार हैं, सरकार का हर प्रकार से आदेश मानने को तत्पर हैं, उनको तो सरकार सब्सीडी दे देगी और वह नगरपालिकायें जो स्वतन्त्र रूप से काम करेंगी उन पर तो सरकार का एक प्रकार से अंकुश ही रहेगा, उनको सब्सीडी दी ही नहीं जायेगी। इन पर इस प्रकार से जो अंकुश रहेगा, जिस प्रकार से हाथी के ऊपर अंकुश रहता है, इस प्रकार टैक्सेज का जो प्रोवीजन है और जिनको पहले नगरपालिकायें ही वसूल किया करती थीं और उनको अब सरकार वसूल करती है, इसको हटा कर सरकार कम्पलसरी रूप से इन प्रोवीजन्स को, इन आमदनी की मदों को जो कि नगरपालिकाओं की होनी चाहिये, इनको वापिस दे दे।

अभी सदन में एक और विधेयक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आने वाला है और वह है एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स बिल । आज तक तो यह टैक्स नगरपालिकायें ही लेती रही हैं मगर अब यह प्रोवीज़न आने वाला है कि यह टैक्स भी सरकार वसूल करेगी और सबसिडी के रूप में सरकार नगरपालिकाओं को कुछ दे देगी। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो यह टैक्स भी अब सरकार अपने हाथ में ले रही है। उसने ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम किया है जो उसके पास से यह भी एक आमदनी का जरिया सरकार अपने पास ले रही है। अब इसके लिए सरकार को कितना खर्च करना होगा ? इन्सपेक्टर रखने होंगे, ऑफिसर्स रखने होंगे। यह तो कोई ठीक बात नहीं है ।

इसके बाद में मैं एक बात और सदन के सामने रखना चाहता हूँ, वह है कि कहां और किस तरह से इसके अन्दर वार्ड होंगे, यह भी सरकार ही निर्धारित करेगी। सरकार इसके अन्दर एरिया बनायेगी कि इतने बड़े एरिया में से इतने मेम्बर चुनकर आयेंगे। तो मान लीजिए अगर एक टाउन से सात या आठ मेम्बर चुनने का अधिकार होता है और अगर उसमें से किसी के लिए किसी को आपत्ति होती है तो एक मेम्बर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए उन सब मेम्बरों को भी उसके साथ जाना पड़ेगा। यह एक कानूनी कमी है। मैं कहता हूं कि सिंगल मेम्बर कॉन्सटीटुएन्सी का ही इसमें प्रोवीज़न किया जाय जिससे अधिक सहूलियत मिल सके ।

इसके बाद में इसके अन्दर जो इलेक्शन पिटीशन का प्रोवीजन है इसके अन्दर आज तक तो हम पचास रुपया ही परिभूति के रूप में जमा कराया करते थे लेकिन अब इस कानून के अन्दर सौ रुपये और दो सौ रुपयों का प्रोवीज़न कर दिया गया है। अब नगरपालिकाओं के अन्दर छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं और अगर किसी को इलेक्शन पिटीशन करनी है तो वह भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास करनी होती है। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा सीकर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अन्दर ही कम से कम पन्द्रह, सोलह नगरपालिकायें है, तो अब वहां पर इलेक्शन पिटीशन करने के लिए एक आदमी सौ रुपया जमा कराये, फिर कुछ रुपया वह वकील को भी दे और फिर वह झुंझुनू जाये इलेक्शन पिटीशन देने के लिए। तो इससे कितनी दिक्कतें होती हैं। मैं कहता हूँ कि इन दिक्कतों को हटाया जा सकता है। अगर यह इलेक्शन पिटीशन का अधिकार एडीशनल सिविल जज को दे दिया जाये।

इसके बाद में एक चीज और है और वह यह है कि अगर कोई आदमी नगरपालिका के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है तो वह नगरपालिका के बाद में कलेक्टर के पास जाता है और कलेक्टर उसकी दरख्वास्त पर गौर करता है और उस पर जो भी निर्णय होता है वह फाइनल होता है। लेकिन इस एक्ट में कई धारायें ऐसी हैं जिनके अन्तर्गत आगे भी अपील करने का प्रोवीज़न किया गया है। तो कलेक्टर को जो एक प्रकार का प्राइमरी राइट है वह उन्हें नहीं दिया जा रहा है। म्युनिसिपेलिटीज़ एक प्रकार से एक पार्टी हैं और अगर उस पार्टी के डिसीज़न से किसी आदमी को संतोष नहीं होता है तो कलेक्टर के पास जाता है तो कम से कम

Page No.57

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अगर वह कलेक्टर के डिसीज़न से संतुष्ट नहीं होता है तो आदमी को कम से कम उसका अधिकार होना चाहिए कि अगर एक अपील वह कलेक्टर को करता है और उसको संतोष उस पर नहीं होता है तो वह उसको सैकिण्ड अपील दे सके, ऐसा भी प्रोवीज़न होना चाहिए। सी० पी० सी० में ऐसा तो प्रोवीज़न है। अत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय मन्त्री महोदय से, कि यह बिल जनसाधारण से संबंध रखता है इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। जो संशोधन इस प्रवर समिति को देने का आया है उसको स्वीकार करना चाहिए ऐसी मेरी सदन के सदस्यों से प्रार्थना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: (श्री सतीशचन्द्र की ओर संकेत करते हुए) आप बोल रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द: जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : Let him have the opportunity. Before we re-open the debate, I would invite your attention to Rules 99 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, because there has been much repittions in the arguments and we have gone a little astray as well. I read the rule :—"On the day on which any of the motions referred to in Rule 98 is made or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principles." Thank you.

श्री सतीशचन्द्र (जोहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसीपेलिटीज़ बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूँ और प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के निमित्त जो विशेष कारण हैं और जो माननीय सदस्यों ने अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए मैं एक दो बातें विशेष रूप से, जो कि इस कानून में बहुत बड़ी खामियां हैं, उनके बारे में सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के विशेष कारण हैं। यद्यपि यह कानून पिछली विधान सभा के समय पास कर दिया था। यह दुर्भाग्य है कि यह कानून पास हो जाने के बाद भी सरकारी दल की अदूरदर्शिता के कारण, समय पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति न मिलने के कारण और नयी विधान सभा के निर्माण के कारण एक नवंबर के पश्चात् इतने महत्वपूर्ण कानून को जिसे एक दफा विधान सभा पास कर चुकी, लेप्स होगया। आज यह बिल पुनः सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और इस पर आज पुनः विचार करने के समय यह सुझाव सामने आया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये। मैंने इस कानून को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मुझे इसमें खामियां

(श्री सतीशचन्द्र)

नजर आती हैं जिनको नजर अन्दाज करने के बाद इसको पास करने से पहले हमको इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द करना होगा ।

उदाहरण के तौर पर मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि इसमें एक क्लॉज़ है इलेक्शन पिटीशन्स के सम्बन्ध में । चुनाव सम्पन्न होने के बाद अगर कोई वोटर या केन्डीडेट आपत्ति करता है तो वह चुनाव याचिका प्रस्तुत करता है, जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसमें जो प्रावधान रखा है उसके अनुसार इस प्रकार की पिटीशन्स सुनने का अधिकार सेशन्स जज को दिया गया है । राजस्थान की बड़ी-बड़ी जगहों पर, जिलों के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट जजेज़ नहीं हैं इसलिये यहां के लोगों को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । लोगों को, जैसा कि सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि उनके यहां डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, अगर उनको नगरपालिका के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करनी होती है तो झुंझुनू जाना होता है । झुंझुनू जिले के कई कस्बों से काफी दूर स्थान है । जहां लोगों के खर्च का सवाल आता है तो यह देखकर उनके सामने बहुत बाधायें उपस्थित हो जाती हैं । यातायात की समस्या भी कठिन है राजस्थान जैसे मरू-प्रदेश में, जहां सड़कें नहीं, यातायात का समुचित प्रबन्ध नहीं उस स्थान के लिये इस प्रकार कानून में व्यवस्था करना यह कानून की बहुत बड़ी खामी है । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण रखना चाहता हूँ, चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के बाद, उस सदस्य द्वारा जो चुनाव में हार जाय और चुनाव याचिका प्रस्तुत करना चाहे, या इस बिना पर कि उसकी नामजदगी पत्र खारिज कर दिया इसलिये वह चुनाव याचिका प्रस्तुत करना चाहे, तो जिस प्रकार का प्रावधान इस कानून में है उसके अनुसार साधारण श्रेणी वाला व्यक्ति तो चुनाव याचिका प्रस्तुत कर ही नहीं सकता । इस कानून में जो प्रावधान बनाया गया है वह बहुत कॉम्पलीकेटेड है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि अगर कोई साधारण सा वकील जिसकी स्टेन्डिंग पांच साल की, सात साल की या आठ साल की है, वह भी इलेक्शन पिटीशन ड्राफ्ट करके नगरपालिका के चुनाव में हारे हुये या नामजदगी पत्र खारिज हुए सदस्य की वकालात ठीक प्रकार से कन्डक्ट नहीं कर सकता । इतनी उलझनों भरा यह कानून है । रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जो भारत में लागू है उसमें जितनी कॉम्पलीकेशन्स हैं, जितनी उलझनें उसमें है, उसमें जो प्रोवीजन्स हैं उन्हीं के आधार पर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने, मैं समझता हूं, नकल करने की कोशिश की है ।

राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिकाओं की जो स्थिति है उनको ध्यान रखते हुए, हमें यहां प्रावधान बनाने चाहिये । आप इसको उठा-कर देखें तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर चुनाव याचिका डिसमिस हो सकती है । नामांकन पत्र पर ठीक प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किये, मेटीरियल सब्जाई नहीं किया, सही ढंग से उसको लिखा नहीं तो सारी मेहनत इलेक्शन पिटीशन्स की बेकार चली जायगी । इसलिये उपाध्यक्ष

(श्री सतीशचन्द्र)

महोदय, मैं सदन के सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, चुनाव के सम्बन्ध में जब इस प्रकार की क्लॉज़ेज रहते हैं तो वैसी हालत में हमें राजस्थान के पिछड़े हुए प्रदेश होने के कारण, जहां निरक्षरता का बोलबाला है, अज्ञान है, जहां जनतन्त्र अभी तक प्रसव काल में हैं, जहां जनता का विकास धीरे-धीरे हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में जहां जनतन्त्र का मूल आधार नगरपालिकायें हैं, स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, उन स्वायत्त शासन संस्थाओं पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना क्या आज के युग में उचित है ? कदापि नहीं। जिस कानून के अन्दर इस प्रकार के प्रावधान हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर चुनाव याचिका डिसमिस होती हो, यह उन लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा और उनके अज्ञान का नाजायज फायदा होगा।

इसके आगे जाकर उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४३ आता है। उस क्लॉज़ की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लॉज़ ४३ में यह लिखा है कि जिस अदालत में यह चुनाव याचिका की जाय वे जज साहब अगर चाहें तो उनके निर्णय के बाद उनके निर्णय को कोई चुनौति नहीं दे सकता। एक भी अपील का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है उनके निर्णय के खिलाफ। कोई भी चुनाव याचिका प्रस्तुत करेगा उस पर जो निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज देगा वही फाइनल और अन्तिम होगा। डिस्ट्रिक्ट जज निर्णय को चुनौती हाई कोर्ट में जाकर नहीं दे सकते। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय इस कमी को अवश्य महसूस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला अन्तिम फैसला नहीं होना चाहिये। हरेक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है; उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। आज हम देखते हैं कि दो हजार, पांच हजार और पांच सौ और दो सो रुपये तक के केसेज़ जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज निर्णय दे चुके हैं उनकी अपील हाई कोर्ट में हुई है, यहां तक ही नहीं अभी कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट में ढाई रुपये का मामला माननीय न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुत हुआ। जब एक तरफ ढाई रुपये तक के मामले हाई कोर्ट में जा सकते हैं तो इतना बड़ा अधिकार नगरपालिका के चुनाव में जो हारा हुआ व्यक्ति है, उसको अपील करने का अधिकार क्यों न दिया जाय ? अगर किसी बिना पर चुनाव याचिका डिस्ट्रिक्ट जज के पास असफल हो जाती है तो उसको हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार देना चाहिये। यह जो इसमें प्रावधान है, उसकी सब से बड़ी खामी इस बिल में है। इस खामी को दूर करने के लिये भी यह आवश्यक है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

दूसरी चीज उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह है, सस्पेन्शन के बारे में, डिज़ोल्यूशन के बारे में है। नगरपालिकाओं के बारे में, हमारा पिछला अनुभव इस बात का साक्षी है कि राजस्थान में तो कम से कम नगरपालिकाओं के प्रबन्ध में सरकार का हस्तक्षेप इतना अधिक है कि अगर उसको बताने लग जाऊं तो सारा समय ही उसमें व्यतीत हो जाय। कुछ दिनों पहले की घटना है वह मैं आपके सामने रखूंगा। इस बिल में जो प्रावधान बनाया गया है सरकार द्वारा सहायता देने का वह इसलिये रखा है कि नगरपालिकाओं पर उनका कन्ट्रोल रह

(श्री सतीशचन्द्र)

सके। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकायें चुनी हुई संस्थायें होती हैं, उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं, और उन्हीं के द्वारा इन्तजाम होता है, उसमें इन आधारों पर कि सरकार मदद देती है उन पर अधिकार रहे यह उन चुने हुए सदस्यों का अपमान है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात है और इस प्रकार के अधिकार जिस कानून में सरकार को दिये गये है। उस कानून को पास करना जनतन्त्र की हत्या करना होगा।

मैंने जैसा कि पहले कहा कुछ दिनों की पहले घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हमारे जयपुर की नगरपालिका है, चार साल पहले १६५३ में सितम्बर मास में यहां की नगरपालिका ने चुंगी कर के नाम से एक कर लगाया थी। उस चुंगी कर लगने के बाद जयपुर की जनता ने उसका विरोध किया। उस समय १३ दिन की हड़ताल हुई। उस हड़ताल होने के बाद चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों ने जनता की आवाज को पहिचाना, वे जानते थे कि अगर हम जनता की आवाज की कद्र नहीं करेंगे तो आयन्दा जनता हमको चुनकर नहीं भेजेगी। तो माननीय मंत्री महोदय ने क्या किया, नगरपालिका को सुपरसीड कर दिया, उसको भंग किया और भंग करने के बाद क्या हुआ कि सदस्यों की यह इच्छा थी कि चुंगी कर न लगाया जाय, साढ़े तीन लाख जनता की आवाज पर उन सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने उन साढ़े तीन लाख व्यक्तियों की राय को चुनौती दी और चुंगी कर कायम रखने की अपनी जिद्द पर अड़े रहे। जहां एक व्यक्ति की इच्छा कीमत रखती है लेकिन हमारे मंत्री महोदय के सामने चार लाख व्यक्तियों के राय की कोई कीमत नहीं, नगरपालिका के सदस्यों की राय की कोई कीमत नहीं। तेरह दिन हड़ताल चली, चुने हुए सदस्यों का अपमान करके माननीय मंत्री महोदय ने अपनी जिद्द रखने के लिये नगरपालिका को भंग किया और वह तीन साल तक भंग रही और जिसके चुनाव पिछले साल हुए। चुनाव होने के बाद यह कानून में जो उन्होंने प्रावधान रक्खा है वह सिर्फ अपना कन्ट्रोल, अपना रौब जमाने के लिए सरकार ने रक्खा है जिससे कि नगरपालिकायें उनके अधिकार में रहें और वह रौब भी कब काम में आता है जब कि चुनाव आते हैं।

२. म० प०

चुनाव लड़ने के समय देखते हैं कि सारी नगरपालिका के अधिकार मन्त्री महोदय के हाथ में होते हैं। वे स्थान स्थान पर काम करने की चेष्टा करते हैं। मैं जयपुर का उदाहरण दूं। मैं केवल इसलिए इसका रेफरेन्स देना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने एक प्रावधान रक्खा है कि वे नगरपालिका को सहायता देंगे। एक तरफ तो नगरपालिका के आय के जो साधन हैं; जैसे कि जयपुर में यहां का बिजलीघर और वाटर-वर्क्स आदि, ये दोनों सरकार ने अपने हाथों में ले रक्खे हैं। इसके लिये सन् ४६ में एक कमेटी भी बनाई गई थी। श्री भंडारी थे उसके कन्वीनर। उसने रिपोर्ट दी थी सरकार को कि यहां का वाटरवर्क्स और बिजलीघर जयपुर की नगरपालिका को दे देना चाहिये और इस सिफारिश को सरकार ने ठुकरा दिया, उसने इस सुझाव को नहीं माना और यही कारण है कि नगरपालिका आज हरेक समस्या के लिए सरकार के सामने हाथ पसारती है और सरकार इसमें गौरव मानती है कि वह हमारे सामने आए, हाथ पसारे गिड़गिड़ाए

(श्री सतीशचन्द्र)

और फिर हम थोड़ी मदद के रूप में रुपया फेंक कर हमारा रौब जमावें। माननीय मन्त्री भी इसमें गौरव मानते हैं कि शहर के लोग वहां की नगरपालिका के सदस्य, इस राजधानी की नगरपालिका के सदस्य उनके सामने भीख मांगे कि हमें कर्जा दो। फिर वह कर्जा देते हैं। एक प्रोविज़न इसमें आता है सरकार एड देगी, सहायता देगी पर वह किस आधार पर देगी यह उनकी मर्जी पर है। जयपुर की नगरपालिका को सहायता दी दो लाख दो हजार की। सरकार ठीक चुनावों के पहले यह सहायता देती है और देने में भी क्या करती है, सरकारी ऑर्डर निकलता है कि इसमें से १.६५ हजार पुरानी बस्ती क्षेत्र में खर्च किया जावे, जहां से हमारे माननीय गृहमन्त्री श्री रामकिशोर जी व्यास चुन कर आये हैं, जहाँ उस क्षेत्र में यह रकम खर्च की जावे, अन्य कहीं नहीं और बाकी की रकम जौहरी बाजार में खर्च की जावे, जिस क्षेत्र में कांग्रेस के भूतपूर्व उपमन्त्री हार खा गये। ३७ हजार वहां खर्च किया जावे, ताकि उनको चुनाव में मदद मिले, जनता में वे लोग कह सकें कि मैंने आपके लिए यह किया है। तो ये लोग, ऐसे एड देते हैं, दूसरी चौकड़ियों के लोग, दूसरी चौकड़ियों के मेम्बर, दूसरे क्षेत्र के निवासी चिल्लाते ही रह गये, उनको एक पैसे की मदद नहीं मिल पाई इस सरकार द्वारा। और इसके विपरीत वहां से यह लिख कर भेजते हैं कि यह रुपया केवल इन इन कॉन्स्टीट्यूएन्सीज़ में खर्च किया जावे। ४० सदस्यों वाली दूसरी चौकड़ियों की कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधि चिल्लाते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए, हमारी चौकड़ी में भी काम होना चाहिये, पर उन ४० प्रतिनिधियों की कोई आवाज सरकार के पास नहीं जाती, पर उन केवल दो प्रतिनिधियों की आवाज बहुत जल्दी पहुंच गई। तो यह सरकार तो इस तरह से एड देती है और अपने अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यह सारा ही प्रोविजन सरकार ने इसी तरह से रक्खा है। दूसरी तरफ टैक्सों के बारे में बाध्य करते हैं कि ये ये टैक्स लगाओ तुम। मैं तो कहूंगा कि इस जनतन्त्र प्रणाली में इस तरह के ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ प्रोविजन सर्वथा प्रतिकूल है।

नगरपालिकायें हमारे प्रजातन्त्र का आधार हैं, नगरपालिकाएं प्रजातन्त्र के बड़े भवन की नींव हैं और अगर नींव में इस प्रकार का हस्तक्षेप होता रहा तो यह प्रजातन्त्र का खड़ा हुआ खोल किसी दिन तहस-नहस हो जावेगा। इस प्रकार के प्रतिगामी प्रावधान का कानून में समावेश करना प्रजातन्त्र की हत्या करना होगा। इस प्रकार का जो कानून आज सदन के समने प्रस्तुत हुआ है जिसमें इतनी खामियां हैं, इतनी कमजोरियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं, लीगल डिफेक्ट्स हैं, फिर भी उसको यहीं पास करने की जिद्द करते रहना और उसको उचित संशोधन के लिये प्रवर समिति में नहीं भेजना, कहां तक न्याय संगत है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि २॥ महीने तक यह कानून प्रवर समिति के सुपुर्द रहा और उसके द्वारा विचार करने के बाद यहां आया और यहां काफी बहस होने के बाद मंजूर किया गया और इस आधार पर मैं समझता हूं कि वे यह आरोप भी हमारे पर लगा सकते हैं कि एक बार प्रवर समिति में जा चुकने के बाद फिर उसे प्रवर समिति में भेजने की बात कह कर हम इसे लम्बा करना चाहते हैं। अगर यह आरोप वे लगाना चाहें

(श्री सतीशचन्द्र)

तो लगा सकते हैं, इसके लिये वे स्वतन्त्र हैं। पर मैं भी इस बारे में थोड़ा निवेदन यह कर देना चाहता हूँ कि उस पुरानी प्रवर समिति ने अपने ढंग से विचार किया, पुरानी विधान सभा ने अपनी दृष्टि से उस पर विचार किया। पर आज नये सदस्य आये हैं, नये चुनावों की धूमधाम के साथ, नये नये सदस्य आये हैं नई नई रौनक लेकर नई नई रंगत लेकर, नया दिमाग लेकर आये हैं, नये विचार लेकर आये हैं; नई श्रेणी, नया वातावरण और नई चाल लेकर आये हैं। इसलिये इस नये वातावरण में फिर से इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की हमारी मांग उचित है। इस पर नई परिस्थितियों में नये सिरे से विचार होना चाहिये। फिर यह कानून इस सदन के सामने विचारार्थ आना चाहिये।

मैं समझता हूं कि मुझे आपका अधिक समय न लेकर केवल अब इतना ही कहना है कि श्री भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और जो कुछ मैंने कहा है उसको विरोध न समझ कर सही रूप में समझने की चेष्टा करके, इस सारी बात को सरकार स्वीकार करेगी क्योंकि यहां से बनाये हुए कानून सारे स्थानों पर लागू होंगे, यह एक ऐतिहासिक घटना होगी। इसके परिणाम इतिहास पर असर डालने वाले होंगे तो इतने महत्वपूर्ण कानून को पास करने में सरकार जल्दी नहीं करेगी और विरोधी और पक्ष के विचारों में न पड़ कर सही बात तो कम से कम आप स्वीकार करेंगे, ऐसा आशा रखता हूं और इस आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्य ने एवं अनुमोदक सदस्य ने जो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में अपने विचार प्रकट किये उनका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने वही बातें दोहराईं जो कि हमारे इस म्युनिसिपिल एक्ट में मौजूद हैं और जिनसे कि सरकार के अधिकार सुरक्षित हैं। अब उसके बारे में बहुत सी घटनाएं भी बताऊं। पर हमारे सामने तो सवाल यह है कि क्या यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे या नहीं? म्युनिसिपेलटी में क्या हो रहा है, क्या टैक्स लग रहे हैं, क्या उसने किया, क्या नहीं किया, यह सवाल यहां इस समय नहीं है। हमें तो इस वक्त यह देखना है कि क्या वजूहात हमारे सामने हैं कि जिससे इस बिल को समिति के सुपुर्द किया जावे या नहीं किया जावे। इस बारे में मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बिल पुराने सदन के सामने आया और कई महीनों तक प्रवर समिति के सुपुर्द भी रहा, फिर सदन में आया, उस पर विचार हुआ और इसके बाद पास किया गया। ऐसी अवस्था में एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सरकार की गलतियों से सरकार ने इतना रुपया बरबाद किया और फिर यह बिल दुबारा विधान सभा में लाया गया है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि प्रवर समिति के सुपुर्द इसे फिर किया जावे, तो यह एक कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल के मौजूदा रूप में जो म्युनिसिपल एक्ट लागू है उसमें सरकार के ये अधिकार सुरक्षित हैं, उनको मिटाने के लिये माननीय सदस्य इतनी दिलचस्पी नहीं रखते, जैसा कि जोश-खरोश के साथ किये गये उनके प्रवचनों से लगता है, बल्कि इस

Page No.63

(श्री सतीशचन्द्र)

बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने में और इसे लम्बा करके ढिलाई में डालने में वेर अधिक सन्तोष प्रकट करते हैं जिससे कि यह बिल शीघ्र एक्ट का रूप धारण न कर सके।

आपका तो फर्ज यह होना चाहिये था कि सरकार के जो अधिकार मौजूदा म्युनिसिपल एक्ट में सुरक्षित हैं उनको इस बिल को पास कराके, जल्दी से जल्दी हटवाते, यह कहते; इसके बजाय बिल को प्रवर समिति के पास भेजना, कहना शोभा नहीं देता और क्या हमारा प्रजातन्त्र इसी तरह तरक्की कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का दृष्टिकोण गलत है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इसे इसी समय विचारार्थ लिया जावे और जो इस बिल में प्रोविजन जनता के लिये कष्टदायक हो सकते हैं उनमें संशोधन लाकर जल्दी से जल्दी पास कराया जावे ताकि आज जो कहीं कोई एक्ट लागू है, कहीं कोई उनके स्थान पर यह बिल कानून बन कर सामूहिक रूप से सब जगह जल्दी से लागू हो जाय, तो इससे जनता को फायदा होगा और जो मेरे माननीय मित्र ने अन्ट-शन्ट बातें कहीं........ ....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह 'अन्ट-शन्ट' शब्द बहुत अनपार्लियामेन्टरी है, इसलिये मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य से कह दिया जावे कि वे ऐसे इस्तेमाल न करें और जो इस्तेमाल किये हैं उन्हें वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : (On Shri Pursho-tamltal's remaining standing) The Hon'ble member should sit down. Only one at a time.

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं समझता हूँ यह शब्द अनपर्लियामेन्टरी नहीं हैं। अगर फिर भी ऐसा समझते हैं तो मैं वापिस ले लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Please go on then.

श्री पुरुषोतमलाल (जारी) : अभी किशनगढ़ के म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कहा गया। मैं नहीं बोलता इस बारे में, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस के बहुमत की म्युनिसिपेलिटीज़ जहां हैं उनके बारे में आक्षेप सदन में लगाया गया, मैं बताना चाहता हूं कि किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी में जनसंघ और रामराज्य-वालों ने मिल कर अपना चेयरमेन चुना है। वहां की हालत बताऊं तो पता चलेगा कि वहां कितने कर्मचारी चेयरमैन के मकान में काम करते थे और क्या क्या हालत हो रही थी और कितनी हमने सरकार के समक्ष उसकी शिकायतें की है, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसमें यह बात नहीं है कि कांग्रेस वालों की तो सुनवाई होती है और आपकी नहीं होती है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता।

इस बिल में कई क्लॉजेज़ ऐसे हैं जिनसे मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और इसमें देरी लगाई जावे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हाउस इसे पास करे।

श्री अर्जनदास (अजमेर-सिटी पश्चिम) : Mr. Dy. Speaker, I rise to support

(श्री अर्जुनदास)

this motion for sending this Bill to the Select Committee. My main reason for supporting this motion is that I personally believe that we will be saving the time of this hon'ble House if we send the Bill to the Select Committee rather than discuss it in the very first instance on the floor of this House. To say that because in the previous Assembly this Bill had already been to the Select committee and subsequently it had been passed by the House it should not be sent to the Select Committee now, is itself a contradiction in the terms. The Bill has been introduced in the House and we are really interested in the Municipal affairs and the Bill itself-every word used in it and every clause that we find in it, we are entitled to discuss it and suggest amendments.

I personally tried to read the Bill but unfortunately I could not study the whole of it. In some portions that I could read I have been able to find out a number of mistakes which will have to be rectified if we want to pass it as a good law.

I may inform the hon'ble Minister-in-charge of the Bill that so far I have been able to suggest fourtyfive amendments to this Bill. if I could get more time I believe I would be able to suggest seventyfive or more, if not one hundred amendments If we discuss all these amendments on the floor of this House, I think we will be wasting the valuable time of the House. The only way of saving time and money is to send it to the Select Committee where the matter could be thrashed out in a few days and thereafter in the House it could be easily passed without wasting much time.

The present suggestion made by the previous speaker that we are trying to waste the time is not correct. He should know and should be certain that what we are aiming at are two things, viz. (1) to save the time of this House, (2) to have a Bill which is really correct and appreciable. Now with regard to the present Bill, I believe it has been draftd by a person who either does not know English or has tried to learn English. It is not at all English, Sir. I will now be giving you a few instances whereby you will be able to Judge whether it is English language or some other language which has been used. That is one of the defects that I will now try to point out to you.

Page 8, last but one line. Let us read sub-clause (2) "For purposes of preparation of such electoral roll the electoral rolls prepared for the State Assembly constituencies under and in accordance

(श्री अर्जुनदास)

with the provisions of the Representation Of The People Act, 1950 (Central Act XLIII of 1950), relatable to the area comprised...... ...." I think relatable is no English word at all. The only word that can be used here is 'realating to' and not 'relatable'. It is not a mis-print only. It has been used at a number of places in this very Bill. In sub-clause (3) the same word 'relatable' has been used. Then in clause 16 the same word has been used. We have got to change this word. It is no English at all.

Page 21, sub-clause (2), "The Judge shall dismiss an election petition which does not apply with the provisions of section 34 or section 35 or section 48."

The use of the word 'apply', I think, deserves credit. We can never use the word 'apply' here. It should be 'comply' and not 'apply'

I cannot understand whether hon'ble Minister-in-charge of the Bill has really gone through the Bill or had just ordered the factory i.e. the Law Department to prepare some Bill just like a factory where some shoes are prepared and thrown out? Whether he has really read the Bill? of cource I could not suggest. Therefore, it would be worthwhile sending the Bill to the Select Committee which will correct all these mistakes of English also.

I have also to refer to page 10 on this very point. The hon'ble Minister-in-charge is not interessted in the dfscussion going on in the House and that is why he is not opening the Bill refered to by me. May I request him to please open the Bill (Municipalities) to show us some courtesy at least.

श्री उपाध्यक्ष : Address the Chair, please.

श्री अर्जुनदास : I have been approaching the hon'ble member through the Chair, Sir.

At page 10-clause 24. "General disqualifications for members-" let us read sub-clause (xiv), "who is in arrears in the payment of any tax or other dues in excess of one year's demand." The words 'in the payment' are redundant. The rest of the language that has been used in this sub--clause has more than one meaning. What is really meant, ofcourse, God alone knows? I don't know whether you mean-one year after demond notice has been served or whether demand for more than one year is meant? I cannot follow anything out of it.

I am only trying to suggest

(श्री अर्जनदास)

that the English used in this Bill is not real English. It may be any other language. Similarly in this Bill at one place the word 'ward' has been used, while at another place the word 'ward' has not been used, but the word 'constituency' has been used. By 'constituency' we understand either a Parlimentary Constituency or Assembly constituency but can never understand it as a municipal ward. of course I have not read the whole Bill. If I had the opportunity of doing so, I would have shown to you many other mistakes as well.

Now there are numerous patent defects which have got to be cured. But if we try to do so on the floor of the House we will certainly take more time than otherwise.

There is one provision here with regard to 'Method of Voting.' It says, "Every elector shall have one vote provided that in plural member constituencies every elector shall have as many votes as there are members to be elected but no elector shall give more than one vote to any one candidate." The penal provision if anybody casts more than one vote in favour of any one candidate what would be the effect ? By the present Bill the provision sought to be made is that all the votes shall be discarded. I really cannot understand the significance of this. The person who has been given two ballot papers—of course you want him to cast one vote for one candidate—but he tries to put in the ballot box both the votes in favour of one candidate. You have got to treat atleast one vote as valid. The provision made here is that, "all the votes given by him shall be rejected as void." We cannot imagine the provision like this. It has got to be treated as one good vote as is being done in the Assembly double member constituencies or Parliamentary double member constituencies. But it says, 'all votes given by him shall be rejected as void.''

Then with regard to corrupt practices, Sir, a provision has been made that, if any candidate uses or tries to use a government servant for purposes of his election it shall be treated as a corrupt practice. But unfortunately no provision has been made, if he tries to use the municipal employees also for the purpose of his election then it shall be treated as a corrupt practice. In municipal election the municipal employees are certainly debarred from working for any candidate. But there is no such provision in this Bill. Thus, municipal employees are free to work for anybody they like and we can very easily understand the mischief that can be played if we give them a free hand. When you debar the Go-

(श्री अर्जनदास)

vernment servants then you have got to debar the municipal employees as well.

With regard to Election Petitions a provision......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर जब कन्सीडरेशन का मोशन किया गया, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस हो रही है, वह आम तौर से होती नहीं है। इस मोशन पर खास बात ही कही जाती है और राय जाहिर की जाती है। यह कन्सीडरेशन की स्टेज पर कहा जा सकता है, जब क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन किया जाय।

श्री अर्जनदास (जारी) : I believe the hon'ble Chief Minister did not hear my starting phrases. I am trying to quote these things only with a view to induce the House to send it to the Select Committee because we cannot possibly discuss all these things on the floor of the House and waste the time of this House.

श्री उपाध्यक्ष : Again I invite your attention to Rule 99 which says, "······the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principles."

श्री अर्जनदास : I am only trying to explain the motion that we are supporting. I was pointing out clear defects in the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : There will be many opportunities available to the hon'ble member when we consider the Bill clause by clause.

श्री अर्जनदास : That is correct, Sir, but here I am trying to give a picture of the Bill as it is and to impress upon the House to send it to the Select Committee, where we can recast it.

श्री उपाध्यक्ष :Anyhow you have grasped the intention, I hope.

श्री अर्जनदास—With regard to the Election Petitions the provisions that have been made are too vague. On the one hand you have provided for no appeal to the High Court. You cannot appreciate the provisions like this. With regard to the Assembly elections a provision has been made for an appeal to the High Court but no identical provision has been made in this Bill. On the other hand you are trying to give a second opportunity to the same District Judge to review his own order. That by itself is preposterous. Once he has given his decision in favour of A or B, how can he possibly review his own judgment? How can he say, "no, the judgment was wrong. The other man could not have been disqualified and that he will continue to be a

(श्री अर्जुनदास)

municipal commissioner." You have got to delete the provision of review by the same judge.

Then, Sir, as an instance of bad drafting I would refer to page 15 of the Bill, Sir. I am referring to clause 32 (a). It reads-

"that on the date of election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under this Act"

This again cannot be a correct law. He should be disqualified not on the date of voting but on the date of filing nominations. A man may not be disqualified on the date of election but he should be disqualified at the time of filing of the nominations. The crucial date is the date of nominations and not the date of voting or election. I am only surprised to find that these provisions have been just put into this Bill which cannot make head or tail out of it.

Then, Sir, by referring to page 18, I am trying to give you a few examples before I take my seat, Sir. "Presentation of Petition.—(2) The petition may be presented by any candidate at such election or by any elector of the ward." The word 'candidate' has not been defined here in this Bill at all. We don't understand what is meant by the word 'candidate'? Candidates can be of various types: candidate who has withdrawn, candidate whose nomination paper has been rejected, candidate who has retired or who has continued to contest upto the last. The meaning is not known here. Supposing a person who is not a voter in a particular ward tries to seek election and his nomination paper has been improperly rejected, If he so wants can he be allowed to file election petition ? As the Bill stands he cannot be allowed to file election petition because he is not a candidate, his nomination paper was rejected. So we have got to make ourselves very clear with regard to the Provisions in this Bill.

Another funny thing is on page 29. "Functions of vicec-hairman." Clause 62 (2) "(b) pending the election or nomination of a chairman or during the absence of a chairman on leave, to exercise the powers and perform the duties of the Chairman."

I put before the hon'ble minister-in-charge, Sir, one position. Supposing the Chairman just goes out of the town for a day or two without permission, who is going to function in his absence? So we presume that no body shall be working in his place. The municipal law all over India, I believe, says that whenever the Chairman is out of station the Vice-chairman has got to work in his place. But nowhere we find a provision like this that when the Chairman

(श्री अर्जुनदास)

is out on leave then and then alone the Vice-chairman can work.

So these provisions certainly need recasting which we cannot possibly do on the floor of the House, Sir. Another thing is on page 27. The resignation shall be sent to the Collector and it shall be deemd to have been accepted and that it shall come into force after thirty days from the date of its receipt by the Collector. The Collector according to the provisions of the Bill is not supposed to pass any orders accepting the resignation. All that the law says is that he must get it and after the expiry of thirty days it shall be presumed to have been accepted. If that is the provision, I put another position before you, Sir. The Chairman does not want to continue for a day more. Though he resigns, yet you expect him to continue for thirty days! How can we expect him to continue for two hours more even? So power must be given to the Collector to accept the resignation as soon as it may be possible for him to do so. Then, of course, you may have a provision that if the Collector does not accept the resignation within thirty days it might well be presumed that the resignation has been accepted. The present provision that you find can be made only as an alternative provision and not as an original provision. So then, Sir, I was only trying to explain that the Bill needs recasting. Let us send it to the select Committee. You can send it there for a few days, with definite instructions to finish the work within a few days, and then it can be placed before the House in this very Session.

In the last, I will suggest that I expect the Hon'ble Minister would not exploit his position by not accepting this little resolution from the Opposition. Please show that you don't have inferiority complex by accepting this resolution, for which we shall thank you, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Members on the back benches will please look to the decorum of the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के इस बिल को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है, मुझे इसको मान जाने में साधारणतया कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी, मगर कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण, मैं समझता हूं, कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाना उपयुक्त नहीं होगा। सदन के सदस्यों को यह मालूम है कि यह बिल पहले इस सदन में पेश होने पर प्रवर समिति में भेजा गया था और उसमें कई महीनों तक वाद-विवाद के बाद यह सदन में आया, पिछले सदन में आया और पिछले सदन में आने के बाद बहुत दिनों तक इस सदन में ही

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं बल्कि इस सदन से बाहर एक सब पार्टियों की मीटिंग में, ऑल पार्टीज़ की मीटिंग में हमने इसे अनऑफिशियली डिस्कस किया और इसमें जितने कॉन्ट्राडिक्टरी या हटाने योग्य प्रोविजन्स थे उन पर सब पार्टियों से डिस्कशन करके युनेनिमसली तय किया। मैं समझता हूं, इसके बाद इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir. I think this is certainly dis-respect to this House. Because the old members had considered it, we must take them as they did. Please don't remind of what you have done in the last Assembly.

श्री उपाध्यक्ष : (To the Hon'ble Minister) Please continue.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : you first Listen to the argument.

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री) : यह कहना कि पिछली विधान सभा जो थी उसको हम रिकोग्नाइज़ नहीं करते, उसने जो कुछ बना दिया उसको हम नहीं मानते, उसमें जो कुछ किया गया उसको हम रिकोग्नाइज़ नही करते, यह विधान सभा की एक तरह से माननीय उपाध्यक्ष, इन्सल्ट है। विधान सभा नहीं बदली है, केरेक्टर (chatcter) बदल गया है। वह पहली विधान सभा थी और यह दूसरी विधान सभा है। उसकी बातों का सम्मान न करना उपयुक्त नहीं मालूम होता। खास तौर से मैं उन सदस्यों से अपील करूंगा कि जो उस सदन के भी सदस्य थे और इस सदन के भी सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी में यह कानून बना और इसको बनाने के बाद यह कहना कि यह कानून गलत है, उसमें खामियां रह गई हैं इसलिये इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यह उपयुक्त दलील नहीं है। सदन में जब पूरा कानून बन गया है, उसको रीकलेक्ट करने के लिए इसे प्रवर समिति में भेजना और भी अनुचित बात है। तो इसे जहां तक सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल है, जो पिछली विधान सभा के भी सदस्य थे और उन्होंने आज फिर इस सदन में प्रस्ताव पेश किया है उसे वे माननीय सदस्य वापिस लेने की कृपा करेंगे।

हो सकता है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते। पर यदि पहली नवंबर से पहले प्रेसीडेन्ट की एसेंट इस पर मिल गई होती तो यह आज से पहले ही सारे राजस्थान में लागू हो जाता, पर प्रेसीडेन्ट साहब उस समय दिल्ली में नहीं थे, उनके दौरे पर चले जाने से इस बिल पर उनकी एसेंट नहीं हो सकी। तो यह कहना कि पहली विधान सभा ने जो कुछ किया गलत था, उसमें बहुत खराबियां हैं, यह उपयुक्त नहीं होगा।

फिर साथ ही मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो प्रदेश राजस्थान में मिल गये हैं; जैसे अजमेर है, वहां के माननीय सदस्यों को इस पर अपनी राय और सुझाव देने का मौका नहीं मिला था, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पहले हम हर रोज मिलते थे, उसके बारे में आपस में बात-चीत करते थे, सोचते थे, डिस्कशन करते थे और फिर एग्रीड नतीजे पर जाने का

Page No.71

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रयत्न करते थे, उसी प्रकार अब भी जब इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज़ डिस्कस किया जायगा तो इस पर सब सदस्यों को अपनी बात कहने का और आपस में विचार करके एग्रीड डिसीज़न पर पहुंचने का प्रयास किया जायगा। इस तरह से सिलेक्ट कमेटी को भेजने का हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जायगा और यह बिल भी जल्दी पास हो जायगा।

तो मैं माननीय सदस्य से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है उसे वापिस ले लें और जिस तरह हमने पहले इस बिल को साथ बैठ कर, आपस में चर्चा करके, पास किया है उसी तरह पास करेंगे।

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि पहले यह बिल प्रवर समिति में गया था तो बड़ी बहस के बाद काफी अर्से बाद इस सदन में आया था और जिस रूप में आया था इस सदन में आने के बाद उसमें काफी रद्दोबदल किया गया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति में भेजने से कोई पर्पज़ सर्व नहीं होगा।

श्री अर्जुनदास : Sir, May I ask one question ? Does the Hon'ble Minister want to suggest that he is not making the suggestion that this bill is also being taken today clause by clause. You (Hon'ble Minister) are not making the suggestion that the bill be taken into consideration today clause-wise.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We are considering the motion, "That this Bill be sent to the Select Committee."

तो अभी जनरल डिस्कशन होना है। We will take it again. इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जनरल डिस्कशन के लिए अब कोई चांस नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन के लिए आज मौका नहीं है तो we can postpone it for the other day, और यह ख्याल था इस असेम्बली के सेशन के बारे में कि बजट पर तीन-चार रोज़ अभी डिस्कशन करेंगे और फिर इस बिल को लिया जायगा। We may adjourn for some time और इसके बाद we may take it clause by clause.

श्री अर्जुनदास : We will thank you for this little consideration, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Has the Hon'ble member been given the assurauce, that it is not to be taken to-day.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सदन की अगर ऐसी मरजी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : Then he is agreeing, Sir.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने मेरी बात के उत्तर में कोई संतोषजनक बातें कही हों जिनके कारण मुझे अपना प्रस्ताव वापिस लेना पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय मन्त्री महोदय ने बताई कि इस सदन के सदस्य जो पिछली बार भी विधान सभा के सदस्य थे उन सब ने मिल कर इस विधेयक के बारे में डिस्कशन करके विचार ठहराया, जो सुझाव उनके सम्मुख रखे गये थे उनको मानने के बाद इस बिल का ऐसा रूप बना है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस चीज से इन्कार नहीं करता बल्कि मैं मन्त्रीजी की तारीफ भी करता हूं और तारीफ इस इस नाते से करता हूं कि उन्होंने पिछली बार इस बिल में जो खामियां थीं उनको निकालने में काफी कोशिश की है। मैं उनकी तारीफ करता हूँ और साथ ही साथ उनके कामों को भुलाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद भी कमियें रह गईं और उनको दूर करने के लिये मैं आवश्यक समझता हूँ कि सदन की सहायता लेकर उनके हाथ मजबूत करें, जिन हाथों से वे स्वयं चेष्टा करते हैं वे शायद उनको दूर कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष, यहां पार्टी का प्रश्न है, एक बात वे स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन पार्टी नहीं चाहती इसलिये यह आवश्यक है कि उनके हाथ मजबूत किये जावें। इसके लिये एक ही तरीका है और वह जो तरीका है वह यह है कि इनको सदन में रखा जावे और सदन के द्वारा इसको दूर करने की चेष्टा की जावे। मैंने जो बात सदन में प्रस्तुत की उनके उत्तर में, एक बात मोटे रूप में कही है वह यह है कि जो सदन के सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी राय देना चाहेंगे तो उसको सिलेक्ट कमेटी के रूप में नहीं लेकर, अलग अलग सदस्य इकट्ठे होकर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे और उन पर विचार किया जा सकेगा। यह उसी प्रकार का रूप है। हम इसको सिलेक्ट कमेटी का रूप नहीं देते हैं मगर बात बिल्कुल एक ही है। एक इसका लीगल आस्पेक्ट है और दूसरा लीगल आस्पेक्ट नहीं है। अब प्रश्न यह है कि दोनों में से कौन सा स्वीकार किया जावे? अगर यह सिलेक्ट कमेटी में चला गया तो बहुत मुमकिन है, जिस तरह पिछली बार गया और सदन ने उसकी कई बातें नामंजूर कीं और दूसरी बातें उसके स्थान पर जोड़ीं वैसी की वैसी स्थिति कहीं फिर न बन जावे। वैसे तो सदन को सर्वस्व अधिकार है कि वह जो चाहे इसमें संशोधन करे। सिलेक्ट कमेटी की बात को उसी रूप में जैसी वह कहे माने या नहीं माने। अगर सदन उसमें किसी प्रकार के विशेष एडजस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है। मगर हमारे सामने अब केवल बात यह है कि कौन सा मार्ग अपनाया जावे? चाहे वे जिन व्यक्तियों की राय लेना चाहते हैं, १०–१२ जितने भी वे लेना चाहें उनको लेकर उसको सिलेक्ट कमेटी का रूप दे दें और यदि वे चाहें कि वह कमेटी अपनी रिपोर्ट इस पर इसी अधिवेशन में दे दे तो इस प्रकार का संशोधन मैं अपने प्रस्ताव में करने को तैयार हूं। मुझे इस प्रकार की कोई चिन्ता नहीं कि रिपोर्ट अधिवेशन के बाद में पेश हो। अगर वे चाहें तो इस बिल के बारे में आज और कल सुबह से ही सिलेक्ट कमेटी अपना काम शुरू कर दे और अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे दे। अभी तो बजट डिस्कशन में समय लगेगा। बजट डिस्कशन के दौरान में इस पर वह कमेटी अपना विचार शुरू कर देगी और अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, १०–१२ आदमी बैठ जावेंगे और इस पर विचार करके इसको ठीक कर लेंगे।

एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

कि किस कारण से मुझे शंका हो रही है ? १०–१२ व्यक्तियों की सिलेक्ट कमेटी के सुझाव में क्या अन्तर है ? उन्हें याद होगा कि जिस समय १०–१२ सदस्य इसी बिल पर पहले गवर्नमेंट होस्टल में विचार कर रहे थे उस समय एक प्रश्न आया था ओब्लीगेटरी टैक्सों के बारे में कि ओब्लीगेटरी टैक्स कौन कौन से होने चाहिये । उस पर हमने सुझाव पेश किया कि ये प्रजातंत्र के ढंग पर अच्छे नहीं है । उन्होंने कहा कि इसके बगैर म्युनिसिपेल्टीज़ का काम नहीं चलता इसलिये सरकार को ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ लागू (इम्पोज़) करने होंगे । इस पर सब लोग एक मत हो गये । लेकिन गृह-कर सब पर लगाया जावे, इस मामले में हमने कहा कि गरीबों को तो इससे बचाओ मैं माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी की आपके द्वारा तारीफ करूंगा कि उन्होंने गरीबों की बात को महसूस किया और हम लोगों ने छोटे छोटे मकान के किरायेदार हैं उनको बचाने की कोशिश की है ।

दूसरा प्रश्न ऑक्ट्राय ड्युटी का आया । उनके सारे साथी तो कहते थे कि यह कर होना चाहिये और हर नगरपालिका को लगाना चाहिये । तीसरी बात टैक्स लगाने की चर्चा हुई । लोगों ने कहा कि आपने गृह कर लगाये, चुंगी–कर लगाया, इससे गरीब मर गये । अब टैक्स जिन पर लगाना चाहिये उनको टैक्सी के चक्कर में लाने की व्यवस्था की जावे । उन्होंने मुझे याद है इस पर दो शब्द कहे थे; जैसे कि इस एक्ट में हैं कि प्रोफेशन और वोकेशन पर पर टैक्स हो । हमने इसके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था की थी । इसके लिए व्यवस्था गवर्नमेन्ट होस्टल में कुछ हुई और एमेन्डमेन्ट दूसरे रोज कुछ और ही पेश किया गया । हम इस धोखे में रहे कि हमने कल पास किया है वही संशोधन होगा और वही माननीय मन्त्री महोदय ने संशोधन पेश किया है, इसलिये हमने उसको पढ़ा नहीं !

श्री बद्रीप्रसाद : ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है । वह क्या है, मैं आपको बताता हूं । माननीय उपाध्यक्ष, यदि ऐसी बात सिलेक्ट कमेटी में होती तो लिखी तो जाती और रेकॉर्ड जब होती तो उसका पता लग सकता था । मगर वह रेकॉर्ड नहीं हुई थी, उस पर १०-१२ व्यक्तियों ने विचार कर लिया था और यह कह कर कि इस पर १०-१२ लोगों ने विचार कर लिया है इस बिल को अंग रूप से मंजूर कर लिया जावे । अगर रेकॉर्ड होता तो उसमें यह नहीं हो सकता था । उस समय सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें ओब्लीगेटरी टैक्सों का प्रोविजन नहीं था, लेकिन उसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि trades and callings पर सिलेक्ट कमेटी ने कर की सिफारिश की थी, लेकिन बड़े बड़े एम० एल० ए० लोग जो थे उन्होंने देखा कि ट्रेड करने वालों पर टैक्स लग जावेगा, उन्होंने इसका विरोध किया । सारे साथियों ने कहा कि टैक्स लगेगा तो सारे लोग टैक्स से दब जावेंगे और अगर टैक्स लगेगा तो सब पर लगेगा । लेकिन जब रात को १२ बजे इसका ड्राफ्ट किया गया और ड्राफ्ट होकर आया तो उसमें दूसरे ही प्रकार का एमेन्डमेंट आया । मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कई सदस्य जो उसमें थे आज भी हैं, अगर आप उनसे प्राइवेट में पूछेंगे तो वे कहेंगे और सदन में पूछेंगे तो खड़े होकर भी कहेंगे कि वास्तव में

Page No.74

(श्री भैरोंसिंह)

क्या हुआ ? मैंने एमेन्डमेन्ट पास होने के तुरन्त बाद आपके डिप्टी डाइरेक्टर से पूछा कि यह क्या हो गया ? उन्होंने कहा कि रात को १२ बजे यह तब्दीली हुई है। यह बात सही है या गलत, इसका निर्णय सदन करेगा। मगर यह तब्दीली हुई। सिलेक्ट कमेटी में और इसमें यही भिन्नता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको सिलेक्ट कमेटी का लीगल अस्पेक्ट ही दे दें। जो माननीय मन्त्री चाहें वे ही सिलेक्ट कमेटी के सदस्य हों और वह सिलेक्ट कमेटी ४, ५, ७ दिन में जब वे चाहें वह अपनी रिपोर्ट पेश कर दे ताकि सदन में उसे डिसकस किया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यही उचित तरीका होगा और इसको उचित तरीका मान कर मैं अपील करूंगा कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री बद्रीप्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चेन्ज के बारे में जो बात कही गई है यह मेरे नोटिस में नहीं थी, न है। हो सकता है गलती से कोई हो गया हो। न तो ऐसी बात मेरे नोटिस में है और न हुई। इसके अलावा आप खुद मानते हैं कि मैं गलत बात नहीं कहूँगा। मैंने आपसे जो अर्ज किया है वह उचित है।

श्री भैरोंसिंह : अब माननीय मन्त्रीजी ऐसा विश्वास देते हैं तो मैं उनके विश्वास की एक बार तो फिर कीमत करूंगा और उसी कीमत के नाते मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उसको वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : (To Shri Bhairon Singh) : Have you accepted the proposal ?

(मौन स्वीकृति के पश्चात्)

Is it the leave of the House that the amendment be withdrawn ?

(स्वीकृत)

The amendment is allowed to be withdrawn.

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Then the question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Bill is taken into consideration.

२-५१-म. प.

राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेंट बिल, १६५७

(विचार-विमर्श एवं पारित)

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेंट बिल, १६५७ विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल कोर्ट्स

(श्री भैर सिंह)

लॉज़ (एक्सटेन्शन) एमेन्डमेंट बिल, १६५७ के स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में नीचे की लाइन में लिखा है–:

"It is considered that the proposed amendment is likely to place the matter beyond all controversy"

एक तो यह लिखा है और आगे लिखा है:

"The occasion has been availed of to correct a printing error in the schedule to the principal act."

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करने का मकसद जहां तक इसके उद्देश्य व कारणों को सरकार की ओर से लिया गया है उससे पता लगता है कि कुछ प्रिन्टिंग एरर्स ऐसी थीं जिनके कारण कन्ट्रोवरशियल बातें बन गई थीं। उन सारी कन्ट्रोवर्सीज़ को दूर करने के लिये इस प्रिन्टिंग एरर् को ठीक किया जाता है, एक प्रकार का बिल ला कर। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई है कि राजस्थान का जो प्रेस है, गवर्नमेंट का जो प्रेस है, उस प्रेस के द्वारा जितनी भी छपाई के काम होते हैं उनसे कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी इस सदन को हमेशा भुगतनी पड़ती है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह गलती जानबूझ कर की गई है या अनजान में हो गई है। यह तो माननीय मन्त्रीजी स्वयं ही बतायेंगे। लेकिन माननीय मन्त्रीजी को कम से कम सदन में यह अवश्य बतलाना होगा कि यह एरर् किस प्रकार की थी और उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान की विधान सभा कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद कानून का जनता के अन्दर अमल होता है और उसमें अगर कोई कानूनी कठिनाइयां आती हैं तो उसको जनता हाई कोर्ट में चैलेन्ज करती है। इसके बाद हमारी सरकार के ध्यान में आता है कि अमुक कानून की छपाई में गलती रह गई थी और अब कानून लाकर इसको ठीक किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब यदि प्रिन्टिंग एरर् को एक मामूली सी एरर् मान लिया जाये तो हमें यह अन्दाजा लगाना पड़ेगा कि इससे सरकार का कितना नुकसान हुआ है? यहां राजस्थान विधान सभा के १७६ सदस्य हैं और उनको वितरित करने के लिये कॉपीज़ बटवाई गईं, राजस्थान के गजट में प्रकाशित किया गया, इन सब के अन्दर भी एक प्रकार से कुछ न कुछ खर्च होता ही है, साथ ही सभी का यहां समय भी व्यय होता है। तो सरकार यह कह कर कि यह प्रिन्टिंग की गलती है इतना जनता का रुपया खराब करती है यह कहां तक उचित है? जिस व्यक्ति ने छपाई में गलती की है उसको दण्ड भी दिया गया है या नहीं, इसका अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस के सम्बन्ध में जब इस सदन में चर्चा करते हैं तो माननीय मन्त्रीजी, जो प्रेस विभाग के इंचार्ज हैं वे, कह देते हैं कि छपाई का काम अच्छा होता है, चाहे प्रेस के अन्दर कितने ही पैसों का घोटाला हो, कितना ही भ्रष्टाचार वहां पर होता हो, इन सबका उनको पता ही नहीं रहता। छपाई में कितनी गलतियां होती हैं, चाहे विधान सभा की कार्यवाही के कागजात छप कर समय पर न आते हों, चाहे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट समय पर न छपती हो, इन सब बातों की तरफ माननीय मन्त्रीजी कोई ध्यान नहीं देते और कहने को वह कहते हैं कि छपाई का काम गवर्नमेंट प्रेस में

(श्री भैरोंसिंह)

अच्छा होता है ! हम हमेशा इन चीजों को दरगुजर करते आये हैं; लेकिन आज जो मसला आया है वह अजीब मसला है । वह यह है कि माननीय गृह मन्त्रीजी जहां यह कानून सदन में प्रस्तुत करते हैं उनको चाहिये कि सदन को इत्तिला देते कि यह गलती जो प्रिंटिंग की है इसका कौन जिम्मेदार है ? किसने गलती की और उसके सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई इन्क्वायरी की और अगर इसके बारे में कोई इन्क्वायरी की तो उस इन्क्वायरी का क्या नतीजा निकला और इसमें किसको दण्ड दिया गया ? अगर इन्क्वायरी नहीं हुई तो मैं कहता हूँ कि यह एक प्रकार का इल्जाम है । माननीय मंत्रीजी सदन में समय खर्च करने के लिए सदन में बिल्कुल बेकार कानून लाते हैं । मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह बात नहीं की होगी। जो भी इसमें दोषी होगा, जिसके द्वारा भी यह गलती हुई होगी उसको किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी होगी और किसी प्रकार की जांच अथवा इन्क्वायरी भी नहीं कराई होगी । यह गलती भी जब उनकी तरफ से दूर की गई होगी जब कि किसी वकील ने मुकदमा बनाया होगा; तब माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि चलो सदन की बैठक होने वाली है उसमें ही इस प्रकार का बिल रख देंगे । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी लेने के लिये कि कौन इसका जिम्मेदार है, यह विचार सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

२-म० ५०

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है वह केवल प्रिन्टिंग एरर की वजह से नहीं लाया गया है । जयपुर में जो सिविल कोर्ट्स एक्ट है यहां सब जज को सिविल-जज कहते हैं जब कि अजमेर में सिविल जज सब-जज के नाम से पुकारे जाते हैं। उन सब में सिमिलेरिटी लाने के लिए यह कानून लाया गया है और यह अमेन्डमेंट लाया गया है कि अजमेर के सब–जज भी सिविलज–जेज़ज कहलायें ।

इसके अलावा इसमें एक प्रिंटिंग एरर भी थी । सब क्लॉज़ ३ होना चाहिये, इसमें २ छपा है; उसकी जगह तीन होना चाहिये। केवल इसी प्रिन्टिंग एरर की वजह से यह अमेन्डमेंट लाया गया हो, यह बात नहीं ।

अजमेर के सब-जजेज़ को सिविल–जज की डेफीनिशन में माना जाय, इसीलिये यह संशोधन लाया गया है । इसमें एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई वेस्टेज का सवाल ही नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या प्रिन्टिंग एरर के लिए यह संशोधन नहीं लाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने इससे इन्कार थोड़े ही किया है । प्रिन्टिंग एरर इसमें हैं, तीन के बजाय दो रखा गया है । किसके द्वारा गलती हुई यह मैं नहीं जानता । लेकिन आयन्दा इस बात की ओर ज्यादा ध्यान रखा जायगा । यह इन्नोसेन्ट बिल है, इसलिये इसको पास कर देना चाहिये ।

श्री मदनसिंह : इसमें "दो" के बजाय "तीन" लिख दिया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : सब क्लॉज़ टू के बजाय थ्री लिख दिया जाय, बस इतनी ही प्रीन्टिंग एरर है । यह मामूली बात है ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी निगाह से मामूली है किन्तु महत्वपूर्ण भी हो सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्टिंग एरर् की वजह से ही यह संशोधन लाया गया हो, यह बात नहीं। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया अजमेर में सब-जजेज् जो होते हैं उनको सिविल-जजेज् को डेफीनिशन में लाने के लिये यह संशोधन लाया गया। उसके साथ साथ हमारे ध्यान में एक जो प्रिन्टिंग एरर् थी वह भी ध्यान में आगई, उसको भी दुरुस्त कर लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रिन्टिंग एरर् के लिये आप किसी को पीनेलाइज़ करना नहीं चाहते ?

श्री रामकिशोर व्यास : (जारी) हो सकता है, इसमें किसी ने इन्टेन्शली ऐसा किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दो का जो लेटर है वह थोड़ा बढ़ जाता है तो तीन बन जाता है। इस "दो" के बजाय "तीन" हो जाना चाहिये।

श्री मदनसिंह : Is it only "2" or "3" ? इसमें "तीन" और "दो" क्या चीजें हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सिविल कोर्ट एक्ट है, इसमें एक सेक्शन है। उसके अल्फाज़ जो लिखे गये हैं उनमें "सब सेक्शन टू" लिखा है, उसकी जगह "सब सेक्शन थ्री" होना चाहिये। इस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जायगा। इससे तात्पर्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the Bill be taken into consideration.

श्री रामकिशोर व्यास : It has already been taken.

श्री अध्यक्ष : Has it been taken ?

(Consultation with the Secretary)

श्री अर्जुनदास : One minute, Sir. Clause 2 of this Bill, Sir, reads like this :—

"Amendment of section 5, Rajasthan Act 2 of 1957—To Section 5 of the Rajasthan Civil Courts Laws (Extension) Act, 1956."

श्री उपाध्यक्ष : What are you hitting at ?

श्री अर्जुनदास: I want the Hon'ble Minister to please explain why it is' '1956' in the upper line and '1957' in the next line.

श्री उपाध्यक्ष: I am putting the question whether it should be taken into consideration on not. Then the question arises. The question is that the bill be taken into consi. qeration.

(स्वीकृत)

बिल कंसीडरेशन के लिए लिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: Motion moved.

श्री अर्जुनदास: May I ask the Hon'ble Minister through you, Sir, to please explain that in clause 2, line 2, we have the word '1956' and in line 3 it is '1957' which of the two are correct, 56 or 57 ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री): मैं आपकी इन्फोर्मेशन के लिये यह कह दूं कि यह राजस्थान सिविल कोर्ट्स एक्स्टेन्शन एक्ट १९५६ में पास हुआ था असेम्बली द्वारा। सन्, ५७ में इस पर एसेन्ट हुई थी, इसलिये दोनों ही ठीक हैं।

श्री मदनसिंह: लागू किस दिन से हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र : फोर्स में कब से आया है, चालू कब से है ?

(कुछ विचार-विमर्श के पश्चात्)

श्री रामकिशोर व्यासः उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया यह एक्ट सन् १९५६ में पास हुआ था। यह जो १९५६ वह एक्ट का नंबर नहीं है। राजस्थान सिविल कोर्टस लॉज़ एक्स्टेन्शन एक्ट, १९५६ यह नंबर नहीं है। यह तो यहां से पास हुआ है, उसके लिये दिया है। आगे जाकर सेम एक्ट, राजस्थान एक्ट टू ऑफ १९५७, है। इसी तरह से सेन्ट्रल लेजिस्लेचर में भी हुआ करता है। पार्लियामेन्ट में जो बिल पास होता है वह एक्ट का नंबर नहीं। इसी तरह इसमें भी १९५६ जो है वह पास होने का है और १९५७ में इस पर एसेन्ट हुई थी।

श्री सतीशचन्द्र : On a point of information, Sir,...

श्री रामकिशोर व्यास : सन् १९५७ से।

३.१०.--म. प.

(सभापति, श्री हरिदेव जोशी, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र : एक्ट कब से फोर्स में आया ?

श्री रामकिशोर व्यासः सन् १९५७ में।

श्री सतीशचन्द्र : स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स और रीज़न्स में लिखा है—

'The Rajasthan Civil Courts Laws (Extension) Act, 1956, has been passed so as to take effect from the 1st day of December, 1956."

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : पास तो ५६ में हो गया। ठीक है यह भी। शॉर्ट टाइटल में जो लिखा है वह ठीक लिखा है। अब एसेम्बली के द्वारा स्वीकार किया गया उसका जिक्र है वहां पर। जिस वक्त एसेन्ट मिली है, जिसका मिलना जरूरी था इसलिये उसका भी जिक्र है। इसलिये जैसा अब है वैसा ही ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र : सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि यह एक्ट फोर्स में कब से आया ? स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स और रीज़न्स में लिखा है ५६ से आया और मिनिस्टर महोदय फरमाते हैं कि ५७ में आया कन्सेन्ट मिलने के बाद। तो सही बात कौनसी है ? When shall the Act be deemed to have come into force ? Which one is correct ?

श्री रामकिशोर व्यास : फोर्स में तो एसेन्ट मिलने के बाद ही आवेगा।

श्री सतीशचन्द्र : तो फिर स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो ५६ लिखा है वह क्या प्रिंटिंग एरर् मानी जावे फिर ? Is that also a printing error ?

श्री रामकिशोर व्यास ; सवाल यह नहीं है। लैंग्वेज इसकी पढ़िये आप अच्छी तरह। Just follow, "The Rajasthan Civ-

(श्री रामकिशोर व्यास)

il Courts laws (Extension) Act, 1956, has been passed so as to take effect from the 1st day of December, 1956."

It shall be deemed to have come into force from that date.

श्री अर्जुनदास : अजमेर में कब एप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट दिसम्बर, ५६ डीम किया जावे?

(विराम)

With regard to this 1956 or 1957, may I, through you ask him whether he has any Bill of the House of the People in his knowledge, which though passed in one year, but assented to in another year and yet both the years have been appearing in the bill? As soon as it is assented to by the President it becomes an Act of that year. You cannot have two years in any Act. You may, therefore, call it either Act of 1956 or Act of 1957. It cannot be an Act of 1956 and an Act of 1957 too. A very improper and absurd thing is being suggested here.

श्री रामकिशोर व्यास : दो साल का एक्ट नहीं हो सकता and that is 1957, ५६ का तो डेस्क्रिप्शन है। बिल ५७ का ही कहा जावेगा। एक ही साल का है, दो साल का नहीं है। वह तो डेस्क्रिप्टिव है जो आम तौर से लिख देते हैं।

श्री सभापति (श्री हरिदेवजोशी) : मैं समझता हूँ कि स्थिति स्पष्ट है।

श्री सतीशचन्द्र : सभापति महोदय, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एम्बीग्विटी है इसमें। ५६ में पास किया और ५७ में स्वीकृत हुआ; तो कानून कब से लागू किया, ५६ से या ५७ से?

श्री रामकिशोर व्यास : ५७।

श्री सतीशचन्द्र : इसमें लिखा है ५६ से।

श्री रामकिशोर व्यास : यह इसलिये कि पास किया था।

इसका मतलब सन् ५७ से है। जिस वक्त पास किया है उस रोज से माना जाना चाहिये। अजमेर का मामला उस रोज से माना जाना चाहिये।

श्री सभापति : मैं समझता हूँ कि स्थिति अब स्पष्ट है। तो प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेण्डमेण्ट बिल, १६५७ पास किया जावे।

(स्वीकृत)

बिल पास हुआ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज मध्यान्ह पश्चात् ३.५ बजे, कल दिनांक ६ मई, १६५७ के ११ बजे मध्यान्ह पूर्व तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.80

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, ८ मई, १९५७)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ११४२

आमेर व जयपुर तहसीलों में पशु चिकित्सालय।

जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें।

गत पांच वर्षों में चित्तौड़ जिले में खुदवाये गये तालाब।

जयपुर डिवीजन में हरिजनों को बसेज चलाने के परमिट।

कस्बा देवली में बिजली की व्यवस्था।

बांसवाड़ा डिवीजन में १९५६-५७ में बांस का ठेका।

धौलपुर व भरतपुर में सिंचाई की दरें।

सन् १९५६-५७ में नगरपालिकाओं का चुनाव।

बाड़ा पदमपुरा (चाकसू) में बिजली की लाइन।

जयपुर जू के वर्तमान सुपरवाइजर का कन्फर्मेशन।

रूपवास व बयाना में पुराने सिंचाई बांधों का जीर्णोद्धार।

नैनवारा जागीर (जिला जयपुर) के जंगल का ठेका।

झोटवाडा से ग्रामखोरा बीशल तक सड़क बनाने की योजना।

राजस्थान के जिला बोर्डों के मनोनीत सदस्य।

घाट से होती हुई गलताजी तक की सड़क का जीर्णोद्धार।

चित्तौड़ जिले में १९५४ से सहकारी तहसील समितियों की स्थापना।

तहसील कोटपुतली की ग्राम पंचायतों के चुनाव।

बयाना, बसेड़ी व बाड़ी तहसीलों में चराई शुल्क।

तहसील कोटपुतली में जिला बोर्ड के अध्यापकों के बाकी वेतन की भुगतान।

बयाना, बसेडी व बाड़ी तहसीलों में कृषि योग्य लकड़ी लाने की छूट।

गत वर्ष नगरपालिकाओं द्वारा की गई ऋण की मांग।

उपरोक्त २२ ता. प्रश्नों में से केवल १८ प्रश्न पूछे गए एवं उनके उत्तर दिये गये। अवशेषी ४ प्रश्नों में से दो प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित मन्त्री द्वारा प्रश्नोत्तर दिये जाने की आगामी तिथि तक स्थगित किये गये और २ प्रश्न सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नहीं पूछे जा सके।

विधेयकों की पुरः स्थापना ११९७

निम्नलिखित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरः स्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज (एक्सटेन्शन) बिल, १९५७

(२) राजस्थान एण्टरटेन-

मेट्स टैक्स बिल, १६५७

(३) राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकलचरल इण्डेटेडनेस बिल, १६५७

(४) राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) अमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग बिल, १६५७

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(१) राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल, १६५७ १२०७

उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया इस आदेश के साथ कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे।

(२) राजस्थान लॉज (एक्सटेन्शन) बिल, १६५७ १२१६

उपरोक्त विधेयक पर विचार स्थगित रखा गया।

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल, १६५७ १२१७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मन्त्री, द्वारा इस विधेयक को विचारार्थ लिए जाने के प्रस्ताव को प्रस्तावित किये जाने पर श्री भैरोंसिंह (१४) ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इस संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में ४ सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। संबंधित मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री भैरोंसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया। तदुपरान्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(५) राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज (एक्सटेन्शन) अमेण्डमेण्ट बिल, १६५७ १२०५

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री रामकिशोर व्यास, विधि मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

गुरुवार, दिनांक ६ मई १६५७ की कार्य-सूची

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या ६८ का उत्तर देखिये)

चित्तौड़ जिले में सन् ५४ से आज तक तहसीलवार निम्नलिखित समितियां बनाई गई हैं :

क्रम सं०	नाम समितियां	गांव का नाम	तहसील	तारीख रजिस्ट्री
१	यादव बहुधंधी सहकारी समिति	छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	३०-४-५४
२	चर्म उद्योग उत्पादक ,, ,,	,,	,,	२२-६-५५
३	चर्म ऊन उत्पादक ,, ,,	,,	,,	३०-६-५५
४	ग्राम उद्योग सहकारी समिति लि०	,,	,,	३०-६-५५
५	कृषि यादव ,, ,, ,,	,,	,,	१६-७-५६
६	सूत्री बहुधंधी ,, ,, ,,	सूत्री	,,	७-८-५६
७	किसान बहुधंधी ,, ,, ,,	मंडिपिया	डूंगला	८-२-५५
८	कृषि सुधार बहुधंधी सहकारी समिति	चिकारड़ा	,,	२८-४-५६
९	दलितवर्ग उत्पादक सहकारी समिति	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	९-५-५५
१०	जीनगर बहुधंधी सहकारी समिति	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	१३-९-५५
११	रेगर बहुधंधी सहकारी समिति	रोड़ा हेड़ा	,,	२२-६-५५
१२	बचत व साख सहकारी समिति	कन्थारिया मीणों का	,,	२२-६-५५
१३	,, ,,	बोरियाना	,,	२२-६-५५
१४	,, ,,	डगला का खेड़ा	,,	२०-७-५५
१५	बहुधंधी सहकारी समिति	चोथपुरा	,,	२०-७-५५
१६	गृहनिर्माण सहकारी समिति लि०	चित्तौड़	,,	२५-७-५५
१७	कपड़ा छपाई सहकारी समिति लि०	,,	,,	२६-१२-५५
१८	नीलगर उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	,,	१८-१-५६
१९	लोहा उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	,,	१६-७-५६
२०	गाडिया लोहार बहुधंधी सह० समिति लि०	,,	,,	८-८-५६
२१	सिरादी बहुधंधी सह० समिति	,,	,,	१-३-५७
२२	मोटानी कापान्डोली सह० समिति	मान्डोली	,,	१-३-५६
२३	बोरदा बहुधंधी सह० समिति	बोरदा	,,	६-३-५७
२४	बचत व साख सह० समिति	रोड़ा हेड़ा	,,	१२-८-५५
२५	बुनकर सहकारी समिति	बेगूं	बेगूं	१८-१-५६
२६	चर्म उत्पादक सहकारी समिति	,,	,,	१८-१-५६
२७	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	पारसौली	,,	१८-१-५७
२८	,, ,,	दौलतपुरा	,,	२३-२-५६
२९	लोक प्रिय बुनकर सहकारी समिति लि०	बेगूं	,,	२३-२-५६
३०	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	भीचौर	,,	२१-३-५६
३१	रैगर बहुधंधी सह० समिति	बेगूं	बेगूं	३०-४-५६
३२	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	नन्दवाई	,,	२८-१२-५६

Page No.83

३३	लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी समिति लि०	गावरदा	बेंगू	२८-१२-५६
३४	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	मन्डावरी	,,	२८-१२-५६
३५	प्रकाश बहुधंधी सहकारी समिति	बेंगू	,,	२८-१२-५६
३६	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	कल्याणपुरा	,,	२८-१२-५६
३७	आमलदा बहुउद्देशीय सह० स० लि०	आमलदा	,,	१-३-५७
३८	बहुधंधी सह० समिति	नागढ़ाड़ा	अचनारा	२८-५-५५
३९	जाजली बहुधंधी सह० समिति	जाजली	,,	२८-५-५५
४०	गांधी बहुधंधी सहकारी समिति	आमलारद	प्रतापगढ़	२८-[illegible]-५५
४१	कुलमीपुरा व ,,	कुलमीपुरा	,,	२८-५-५५
४२	अम्बामाता व ,,	अम्बामाता	,,	२८-५-५५
४३	घनगरकामरिया प्रतापगढ़ सह० स०	प्रतापगढ़	,,	२८-५-५५
४४	प्रतापगढ़ मोचियान उद्योग सह० स०	,,	,,	१२-७-५५
४५	बमोतर बहुधंधी सह० समिति	बमोतर	,,	२३-७-५५
४६	सिद्धपुरा ,,	सिद्धपुरा	,,	२३-७-५५
४७	खेतोड़ी ,, ,,	प्रतापगढ़	,,	१२-११-५५
४८	खेरोंट ,, ,,	नाई का पटार	,,	१६-१२-५५
४९	जहाजपुर ,, ,,	जहाजपुर	,,	१-१२-५५
५०	श्रीगोपाल ,, ,,	धोतर	,,	१२-२-५६
५१	आंवलेश्वर ,, ,,	आंवलेश्वर	,,	२१-३-५६
५२	गन्धेर ,, ,,	गन्धेर	,,	२१-३-५६
५३	श्रीधामलिया ,,	धामलिया	,,	५-५-५५
५४	विलेश्री ,, ,,	विलेश्री	,,	६-५-५६
५५	लालपुरा ,, ,,	लालपुरा	,,	७-८-५६
५६	हाड़ीजी की पीपलिया ,,	हाड़ीजी की पीपलिया	,,	८-८-५६
५७	पानमोड़ी ,, ,,	पानमोड़ी	,,	८-८-५६
५८	बसाड़ ,, ,,	बसाड़	,,	१४-६-५६
५९	बहुउद्देशीय सहकारी समिति प्रतापगढ़	,,	,,	२४-१०-५६
६०	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	कपासन	कपासन	५-६-५५
६१	बहुधंधी सहकारी समिति	मुंगाना	,,	२१-२-५७
६२	रोलिया बहुधंधी सह० स०	रोलिया	,,	२६-२-५७
६३	चर्म उत्पादक सह० समिति लि०	बनलाकला	,,	५-४-५७
६४	कांचियाखेड़ी ब० ध० सह० स०	कांचियाखेड़ी	,,	५-४-५७
६५	बृहत बहुधंधी सह० स० लि० गंगरार	गंगरार	राशमी	१८-१-५६
६६	जवानपुरा बहुउद्देशीय सह० समिति	जवानपुरा	,,	२५-२-५६
६७	राशमी बहुधंधी सह० समिति	राशमी	,,	२५-२-५६
६८	गुरजनिया बचत व साख सह० समिति	गुरजनिया	,,	३-३-५६

६६	रेगर उत्पादक सह० समिति लि०	सामता	गंगरार	२२-६-५५
७०	सोनियाना बहुधंधी सह० समिति	सोनियाना	,,	२६-७-५५
७१	बहुधंधी किसान सह० समिति	साड़ास	,,	११-६-५६
७२	बहुधंधी सहकारी समिति	इन्दौर	,,	२१-२-५७
७३	बस्सी उत्पादक सह० समिति	बस्सी	,,	१०-३-५७
७४	सोकड़िया बहुधंधी सह० समिति	सोकड़िया	,,	२८-३-५७

Page No.85

परिशिष्ट 'ख' [१३०७

सूची सहकारी समितियां जिन्हें चित्तौड़ जिले में सन् १९५४ में कर्जा दिया गया।

क्रम सं०	नाम समितियां		कर्जा जो दिया गया रुपयों में	प्रयोजन कर्जा देने का
१.	बचत व साख सहकारी समिति	बोवियाना	२४२५)	खाद, बीज व सिंचाई हेतु
२.	,, ,, ,,	डागला का खेड़ा	२०००)	,, ,, ,,
३.	,, ,, ,,	गुरजनिया	२५००)	,, ,, ,,
४.	,, ,, ,,	कन्धारिया	१४७५)	,, ,, ,,
५.	बहुधंधी सहकारी समिति	अमलावद	१८००)	,, ,, ,,
६.	,, ,, ,,	खेरोट	५५०)	,, ,, ,,
७.	,, ,, ,,	चौथपुरा	२००००)	,, ,, ,,
८.	,, ,, ,,		६१००)	,, ,, ,,
९.	,, ,, ,,	पारसोली	१०००)	,, ,, ,,
१०.	,, ,, ,,	अवलेश्वर	२२००)	,, ,, ,,
११.	,, ,, ,,	घमोतार	१०००)	,, ,, ,,
१२.	,, ,, ,,	जाजपुर	१०५०)	,, ,, ,,
१३.	,, ,, ,,	खारतोड़ी	७५०)	,, ,, ,,
१४.	,, ,, ,,	बूंद	२८५०)	,, ,, ,,
१५.	,, ,, ,,	जवानपुरा	१९००)	,, ,, ,,
१६.	,, ,, ,,	राशमी	२५००)	,, ,, ,,
१७.	,, ,, ,,	गन्धेर	९००)	,, ,, ,,
१८.	,, ,, ,,	सिद्धपुरा	४९००)	,, ,, ,,
१९.	,, ,, ,,	चिकाड़ा	२९००)	,, ,, ,,
२०.	,, ,, ,,	बिलेसरी	१५००)	,, ,, ,,
२१.	,, ,, ,,	बेंगू	२४००)	,, ,, ,,
२२.	,, ,, ,,	जाजली	१४००)	,, ,, ,,
२३.	,, ,, ,,	बमोतर	१५००)	,, ,, ,,
२४.	चर्म उत्पादक सहकारी स०	कपासन	६००)	कच्चा माल तथा चमड़ा रंगाई हेतु
२५.	,, ,, ,,	छोटी सादड़ी	२६३०)	
			६८८५०)	

कर्जा वितरित किया

क्र० सं०	नाम समितियां		कर्जा जो दिया गया	प्रयोजन कर्जा देने का		
१.	कृषि ऋणदात्री सह० समिति	खाटुंडा	३२५०)	खाद, बीज, एवं सिंचाई हेतु		
२.	बचत एवं साख सह० समिति	कंथारिया	८८५०)	,,	,,	,,
३.	बहुधंधी सहकारी समिति	छोटी सादड़ी	३५००)	,,	,,	,,
४.	,, ,,	चौथपुरा	२७०००)	,,	,,	,,
५.	,, ,,	मंडकिया	१३३००)	,,	,,	,,
६.	बचत एवं साख सह० समिति	बोधियाना	२४००)	,,	,,	,,
७.	बहुधंधी सह० समिति	प्रतापगढ़	५०५०)	,,	,,	,,
८.	बचत एवं साख सह० समिति	डगला का खेड़ा	३७५०)	,,	,,	,,
९.	प्रकाश बहुउद्देशी सहकारी समिति	बेंगू	४५००)	,,	,,	,,
१०.	बहुधंधी सह० समिति	मंडावरी	३५००)	,,	,,	,,
११.	,, ,, ,,	साडास	११५०)	,,	,,	,,

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

सूची

तहसील कोटपुतली में स्थित पंचायतों के निर्वाचन हो चुके है परन्तु तहसील कोटपुतली के कुछ गांव पंचायतों में सम्मिलित होने से रह गये थे वे अब सम्मिलित किये जा चुके हैं। इन गांवों के सम्मिलित करने के फलस्वरूप निम्न पंचायत क्षेत्रों में पंचों की संख्या में वृद्धि की गई व २ नई पंचायतें स्थापित हुई :

				उन ग्रामों के नाम जिनसे पंचों का चुनाव होना है।
१.	पंचायत	मांकरी	में एक पंच की वृद्धि	कारोली, पाथरेडी
२.	,,	रामकरणपुरा	१ ,, ,,	पूरन नगर
३.	,,	टोरडा	४ ,, ,,	दूदावास, बूचारा
४.	,,	द्वारिकापुरा	३ ,, ,,	भैंसलाना
५.	,,	सरूंड	१ ,, ,,	नोरंगपुरा, चानचाकी

इन स्थानों के निर्वाचन करवाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त दो नई पंचायतें अमरपुरा नई कोटी व गोनेडा स्थापित हुई, अमरपुरा पंचायत के निर्वाचन हेतु कलेक्टर को लिखा जा चुका है व गोलेडा पंचायत के वार्ड बनाये जा रहे हैं और निर्वाचन शीघ्र करवाये जायेंगे।

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर देखिये)

ANNEXURE A.

STATEMENT SHOWING NAMES OF MUNICIPAL BOARDS WHO REQUIRED LOAN FOR WATER WORKS AND ROADS DURING THE YEAR 1956-57.

S. No.	Name of the Board.	Water works.	Roads.
1.	Sambhar	3,00,000/-	—
2.	Indergarh	—	15,000/-
3.	Bari	2,00,000/-	—
4.	Churu	—	80,000/-
5.	Sagwara	—	75,000/-
6.	Uniayara	—	16,000/-
7.	Bagun	50,000/-	15,000/-
8.	Phulera	30,000/-	15,000/-
9.	Anoopgarh	10,000/-	—
10.	Bandikui	10,000/-	10,000/-
11.	Rajeldesar	—	20,000/-
12.	Sirohi	40,000/-	—
13.	Sujangarh	—	1,50,000/-
14.	Deogarh	10.000/-	—
15.	Ganganagar	3,60,000/-	2,00,000/-
16.	Ramgarh	4,00,000/-	1,00,000/-
17.	Raisinghnagar	—	1,00,000/-
18.	Choti Sadri	—	1,00,000/-
19.	Suratgarh	76,780/-	23,220/-
20.	Rajgarh	4,00,000/-	—
21.	Ramganj Mandi	—	2,00,000/-
22.	Hanumangarh	—	1,00,000/-